राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

19 मार्च, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में जिस प्रकार से बिना किसी कारण से...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय नर्बदा देवी बिहाणी महाविद्यालय, नोहर (हनुमानगढ़) का क्रमोन्नयन

1. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) एवं **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के राजकीय नर्बदा देवी बिहाणी महाविद्यालय, नोहर को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा लागू कर दी गई है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार छात्रों से कम्प्यूटर शिक्षा के नाम से ली गई फीस वापस छात्रों को भुगतान करेगी? क्या उक्त महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है?

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : यह क्या तरीका है, इनको बैठाइये। (व्यवधान) यह प्रश्नकाल के अन्दर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कानून का राज नहीं चल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको भी कानून के तहत करना होगा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुददे पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : महत्वपूर्ण मुद्दे को यह...

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) वर्तमान में इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर

(शिक्षा मंत्री)

स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है। क्योंकि क्रमोन्नत करने के लिये वर्तमान में कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा।

(3) कम्प्यूटर शिक्षण सत्र 2000-2001 में अपरिहार्य कारणों से प्रारम्भ नहीं हो सका, लेकिन सत्र 2001-2002 में प्रारम्भ कर दिया गया है।

(4) वर्ष 2000-2001 में छात्रों से प्राप्त कम्प्यूटर फीस को वर्ष 2001-2002 में समायोजित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। (व्यवधान)

मांग

किशनगढ़ में पुलिस ज्यादती पर चर्चा की मांग

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में गुंडागर्दी जो हुई है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : यह लाठी - गोली की सरकार ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किशनगढ़ में जो गुंडागर्दी हुई है, गुंडागर्दी का जवाब दो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गोलियां चली, उन लोगों को हिरासत में लिया जिनका एफ.आई.आर. में नाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है आंगन बाड़ी केन्द्रों का, इसको भी ये नहीं लेने देना चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उन लोगों को पुलिस थाने में रखा और तीन तारीख को थाने में रख कर उनकी पिटाई की...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. के. सी. चौधरी : किशनगढ़ में प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है। (व्यवधान)

अजमेर की हार की चिढ़ किशनगढ़ में जाकर निकाली। (व्यवधान) यह अजमेर की हार का फ्रस्टेशन है आपका किशनगढ़ में। (व्यवधान) अजमेर की हार आप पचा नहीं पाये... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका दांत तोड़ा है। उसका दांत तोड़ने के...(व्यवधान) एस.पी. के मुक्के से इस बालकृष्ण का दांत तोड़ा गया...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : प्रधानमंत्री ने कहा है मैं मरना पसंद करूंगा। आपके प्रधानमंत्रीजी ने कहा है कि वे मरना पसंद करेंगे। उड़ीसा में जो विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों के द्वारा आतंक फैलाया गया है, जो तोड़फोड़ की गयी है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...लोगों को मार सकते है, यह उसका दांत टूटा। अगर कानून का रक्षक ही कानून को तोड़ने वाला बन जाए...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कहा है कि मैं मरना पंसद करूंगा मेरी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है तो...(व्यवधान) स्वयं प्रधानमंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान) वहां जैसी स्थिति यहां ला दी है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गुण्डागर्दी का जोर जो पहले किशनगढ़ में किया है... (व्यवधान)

श्री गुलाव चन्द कटारिया : अगर मौके पर मारपीट हो जाती, समझ में आ सकता है कि उसके अंदर कौन थे लेकिन...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अजमेर की हार का नतीजा है आपका...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले गुण्डागर्दी का जवाब दो किशनगढ़ की...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप हार को स्वीकार क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : घर से उठा कर लोगों को ले जाए और घर से ले जाने के बाद एस.पी. की मौजूदगी में लोगों के साथ इस तरह से बेरहमी से पिटाई करे, एस.पी. मुक्के मार कर दांत तोड़ दे ...(व्यवधान) एस.पी. थाने में बुलाकर इस तरह से मारे, इस जुल्म को हम किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, कानून की भी अपनी एक मर्यादा होती है, अगर...

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया न... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोगों को घरों में घुस घुस कर कर मार रहे है, अन्याय हो रहा है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उड़ीसा में क्या हुआ ? उड़ीसा में विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों के द्वारा विधान सभा के अन्दर हमला किया गया और प्रधानमंत्रीजी स्वयं ने कहा है कि मैं ऐसी स्थिति में मरना पसंद करूंगा। (व्यवधान) यह है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खेल...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के लोग यह असंसदीय परम्परा बना रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे मरना पसंद करेंगे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +..... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : कागज यह रहा जिसके लिए आप...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं मरना पंसद करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : अगर दंगे को रोकना सरकार...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : "मैं मरना पसंद करूंगा", अटल बिहारी वाजपेयी- प्रधानमंत्री। उड़ीसा में विश्व हिन्दू परिषद् के लोगो के द्वारा जो तोड़ाफोड़ की गयी, जो हमला किया गया...(व्यवधान)

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : सुनें तो सही। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रधानमंत्री स्वयं ने कहा है, अटल बिहारीजी वाजपेयी कह रहे हैं मैं मरना पसंद करूंगा, विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों द्वारा किया गया उड़ीसा में विधान सभा के अंदर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : देश को बरबाद कर दिया है....

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय प्रधानमंत्रीजी ने चिंता व्यक्त की है, अटल बिहारीजी ने कहा है कि वे मरना पंसद करेंगे.... (व्यवधान) इनके कारनामों के कारण प्रधानमंत्रीजी मरना पसंद करते हैं।

श्री मदन दिलावर : + + + सिक्खों को, चार हजार सिक्खों को दिल्ली में जला देते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज। प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + फैलाते है आप लोग (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये हिन्दुओं को चुन चुन कर मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : प्रधान मंत्रीजी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अनुशासन और शालीनता की आवश्यकता है। यह आपके प्रधानमंत्रीजी कह रहे है कि लोकतंत्र में अनुशासन और शालीनता की आवश्यकता है।

श्री मदन दिलावर : + + + किशनगढ़ में क्या किया है? क्या किया। किशनगढ़ में? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गुजरात में करा दिया सरकार ने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गुजरात में क्या हुआ, यह बताओ। गुजरात में लोगो को मरवा दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह पुलिस की एक तारीख की एफ.आई.आर., तीन तारीख को घर से जबरन उठा कर ले गये और जबरन उठा करके बिना एफ. आई.आर. में नाम, बिना किसी प्रकार का दोष...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एस.पी. अपनी मौजूदगी में, एस.पी. अपने हाथ से मुक्का मारे और आदमी का दांत तोड़ दे, यह कभी बरदाश्त नहीं किया जायेगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : सब + + + है, किशनगढ़ में आपको कुछ आधार नहीं मिल रहा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और यह सरकार बारह दिन से, तेरह दिन से बैठी-बैठी देख रही है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : किशनगढ़ में आपको कोई आंदोलन और कोई नारा नहीं मिला...(व्यवधान) हार को पचा नहीं पा रहे है। (व्यवधान) हार को स्वीकार करना सीखो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इनको क्यों मारा गया? यह मुलजिम है क्या?

डा. के. सी. चौधरी : आप हार को स्वीकार करना सीखो, आप जनादेश की पालना करना सीखो। अब तो कुछ नहीं होने वाला ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं यह अधिकार किसी एस. पी. को नहीं मिल सकता कि वह बेगुनाह लोगों को मारे। बेगुनाहों को ले जाकर, रात को घर मिल गया उसी को पकड़ कर ले गये। जो आपको घर मिल गया उसी को आपने मुलजिम बना दिया। जिसको आपने पकड़ लिया उसी के साथ मार-पीट करना शुरू कर दिया। अगर आपका कोई कानून कहता है उस कानून के तहत आप गिरफ्तार करो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आप बिराजिये। कटारियाजी, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : आपके उड़ीसा में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसी शर्मनाक घटना आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी, वे समाजकंटक लोग थे....।(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उसके बारे में, एक तारीख की घटना, आज 19 तारीख है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कहते है कि इस तरह की घटनाओं पर मैं मरना चाहता हूं....

श्री मदन दिलावर : राज चलाने वालो, + + + लाठी से कब तक चलाओगे? (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : कटारिया साहब कहने नहीं दे रहे है, किशनगढ़ की स्थिति को, इनको क्या पता किशनगढ़ का ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह + + + करने वाले + + + यह कब तक चलेगी + + + यह + + + नहीं चलने देंगे.. (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलने के लिए खड़ा हुआ लेकिन जब नहीं बोलने दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो, यह तो मुझे पता लगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम बैठ सकते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं लेकिन कोई सुने तब ना दूसरे लोग।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये तो। आप बैठिये, प्लीज आप बैठिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनको भी बैठाइये। यह + + + को बैठाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं हम। जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, जो देश में कत्ले-आम करते हैं हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ये देश को विभाजित करना चाहते हैं...

श्री सोहन नायक : ये देश में साम्प्रदायिकता फैलाया करते हैं, इनकी बात हम नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : गुजरात में किस तरह का तांडव हुआ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... और उसकी बात करना साम्प्रदायिकता...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + ... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : प्रजातांत्रिक तरीके में धरने के अलावा कोई माकूल व्यंवस्था नहीं होती, उसकी भी कोई सुनवाई आज दिन तक नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ + + + बैठ जाओ। बैठ जाओ + + +

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर निकालो इनको. जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका है? (व्यवधान) यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) आपको जनता ने चुना है, हमको भी जनता ने चुना है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आप साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, राजस्थान में साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते है। (व्यवधान) आपको तकलीफ है कि राजस्थान में शांति व्यवस्था क्यों बनी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके यह तकलीफ है कि राजस्थान में शांति क्यों है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इन + + + को मना करो आप।...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सोहन नायक)

है...(व्यवधान) लेकिन उड़ीसा विधान सभा में तो विश्व हिन्दू परिषद् के सदस्यों ने हमला किया है। (व्यवधान) ... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों है। ये अशांति फैलाना चाहते है। (व्यवधान) जिस प्रकार गुजरात में दंगे हुए...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) प्रधानमंत्री कह चुके है मरना चाहता हूं। ये क्या करना चाहते है, वह भी पूछ लो। (व्यवधान)... आत्मदाह कब कर रहे है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप चुप रहो। (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी...(व्यवधान) उड़ीसा विधान सभा में जाकर विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने तहस-नहस कर दिया विधान सभा को। स्वयं प्रधानमंत्री शर्म खा रहे है आप पर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वाजपेयीजी को बचाओ, मरना चाह रहे है। अटल बिहारी वाजपेयीजी कहते है कि मैं मर जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वाजपेयी जी के चेले हो क्या? आप + + + हो, + + +, लाठी चलाने वाले, + + + (व्यवधान) यहां पर आकर इकट्ठे हो गये + + + करने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + और हमको बाहर निकालना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, + + + करते है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमको भी जनता ने चुना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी जनता ने चुना है और + + + कि इनको बाहर निकाल दो। इनके घर का राज है? लाठीशाही, + + + का राज नहीं है, + + + का राज नहीं है। हमको बाहर निकाल दो यह + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं पर अत्याचार बरदाश्त नहीं किया जा सकता सीधी-सी बात है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे यहां की व्यवस्था नहीं चलेगी... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने मुझे + + + कहा है। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं पर अत्याचार किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री नाथूराम : मौत से मर गये उसके लिए आप फिरे। 10-10 लाख रुपये...(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य अपने स्थान से बोले ..... (व्यवधान)... अनुशासनहीनता कर रहे हैं यह।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन्होंने खुद ने गुजरात में हजारों लोगों की हत्याएं करवाई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) आपके ऐसे डण्डे पड़े होते तो आपको पता होता कि डण्डे का मजा कैसा है। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान) आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में अनुशासन और शालीनता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की तो कम से कम मान लो। यह अटल जी की फोटो लगा कागज है.(व्यवधान) (अश्रृव्य) ... ये अटल जी की तो मानो कम से कम। अनुशासन और शालीनता की आवश्यकता है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ...(व्यवधान) उस एस.पी. को धन्यवाद देना चाहते है ... (व्यवधान) ...जिन्होंने उन गुण्डों के जूते लगाये।

श्री संजीव कुमार : ...(व्यवधान) और ये हाउस का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)...शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में हमारा सवाल लगा हुआ है, हम अपने क्षेत्र की बात करना चाहते है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) और घर से उठाकर ले गये, 3 तारीख की बात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद दो... (व्यवधान) शांति रखी है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री नाथूराम : राजस्थान में कानून का राज है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने गुजरात को जला दिया। ये पूरे राजस्थान में तबाही करना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी यह मंशा है कि राजस्थान को बरबाद करना चाहते हैं संख्या बल के आधार पर। अगर अन्याय को न्याय मे बदलने की कोशिश करेंगे संख्या बल के आधार पर तो अन्याय तो अन्याय ही रहेगा। गलत चीज गलत रहेगी। संख्या बल के आधार पर गलत चीज सही नहीं हो सकती। 3 तारीख की घटना है... (व्यवधान) उनको उठा कर ले जाये (व्यवधान)... एफ.आई.आर. में उनका नाम नहीं।

श्री नाथूराम : इनके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यह कहते है कि मर जाना अच्छा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी कोई बात नहीं सुनी जानी चाहिए प्रधानमंत्री जी मरना चाहते है, आप क्या चाहते है?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : — (व्यवधान)— और उसके बाद भी अगर इन्हें — (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रधानमंत्रीजी ने इच्छा जाहिर कर दी, आप क्या इच्छा कर रहे हो ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + ... (व्यवधान)

श्री नाथूराम : —(व्यवधान)— जाकर धरना दे रहे है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : —(अश्रृव्य)— उतारु हो रहे हो।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते है। ये नहीं चाहते कि प्रदेश में शांति बनी रहे। जिस प्रकार से गुजरात में दंगे हुए है—(व्यवधान) पूरे प्रदेश में दंगे कराना चाहते थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा नहीं चलने देना चाहते है, प्रश्नोत्तरकाल नहीं चलने देना चाहते है।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये चाहते है कि राजस्थान में शांति क्यों बनी रही।

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी।— (व्यवधान)—

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री सोहन नायक : + + +

(सदन में नारेबाज़ी)

—(व्यवधान)— + + +

—(व्यवधान)— + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

(सदन में नारेबाजी)

—(व्यवधान) — + + +

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह विधान सभा के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करें कि विधान सभा नहीं चलने दे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसको हम उड़ीसा नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से गुण्डागर्दी करते है — (व्यवधान)

(सदन में नारेबाजी)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये आप राजस्थान के लिए कह रहे हो या गुजरात के लिए? ये गुजरात के लिए कह रहे हो या राजस्थान के लिए कह रहे हो, यह तो बताओ। (व्यवधान) और उड़ीसा के लिए क्या कह रहे हो? उड़ीसा के लिए भी तो कहो। उड़ीसा विधान सभा में क्या हुआ? उड़ीसा की भी तो कहो।

श्री सोहन नायक : इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी रही। इनको इस बात की तकलीफ है। जिस प्रकार से गुजरात में दंगे हुए, ये प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इनको इस बात की

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सोहन नायक)

तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी रही। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मात्र प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते है ... (व्यवधान) ... उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन राज्य रह गये इनके पास और अब के चुनावों में वहां भी सफाया है।

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कथनी और करनी में इतना अन्तर है कि तीन राज्य रह गये इनके और अब के चुनावो में वहां पर भी सफाया है। और देश में चुनाव होंगे तो वहां पर भी सफाया है इनका। ये जो अराजकता की इस देश में स्थिति पैदा करना चाहते हैं वह राजस्थान में पैदा नहीं होने दी जाएगी। यहां का मुख्य मंत्री बहुत सख्त है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन को सम्मान देते हुए अपनी बात कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ की घटना से पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री सोहन नायक : + + +

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल का समय है और प्रश्नकाल में प्रश्न ही लिये जाने चाहिए। हमारी दरखास्त है आसन से।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी + + + को मनाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) ... एक प्रश्न से ...(व्यवधान) ... (अश्रृव्य) ... बड़ा है प्रश्नकाल।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देना चाहते है कि इन + + + पर इन्होंने काबू रखा ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है हाउस के विचारार्थ। हाउस में विचाराधीन कोई मुद्दा नहीं है तो हाउस के नियमित तरीके से पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, हमारा अनुरोध है आपसे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इन + + + पर काबू रखा और राजस्थान में कानून-व्यवस्था कायम रखी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं तो ये गुजरात जैसी हालत राजस्थान में कर देते, उड़ीसा जैसी हालत कर देते। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी हुई है। जिस प्रकार से गुजरात में दंगे हुए, ये प्रदेश में दंगे कराना चाहते थे। इनको इस बात की तकलीफ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : और आज इस विधान सभा में जो ... (व्यवधान) कर रहे हो। जनता ने आपको इसलिए चुनकर नहीं भेजा है।

श्री मदन दिलावर : पूरे हिन्दू समाज को + + + कहा है... (व्यवधान)... + + + पूरे हिन्दू समाज को + + + कहा है ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालिये। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ... (व्यवधान) इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालिए। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी रही। प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी क्यों रही, इस बात की तकलीफ है इनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : निकाल दो इनको बाहर। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था क्यों बनी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस तरह से + + + कहना बरदाश्त नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ये चाहते है कि जिस प्रकार गुजरात में इन्होंने दंगे करवाये... (व्यवधान) इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी हुई है।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान की पुलिस को आदेश दे दो, इनको बाहर निकाल देवे। (व्यवधान) राजस्थान की पुलिस को सख्ती बरतने दी जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम + + + है, यह राज हम बाहर जाकर कहेंगे। हमारा कोई ठेका नहीं है यहां पर, लेकिन अगर ये शब्द प्रयोग किये गये कि हम + + + है... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में शांति क्यों बनी हुई है। इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में गुजरात की तरह दंगे क्यों नहीं करवा सके ये लोग। (व्यवधान) कत्ले आम हो ...(व्यवधान) इनकी इस मंशा को ठेस लगी है, इनकी मंशा पूरी नही हुई है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : —(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने जाकर मरहम लगाई है, उनको सम्भाला है और मरने वालों को आर्थिक सहायता दी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय कटारिया जी। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात की तकलीफ है कि प्रदेश में दंगे नहीं करवा सके। (व्यवधान) इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान) जिस प्रकार गुजरात में दंगे हुए, प्रदेश में भी दंगे करवाना चाहते है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार साम्प्रदायिकता फैलाने वाली ताकतों को पाबंद किया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : —(व्यवधान) हम + + + है तो कानून के तहत कार्यवाही करो, हमको जेल भेजो। (व्यवधान हमारी + + + है तो हमें सजा दो जो कानून के तहत मिल सकती है। अगर जेल में डाला जा सकता हो तो जेल में डालो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पूरे हिन्दू समाज को + + + कह दिया और कोई एक्शन नहीं हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सजा जनता देगी। तीन राज्यों में रह गये हो। (व्यवधान) आपका प्रधानमंत्री यह कहता है कि मैं मरना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : गुजरात में जब चुनाव आएगा तो आपकी पार्टी का सफाया होगा — (व्यवधान) आपको पता लग जाएगा किस प्रकार आप साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, आपको जनता बाहर निकालेगी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वहां जाकर उन दंगा पीड़ितों को सम्भाला—(व्यवधान) जिस तरह से जिंदा जलाये गये— (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा इतनी गंदी थी की ये प्रदेश को बरबाद करना चाहते थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इन + + + को कपड़े पहनाओ, + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माननीय सदस्य, हमेशा परम्परा रही है कि क्वेश्चन आवर में आप लोग इस तरह से प्रश्न नहीं उठाते है। क्वेश्चन आवर हो जाने दीजिए, उसके बाद आप चाहते क्यों हो, अभी इतने लोग बोलेंगे, समझ में तो कुछ आता नहीं है। आप चाहते क्या हो ? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ये तो पूरे देश में दंगे फैलाना चाहते है, प्रदेश को आग लगाना चाहते है। ये देश को बरबाद करना चाहते है, बाकी कुछ भी नहीं चाहते ये लोग। ये सिर्फ प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते है, गुजरात की तरह प्रदेश में दंगे करवाना चाहते है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ...प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ एक मुद्दा नहीं है जो ये इस सरकार के खिलाफ बोल सके। ये देश में और राजस्थान में आग लगाना चाहते है, इसके अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्वेश्चन आवर में अलाउ नहीं करूंगा। जाड़ावत जी, बैठिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप क्वेश्चन आवर में अलाउ करोगे या नहीं करोगे, यह आपका अधिकार है यह हमारी इच्छा पर नहीं है कि इसको कैसे चलाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसे चलेगा, लेकिन जिस प्रकार की यह घटना है...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आप देश को बरबाद करना चाहते है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... या तो आप आसन से यह व्यवस्था करो कि क्वेश्चन आवर समाप्त होने के तुरन्त बाद इस विषय पर चर्चा होगी या तो आप यह तय कर दीजिये...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : राजस्थान सरकार ने इनके मंसूबो पर पानी फेरा है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवालों का जवाब दिलवाइये। हम इनके भाषण सुनने नहीं आये है यहां पर। हम यहां पर काम करने के लिये आये है, वह हम इस पवित्र सदन में करना चाहते है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह + + + चलाना चाहते है जो + + + हमने चलने नहीं दिया। इनको बस इस बात की तकलीफ है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान) सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। बिजली बहुत अच्छी आई है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, विकास के काम हर जगह बहुत अच्छे हो रहे है इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से अराजकता का वातावरण फैलाया जाए। और इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। किस मुद्दे पर बोल सकते है ये? एक मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास इस सरकार के खिलाफ, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। सरकार के मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसका सबसे बड़ा दर्द है इनको। ये चाहते है कि किसी तरह से अराजकता फैले। (व्यवधान) देश की जनता समझदार है, गुजरात में भी सफाया होगा। क्या हालत हो रही है लोक सभा में। ये चाहते है कि लोक सभा में जो हालत हो रही है वैसे ही राजस्थान की विधान सभा में भी हो। ये नहीं चाहते है कि विधान सभा आराम से चले। हम लोग विधान सभा में पूरी तैयारी करके आते है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन आवर को चलने दीजिए, इसके बाद इस पर चर्चा हो जाएगी (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण सवाल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री संजीव कुमार)

लगा हुआ है, हमारे सवाल का जवाब आना चाहिये। हम इस सदन में हमारे इलाके की समस्या उठाने के लिये आते हैं। हमारा शिक्षा का सवाल लगा हुआ है उसका जवाब आना चाहिये। हम इन लोगों का भाषण सुनने के लिये नहीं आते है यहां पर। यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में सवाल का जवाब आना चाहिये।

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, ये + + + लोग प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते है, प्रदेश को बरबाद करना चाहते है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री और इन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री मान रहे है...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं। (व्यवधान) प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में शांति बनी रहे। इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। जिस प्रकार गुजरात में दंगे हुए हैं ये राजस्थान में भी दंगे करवाना चाहते है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के दौरान हमारे प्रश्नों का जवाब आना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइए। (व्यवधान) इनको बाहर निकालिए। हमको इनका भाषण नहीं सुनना। (व्यवधान)

इनको बैठाइए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनका भाषण नहीं सुनना। या तो आप इनका बाहर निकालिए या बैठाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किशनगढ़ मामले में गृह मंत्री वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) कोई कार्यवाही नहीं करते, उल्टा हम पर आरोप लगाते हैं कि हम अशांति फैलाना चाहते हैं। एक भी स्थान बता दीजिए जहां अशांति फैलाई राज्य में?(व्यवधान) आपके पुलिस अधिकारियों ने फैलाई है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपको राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहिये। (व्यवधान) गुजरात जैसी घटना यहां नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ... (व्यवधान) जो कुछ हुआ आप लोगों की सोची-समझी चाल से करवाया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : ... किशनगढ़ में जो मृतक हैं उसकी वाइफ ने तो क्या लिख कर दिया है आपके खिलाफ़ ?(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : इन लोगों का भाषण नहीं सुनेंगे हम। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर इन लोगों का भाषण सुनने के लिये नहीं आये है। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, उसका जवाब आना चाहिये। (व्यवधान) हम इनका भाषण नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर निकालिए, ये झगड़ा कर रहे हैं। (व्यवधान) इनको बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कहां है + + + सदन में + + + कर रहे हैं, यह देखो। उपाध्यक्ष

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सोहन नायक)

महोदय, यह सदन में + + + कर रहे है. बाहर क्या बख्शेगें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनकी यह + + + कब तक चलेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, इस + + + का कुछ करिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.29 बजे 13.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रोसेस हाउस के सेवानिवृत कर्मी का बकाया भुगतान

1. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी की समस्त बकाया राशि का भुगतान कितने दिन में हो; क्या इस हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान हाथकरघा विकास निगम के प्रोसेस हाउस में दिनांक 30 नवम्बर, 1999 को किस-किस कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत किस -किस कर्मचारी की कितनी-कितनी राशि अभी तक किस कारण से बकाया है ?

(3) उक्त कर्मी की सी.पी.एफ. की कितनी राशि वर्ष 1999 की कब-कब भेजी है ? भेजी गई राशि का माहवार विवरण मय चालान की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मी को जुलाई, 1999 में बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की किस्त की राशि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर देय लाभ परिलाभों पर अब तक भी नहीं दी गई हैं ? यदि नहीं, तो उक्त राशि का भुगतान किस आदेश के द्वारा कब किया गया एवं अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण है ? भुगतान के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब सरकार उक्त कर्मी की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर देगी ? अब तक उक्त अल्प वेतन भोगी कर्मी के साथ हुए अन्याय के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन परिलाभ के समय-समय पर भुगतान बाबत निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 15(3) एफ.डी. (रुल्स)/97 दिनांक 24.2.2001 को जारी किये गये है। प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। जहां तक

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान हाथकरघा विकास निगम के कर्मचारियों का प्रश्न है राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते है।

(2) राजस्थान हाथकरघा विकास निगम को प्रोसेस हाउस इकाई के तीन कर्मचारियों को दिनांक 30.11.1999 को स्वैच्छिक सेवा निवृति दी गई थी। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। स्वैच्छिक सेवा निवृति मद में राशि उपलब्ध नहीं होने तथा निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण राशि बकाया रही है।

(3) सर्व श्री शिवचरण शर्मा, संतलाल यादव एवं जगदीश चन्द्र शर्मा को वर्ष 1999 में क्रमशः रुपये 6874.00, 7464.80 एवं 8322.00 की राशियां सी.पी.एफ. के पेटे चैक संख्या-064651 दिनांक 10.01.2000 तैदादी रुपये 57466.00 द्वारा प्रावधायी निधि विभाग को प्रेषित की गई। यह राशि माह अप्रैल 1999 से नवम्बर 1999 तक की थी। चालान की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। श्री शिवचरण शर्मा को जुलाई 1999 से बढ़े हुए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान एवं वी. आर. एस. के उपरान्त देय परिलाभ के एरियर के आदेश दिनांक 8.8.2001 को जारी किये गये। प्रति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। स्वैच्छिक सेवा निवृति मद में राशि उपलब्ध न होने तथा निगम की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है।

(5) निगम को राशि प्राप्त होने पर उक्त कर्मी श्री शिवचरण शर्मा को भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से कोई दोषी नहीं है, वित्तीय परिस्थितियों के खराब होने के कारण ही भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अन्तरराष्ट्रीय धावक (अंधे) को पुरस्कार

2. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेल कूद में भाग लेने वाले प्रतिभावान छात्रों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(2) क्या भारत व विदेशों में विजेता धावक व खिलाड़ियों को भी कोई प्रोत्साहन राशि या छात्रवृत्ति तथा और कोई फायदे देने का प्रावधान है ?

(3) क्या अंधों की दौड़ में भारत में प्रथम व अमेरिका में तीसरे स्थान पर प्रतिभा प्राप्त कर चुके धावक को कोई खेल जगत से वजीफा का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रोत्साहन राशि दी जाती है। छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

(राज्य मंत्री, खेल कूद)

(3) राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन कर निर्धारित मापदण्डों अनुसार आवेदन करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने हेतु विचार किया जाता है।

मृतक मोहर्रर के आश्रितों को पेंशन

3. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि उद्योग निगम के गठन के फलस्वरूप राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी मण्डल के 47 मोहर्रर को अन्य विभागों में समायोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री महेन्द्र कुमार मोहर्रर द्वितीय को सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कार्यमुक्त करने से पूर्व ही निधन हो गया था?

(3) क्या स्व. श्री महेन्द्र कुमार के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो पेंशन आदि स्वीकृत करने का दायित्व किस विभाग का है? क्या इनके आश्रित ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो क्या इनको नियुक्ति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

(4) क्या जिन 47 मोहर्रर को अधिशेष किया गया है उनके पक्ष में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त निर्णय स्व. श्री महेन्द्र कुमार पर लागू होता है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री महेन्द्र कुमार मोहर्रर की दिनांक 6.2.71 को मृत्यु हो गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कार्यमुक्त करने का कोई प्रश्न नहीं था।

(3) स्व. श्री महेन्द्र कुमार के आश्रित को पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(3)वित्त/व्यय-3/93 दि. 20.9.1995 के द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिनांक 1.4.1994 से ही पेंशन देय है। स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा मोहर्रर के आश्रित श्री विनोद कुमार दीक्षित ने दिनांक 13.2.1991 को मृत आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इन्हें मृतक के आश्रित के रूप में नियुक्ति नहीं दी गई है। क्योंकि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा मोहर्रर राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी मण्डल में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। वर्कचार्ज कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति देने का प्रावधान मृतराज्य कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति नियमों 1975 में नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री विनोद कुमार ने नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट सं. 6639/93 दायर की थी जिसे माननीय न्यायालय के निर्णय

(कृषि मंत्री)

दिनांक 4.7.1996 के द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्ति देय नहीं है।

(4) कृषि अभियांत्रिकी मण्डल के विभिन्न कामगारों की यूनियनों ने इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वाद संख्या 70/70 दायर किया। ट्रिब्यूनल ने केवल 39 कामगारों के पक्ष में ही निर्णय दिया जिसमें श्री महेन्द्र कुमार सहित 4 मोहर्रर भी सम्मिलित है। (प्रति संलग्न है) इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने वाद संख्या 70/70 पर दिनांक 2.2.1987 को जो अवार्ड दिया है वह श्री महेन्द्र कुमार के प्रकरण पर भी लागू होता है। न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना की जा चुकी है एवं श्री महेन्द्र कुमार के आश्रितों को देय बकाया भुगतान कर दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दोषी सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

4. **श्री ललित भाटी** (अजमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय हरमाड़ा (जयपुर) हाल सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़ के विरुद्ध पुलिस थाना चौमूं (जयपुर) में कई प्रकरण दर्ज हुए हैं? क्या कृषि विभाग इसकी जानकारी कराकर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चौमूं में प्रकरण संख्या 95/2000 व इससे पूर्व श्री नानू राम यादव (कानरपूरा) के साथ मारपीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था और अब थानाधिकारी चौमूं ने उक्त के विरुद्ध एक 107-116 (3) में जाफ्ता फौजदारी के अन्तर्गत इस्तगासा ए. सी. एम. कोर्ट की न्यायालय में दिनांक 29.10.2001 को पेश किया है?

(3) क्या उक्त व्यक्ति आदतन अपराधी प्रकृति का है और उक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जानकारी कराकर दोषी को नियमान्तर्गत दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा के विरुद्ध थाना चौमूं में मुकदमा संख्या 95/2000 दर्ज है जो न्यायालय ए.सी.जे.एम. चौमूं में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 107/116(3) सी.आर.पी.सी. का इस्तगासा न्यायालय ए.सी.एम. में दर्ज है। यदि न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) यदि न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध कोइ आदेश पारित किया जाता है तो

(कृषि मंत्री)

विभाग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद

5. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत रबी तथा खरीफ की फसलों में सरसों, जौ, बाजरा व मूंगफली की कितनी फसल पैदा हुई तथा राजफैड व राजस्थान की अन्य एजेन्सियों द्वारा कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर खरीद की गई ?

उत्तर

खाद्यान्नों एवं तिलहनों की खरीद क्रमशः भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम एवं नाफेड के एजेंट के रूप में राजफैड एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है। रबी 2000-2001 तथा खरीफ 2001 के अर्न्तगत विभिन्न फसलों का उत्पादन अनुमान एवं विभिन्न एजेन्सियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम फसल	उत्पादन (लाख टन)	समर्थन मूल्य पर खरीद (लाख टन)
सरसों	13.03	2.50
जौ	4.10	0.61
बाजरा	25.15	0.34
मूंगफली	3.02	0.28

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना पर व्यय

6. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई और स्थापना वर्ष से लगाकर अब तक राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए नियोजित की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना दिनांक 1 अगस्त, 1987 को हुई थी एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजित राशि संलग्न प्रपत्र में वर्णित है।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जिला पाली में वार्ड ब्वाय के पदों की समाप्ति

7. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में अक्टूबर 2001 में 10 वार्ड बाय के पद समाप्त किये है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद समाप्त करने में कोई मानदण्ड गाइड लाइन या पोलिसी निर्धारित किये बिना ही पक्षपातपूर्ण तरीके से स्थान चयन किये है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसराम मोरदिया)

(3) क्या उच्चीकृत उप केन्द्र गजनीपुरा (पाली) से वार्ड बाय का पद राजनैतिक द्वेष भावना से समाप्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उच्चीकृत उप केन्द्र गजनीपुरा के स्थान पर किसी अन्य उप केन्द्र से वार्ड बाय का पद समाप्त कर गजनीपुरा में वार्ड बाय का पद यथावत कायम रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक सं.13(2) चिस्वा/2/01 दिनांक 31.5.01 के द्वारा निम्न 10 उच्चीकृत उप केन्द्रों पर वार्ड बाय के पद समाप्त किये गये

1. बोया 2. बारवा 3. गजनीपुरा 4. भावरी 5. सेवरिया 6. केकिन्दडा 7. देवरिया 8. घाणेराव 9. मैसिया 10. फैकारिया

(2) जी नहीं। आयोजना भिन्न बजट निर्णायक समिति 2001-02 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रिक्त पदों को विभाग के आदेश क्रमांक 213-38 दिनांक 21.7.2001 के द्वारा समाप्त किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। बजट निर्णायक समिति की बैठक की अभिशंसानुसार पद समाप्त किये गये हैं, वापस सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सवाई मानसिंह कालेज में रिक्त तकनीकी कर्मियों के पद

8. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर में वर्तमान में सीनियर लेब टेक्नीशियन, क्यूरेटर, टेक्नीकल असिस्टेंट एवं सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट के कितने-कितने पद कब से स्वीकृत/रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में सीनियर लेब टेक्नीशियन, क्यूरेटर, टेक्नीकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट की स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प. 4(2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर डी.पी.सी. की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

निजी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रशिक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय का उपयोग

9. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :—

(1) क्या राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज अथवा विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है ?

(2) क्या यह सही है कि निजी क्षेत्र के कालेज अथवा विश्वविद्यालय को राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल या मेडिकल कालेज, जयपुर की प्रयोगशालाओं व अन्य जांच केन्द्रों के इस्तेमाल का अधिकार दिया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ऐसा किया गया तथा इस कार्य में राज्य की जनता का क्या हित है ?

(3) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल कालेज स्थापित कराने बाबत कोई पालिसी लागू की है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये है। विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई अनापत्ति प्रमाण-प्रत्र नहीं दिया गया है।

(2) महाराज विनायक डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा स्थापित दन्त चिकित्सा महाविद्यालय को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर से 5 वर्षों के लिये सम्बद्धता प्रदान की गई है। शर्तों की प्रति संलग्न है। राज्य के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो रही है। परिशिष्ट "अ"

(3) जी हां। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ब"

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों का मुख्यालय पर ठहराव

10. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को मुख्यालयों पर रहना जरूरी है ? यदि हां, तो ग्राम बल्दू, बालसमन्द, लैड़ी, ठाकरास, विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में नियुक्त डाक्टर न तो वहां निवास करते हैं और ना ही अस्पताल के समय ही नियुक्त स्थान पर उपलब्ध होते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) चिकित्सक समय पर उपस्थित रहे और नियुक्त स्थान पर निवास कर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है जो कहां तक कारगर साबित हुई ?

(3) क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहती है जिससे चिकित्सक अपनी सही सेवाएं दे ? यदि हां, तो क्या और किस प्रकार से कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बल्दू, बालसमन्द, लैड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर कार्यरत चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्मित

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

राजकीय आवासों में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाकरियावास पर कार्यरत चिकित्सक राजकीय आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण किराये के आवास में निवास करते हैं। तथा नियुक्ति स्थान पर ही उपलब्ध रहते हैं।

(2) चिकित्सक समय पर उपस्थित रहे एवं नियुक्ति स्थान पर निवास करें इस व्यवस्था की सुनिश्चिता हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रमण करने पर निरीक्षण किया जाता है।

(3) जी हां। वर्तमान में भी चिकित्सक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

11. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में फार्मासिस्ट प्रशिक्षण हेतु कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है? विवरण महाविद्यालय अनुसार डी. फार्मा/बी. फार्मा की संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों से डिग्री प्राप्त हजारों फार्मासिस्ट या तो बेरोजगार हैं या मात्र उनके नाम का उपयोग कर व्यवसाय कोई और व्यक्ति कर रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकारी चिकित्सालयों में जहां फार्मासिस्ट का पद होना अनिवार्य है, उक्त पदों पर अयोग्य व्यक्ति कार्यरत है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में फार्मासिस्ट प्रशिक्षण हेतु क्रमशः बी. फार्मा., डी. फार्मा. 250+600=850 कुल सीटें निर्धारित की गई है। विवरण महाविद्यालय अनुसार संलग्न है।

(2) राज्य में विभिन्न महाविद्यालयों से डिग्री प्राप्त फार्मासिस्टों के 16330 रजिस्ट्रेशन है एवं इनसे से 11787 खुदरा विक्रेताओं को अनुज्ञापत्र दिये गये हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं इसके अर्न्तगत बनी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नियुक्त कर औषधि के खुदरा व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। निरीक्षण के दौरान पंजीकृत फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाये जाने पर ड्रग लाइसेंसिंग अथोरिटी द्वारा विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(3) राज्य में पूर्व से ही जिला औषधि भण्डारों में फार्मासिस्ट कम कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत हैं एवं जहां उक्त पद स्वीकृत नहीं है वहां नर्सिग प्रशिक्षण प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारियों से चिकित्सकों की देखरेख में स्टोर प्रभारी का कार्य लिया जा रहा है राज्य सरकार विभिन्न चरण में इन अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट के

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

पद उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है व प्रथम चरण में ए, बी व सी क्लास के अस्पतालों में यह कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजकीय चिकित्सालय नावां में रिक्त पद

12. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नावां हैडक्वार्टर पर राजकीय चिकित्सालय किस वर्ष से संचालित है तथा उसकी वर्तमान श्रेणी क्या है व इस श्रेणी में वह कब से है ?

(2) क्या उक्त तहसील हैडक्वार्टर पर स्थित उक्त राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास समय-समय पर ज्ञापन आते रहे है ? यदि हां, तो इसे क्रमोन्नत करने का अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया है ?

(3) क्या वर्तमान सरकार इसे क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद लम्बे अर्से से रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर चिकित्सक कब तक लगा दिया जायेगा ?

(5) क्या ग्राम पंचायत हुडील के ग्राम चारणवास में सरकारी राशि से सब सेंटर भवन निर्माण कराया जा चुका है ? क्या उक्त भवन में अभी तक सब सेंटर चालू नहीं किया गया है जबकि ग्राम चितावा के सब सेंटर को एडपोस्ट में परिवर्तित कर दिया गया है ? क्या यहां का सब सेंटर चारणवास में स्थानान्तरित किया जा सकता है ? उक्त सब सेंटर को अब कितनी अवधि मे चालू करा दिया जावेगा ?

(6) क्या तहसील नावां में जो सब सेंटर खुले हुये हैं उनमें ग्राम खारिया में दो जगह सब सेंटर खोलने का उल्लेख है ? क्या यहां पर भी एडपोस्ट खोल दी गई है ? क्या उक्त कारण यहां का सब सेंटर भी चारणवास (हुडील) स्थानान्तरित हो सकता है ?

उत्तर

(1) तहसील नावां हैडक्वाटर पर वर्ष 1890 से राजकीय डिस्पेंसरी संचालित है। वर्तमान में 3 शैय्याओं युक्त डिस्पेंसरी एवं 6 शैय्याओं युक्त एम.सी.डब्ल्यू.सी. संचालित है।

(2) जी हां। राजकीय डिस्पेंसरी नावां को क्रमोन्नत करने के लिए समय-समय पर पत्र आदि आते रहे हैं। राज्य योजनान्तर्गत राजकीय डिस्पेंसरी नावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण राजकीय डिस्पेंसरी नावां का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(3) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में डिस्पेंसरियों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण राजकीय डिस्पेंसरी नावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(4) जी नहीं। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, नावां में डा. सविता शर्मा को जिला स्तर से समेकित वेतन पर नियुक्ति देकर पदस्थापित किया गया था उक्त महिला चिकित्सक बिना सूचना/स्वीकृति के स्वेच्छा से दिनांक 5.12.2001 से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार उक्त पद दिनांक 5.12.2001 से रिक्त चल रहा है। चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। ग्राम पंचायत हुडील के ग्राम चारणवास में सरकारी राशि से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कराया गया है। उक्त ग्राम में अभी तक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। ग्राम चितावा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को एडपोस्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। ग्राम चितावा का उप स्वास्थ्य केन्द्र चारणवास में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। 2001-2002 में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम चारणवास में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(6) जी नहीं।

जी हां। ग्राम खारिया में वर्तमान में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जी नहीं।

प्रतिनियुक्त कर्मियों की वापसी

13. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं?

(2) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित उक्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य कौन-कौन कर रहा है? क्या उसकी सेवाओं की मूल-पदस्थापन पर आवश्कता नहीं है? यदि हां, तो उक्त पद समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाए?

उत्तर

(1) राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य सम्पादन हेतु लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कार्य सम्पादन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी तौर पर लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य उन्हीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तथा शेष उपलब्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है। उसकी सेवाओं की मूल पदस्थापन स्थान पर आवश्यकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली एवं सीकर में स्वीकृत पद

14. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर एवं राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली में मरीजों की आउट डोर की संख्या गत तीन वर्षों में क्या रही है? माहवार मरीजों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल मोदी)

(2) उक्त दोनों अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने-कितने चिकित्सक यहां कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर एवं राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली में गत तीन वर्षों में आउट डोर में आये मरीजों की माहवार संख्या का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर एवं राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या का पदवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राजकीय चिकित्सालय बर्डोद (कोटा) का भवन

15. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में बर्डोद चिकित्सालय भवन हेतु स्वीकृत राशि अन्यत्र काम में ले ली गई है? यदि हां, तो बर्डोद चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य की क्या व्यवस्था की?

(2) क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में राशि की व्यवस्था कर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्डोद (कोटा) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगलवानी (अलवर) के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : एफ11(26) चिस्वा/2/95 दिनांक : 23.5.1997 के द्वारा संशोधित स्वीकृति जारी की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्डोद के भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) वर्ष 2002-2003 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य में भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण करवाये जाने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्डोद के भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सालय पुष्कर में रिक्त पद

16. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर धार्मिक नगरी होने के कारण सैकड़ों तीर्थयात्री पुष्कर आते रहते है और उन्हें गायनिक डाक्टर की सुविधा नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं की अकाल मौत होती रहती है?

(श्री रमजान खान)

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में गायनिक महिला डाक्टर का पद स्वीकृत नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में उक्त पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर महिला चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है। महिला चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध करवाया जाता है एवं गम्भीर रोगियों को अजमेर रेफर कर दिया जाता है।

(2) जी हां।

(3) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में राज्य योजनान्तर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के नये पदों के सृजन हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पद का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

चिकित्सालय बानसूर में चिकित्सकों का पदस्थापन

17. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बहरोड (अलवर) में किस श्रेणी का चिकित्सालय है? उक्त में कुल कितने किस-किस श्रेणी के चिकित्सक हैं?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में समस्त श्रेणी के पद पूर्ण रूप से भरे हुये हैं? यदि हां, तो पदवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में सभी उपकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या बानसूर रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों के पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से?

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बहरोड (अलवर) में चतुर्थ श्रेणी का 50 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, स्वीकृत है।

उक्त चिकित्सालयों में कुल 10 चिकित्सक के पद स्वीकृत है। इनका श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	5
वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी	2	1
चिकित्सा अधिकारी	2	1
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	1

(चिकित्सा, राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। स्थानान्तरण एवं प्रदोन्नति के कारण रिक्त है।

(3) जी हां।

(4) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद 30.9.1999 से एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद जुलाई, 2001 से रिक्त है।

(5) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर लगी रोक में शिथिलता होने पर पदोन्नति से उक्त रिक्त पदों का भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

जयपुर मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय में कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति

18. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय जयपुर में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है?

(2) क्या उक्त पद पदोन्नति से भरा जाना है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद को इस बार नियम के अनुसार सामान्य वर्ग से भरा जाना है? यदि हां, तो इसे सामान्य वर्ग से क्यों नहीं भरा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पद पर किसी अन्य को पदोन्नति दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त पद को अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रकरण परीक्षणाधीन है। सम्पूर्ण संवर्ग का परीक्षण करवाया जा रहा है यदि परीक्षणोपरान्त पद पदोन्नति का पाया गया तो भी वर्तमान में राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प4(2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 के कारण प्रतिबन्ध हटने तक पदोन्नति से भी भरा जाना संभव नहीं होगा।

(3) परीक्षणोपरान्त नियमानुसार पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार यथा समय कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

भीलवाड़ा के ग्राम कालीयास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

19. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के ग्राम कालीयास में कब से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बना हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों और अब-कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालीयास (आसीन्द) उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालीयास के भवन का निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

वर्ष 2001-2002 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालीयास के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की सड़कों का डामरीकरण

20. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार गैजी से चारवाड़ा, गैजी घाटा से गलन्दर, गंघवा से सीमलवाड़ा वाया साकरसी सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

उक्त तीनों सड़कें मिसिंग लिंक है। इनका निर्माण वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

जिला जयपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

21. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की ग्राम पंचायत जालसू से ग्राम पंचायत राधा किशनपुरा वाया खनीपुरा सड़क का निर्माण कब किस वर्ष में किया गया था?

(2) उक्त सड़क की मरम्मत निर्माण के पश्चात् कब-कब कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम रायथल तहसील आमेर से छोटी डूंगरी वाया रामपुरा तहसील फुलेरा तक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत डामरीकरण की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो कब?

(5) उक्त सड़क पर अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण है? अब कब तक सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला जयपुर की ग्राम पंचायत जालसू से राधा किशनपुरा वाया खनिपुरा सड़क का निर्माण निम्न वर्षों में किया गया था :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(अ) कि.मी. 0/0 से 4/500 वर्ष 1993-94 (राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा)

(ब) कि.मी. 4/500 से 8/0 वर्ष 1993-94 (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा)

(2) उक्त सड़क की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) उक्त सड़क के कि.मी. 0/0 से 4/500 आर.यू.पी. फैज प्रथम में स्वीकृत है तथा इसका कार्य मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाना है। कि.मी. 4/500 से 8/0 तक सड़क का पेच रिपेयर विभाग द्वारा 6/2002 तक राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकता के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

(4) छोटी डूंगरी (चौमू रेनवाल सड़क) से रामपुरा (1079 एजपर प्रोजेक्टेड 2001) तक 6.0 कि.मी. की लम्बाई प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रस्तावित है, स्वीकृति अपेक्षित है।

(5) स्वीकृति प्राप्त नहीं है, स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला पाली में प्रधानमंत्री योजना अर्न्तगत निर्मित सड़कें

22. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक जिला पाली में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत कौन-कौन से सड़क मार्गों का निर्माण कितनी-कितनी राशि का किस-किस ठेकेदार को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना अन्तर्गत दिये गये ठेके के कार्य पूर्ण कर लिये गये है? यदि नहीं, तो अपूर्ण रहे सड़क मार्गों के काम का विवरण मय ठेकेदार के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना अन्तर्गत उक्त जिले के कौन-कौन से सड़क मार्ग कितनी लम्बाई के नई नीति के अनुसार न्यूनतम मोटाई के सड़क मार्गों को प्रस्तावित किये गये है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डामरीकृत मार्गों पर पुलिया निर्माण के प्रस्ताव जिला स्तर पर समीक्षा कर राज्य सरकार को भेजे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रस्तावित मार्गों की पुलियाओं के निर्माण में किस कारण से विलम्ब हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक पाली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों की सूची मय कार्यादेश राशि व ठेकेदार के नाम के प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य पूर्ण नहीं हुये है, कार्य प्रगति पर है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी हां। डामरीकृत सड़कों पर पुलिया निर्माण के राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्तावों की सूची प्रपत्र "द" में संलग्न है।

(5) उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किये गये थे। भारत सरकार ने इन कार्यों को स्वीकृत नहीं किया है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड एवं बानसूर (अलवर) में डाक बंगलों का निर्माण

23. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहरोड उप खण्ड मुख्यालय है ?

(2) क्या सरकार बहरोड व बानसूर में डाक बंगलों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं।

जिला जैसलमेर की अनुदानित शिक्षण संस्थाएं

24. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड है ?

(2) राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की कितनी संस्थाएं अनुदानित है ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में मात्र एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय अनुदानित है ?

(4) क्या अनुदान देने हेतु राज्य सरकार की कोई समिति गठित है ? यदि हां तो उसकी बैठकें गत पांच वर्षों में कितनी हुई तथा किन विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया ?

(5) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्र जैसलमेर की शिक्षण संस्थाओं को अनुदानित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 7 एवं 8 तथा अनुदान नियम, 1993 के नियम 9 से 16 के प्रावधानानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) राज्य में 346 प्राथमिक, 210 उच्च प्राथमिक, 100 माध्यमिक एवं 146 उच्च माध्यमिक स्तर की संस्थाएं अनुदानित है। जिलेवार संख्या की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 11 के अनुसार समिति का गठन किया हुआ है। गत पांच वर्षों में केवल एक वर्ष 1997-98 में ही समिति की बैठक हुई जिसमें 05 विशिष्ट (अन्ध, मूक बधिर, मन्द बुद्धि) विद्यालयों एवं 01 विशिष्ट छात्रावास के अनुदान के प्रतिशत में वृद्धि की गई, जो पूर्व में अनुदान सूची पर थे। परिशिष्ट "ख" संलग्न है। पिछले पांच वर्षों में किसी भी नई संस्था को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है।

(5) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष में वर्तमान में किसी भी नयी संस्था को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा छात्रों को पाठ्यक्रम भेजने में अनियमितता

25. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मार्च, 2002 में होने वाली माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में बैठने वाले (दूरस्थ शिक्षा) छात्रों को पत्राचार पाठों को भेजने की व्यवस्था करती है? यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम बच्चों को कब-कब और किन महीनों में भेजे जाने का प्रावधान रखा हुआ है? उक्त जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम कुल कितने छात्रों को भेजा जाना था और उक्त छात्रों को कब-कब तथा कितनी बार भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष भेजे गये पाठ्यक्रम समय पर प्रिन्ट नहीं होने के कारण विलम्ब से भेजे गए तथा कई छात्रों को बिना पते के पाठ्यक्रम भेजे गए जिससे वापस लौटकर डाक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आ गई जिससे हजारों रुपयों का व्यर्थ खर्च लगा तथा छात्र उक्त सुविधा से वंचित रहे? उक्त सबके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या इसका समस्त उत्तरदायित्व बोर्ड अध्यक्ष का बनता है?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञप्ति की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। "परिशिष्ट-1"

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत ओपन (सै०) में 29349 एवं उच्च माध्यमिक कला वर्ग में 18716 परीक्षार्थी तथा उ० मा० वाणिज्य वर्ग में 1729 परीक्षार्थी को भेजे जाने थे। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग परीक्षार्थीयों की सुलभता की दृष्टि से सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री 1 से 5 किश्त निर्धारित समय से पूर्व अर्थात 10 दिसम्बर, 2001 तक भेज दी गई थी। ओपन व कला वर्ग के पंजीकृत परीक्षार्थियों को भेजे गये पाठों का विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) ओपन (माध्यमिक) पाठ्य सामग्री विभिन्न किस्तों में दिनांक 12 दिसम्बर 2001

(शिक्षा मंत्री)

से 11 फरवरी, 2002 तक परीक्षार्थियों को प्रेषित कर दी गई। किस्तवार व दिनांक वार विवरण परिशिष्ट-2 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ब) उच्च माध्यमिक कला वर्ग की पाठ्य सामग्री विभिन्न किश्तों में 31 दिसम्बर 2001 से 13.2.2002 तक छात्रों को प्रेषित कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-3 सदन के पटल पर रख दिया गया है

(3) जी हां। यह सही है कि कला व ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम को तकनीकी कारणों से विलम्ब से भेजा गया है। छात्रों को बिना पते के कोई पाठ प्रेषित नहीं किये गये है छात्रों द्वारा आवेदन पत्रों में अपूर्ण पते लिख दिये जाने अथवा अंकित पते पर छात्र के उपलब्ध न हो पाने के कारण कुल 1213 पाठ वापस लौटकर आये जिन्हें पुनः प्रेषण में अनुमानितः 9700/- रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ इन सब के लिए जो अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है उनके विरुद्ध इस प्रकरण में जांच सचिव स्तर से की जा रही है जिसकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जीव विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण

26. श्री रेवतराम पंवार (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक (मा.) जयपुर द्वारा जीव विज्ञान (पुरुष वर्ग) में द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक के पदों पर कुल 59 नियुक्तिया दी गई? यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग को कितनी-कितनी नियुक्तियं दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आशार्थी सामान्य मैरिट में आने पर सामान्य वर्ग में माने जायेंगे या आरक्षित कोटे में?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग के जो आशार्थी सामान्य मैरिट में आये थे उनको सामान्य वर्ग में नहीं माना गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में विभाग ने तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक (मा.) जयपुर को प्राथमिक तौर पर दोषी पाये जाने पर पद से हटा दिया था तथा वर्तमान में संयुक्त निदेशक (कार्मिक) शिक्षा निदेशालय में ऐसे महत्वपूर्ण पद पर लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक (मा.) जयपुर द्वारा उक्त नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं की जांच मार्च, 1999 से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? क्या जांच हो चुकी है?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में श्री रामगोपाल एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका 1641/99 के निर्णय में विभाग को यह निर्देश दिया है कि विभाग उक्त नियुक्तियों में लम्बित प्रकरण की अतिशीघ्र जांच करके प्रार्थियों को जवाब दे एवं उन्हें संतुष्ट करें?

(श्री रेवतराम पंवार)

यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी?

(7) क्या यह भी सही है कि शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक शिउनि/मा/सामा5/पा444/75 दिनांक 20-4-2000 में उक्त नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं को स्वीकार किया है? क्या उक्त नियुक्तियों में आरक्षण के नियम की पालना होती तो पिछड़ा वर्ग के अनीता यादव, रामगोपाल एवं मिथलेश वर्मा भी नियुक्ति के पात्र होते? यदि हां, तो उक्त को नियुक्ति क्यों नहीं दी है और इन्हें अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के 09, अनुसूचित जनजाति के 07 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 आशार्थियों को नियुक्तियां दी गई थी। सदन की मेज पर सूची रख दी गई है।

(2) सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आशार्थी सामान्य मैरिट में आने पर सामान्य मेरिट में माने जावेंगे।

(3) प्रकरण में तथ्यों की जांच हेतु प्राथमिक जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। प्राथमिक जांच प्रक्रियाधीन है। निदेशालय में सयुक्त निदेशक/उप निदेशक के रिक्त पद होने के कारण कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु निदेशालय में ही कार्यरत अधिकारियों को रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, जिसके तहत तत्कालीन उप निदेशक (मा.), जयपुर वर्तमान में उप निदेशक (समाज शिक्षा) को संयुक्त निदेशक (कार्मिक) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

(5) जी हां। इस प्रकरण में जांच के कई बिन्दु समाहित होने से प्राथमिक जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है।

(6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन दिया गया है या प्राप्त हुआ है तो सम्बन्धित विभाग का यह कर्तव्य है कि वह इसका प्रतिउत्तर याचिकार्थी को दे व उनकी परिवेदना को संतुष्ट करे व इस क्रम में अभ्यावेदन का शीघ्र निस्तारण करें। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(7) इस प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों की प्राथमिक जांच प्रक्रियाधीन है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर (झुंझुनूं) की प्रधानाध्यापिका को संशोधित वेतनमान

27. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं में राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर में

(श्री शिवनाथ सिंह)

कार्यरत प्रधानाध्यापिका को दिनांक 4-12-1969 से सीधी भर्ती द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला में शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त को विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 1-4-1993 से प्रधानाध्यापिका के पद पर चयन कर दिया गया तथा क्रमांक 112 पर सूची में रखा गया?

(3) क्या यह सही है कि क्रमांक 112 के बाद वाले क्रमांकों पर स्थित अन्य को पदोन्नति दे दी गई तथा इन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से देय संशोधित वेतनमान से भी इन्हें वंचित रखा जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। श्रीमती परमेश्वरी चौधरी वरिष्ठता क्रमांक : 112 का नाम एवं 1998-99 व 1999-2000 की डी.पी.सी. में चयन हेतु चयन समिति के समक्ष यथास्थान प्रस्तावित किया गया था परन्तु श्रीमती चौधरी के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम-17 के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने तथा असंवयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के परिणामस्वरूप चयन समिति ने इन्हें उप प्राचार्य के पद हेतु अनुपयुक्त मानते हुए चयन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप इन्हे पदोन्नति नहीं दी गई।

(4) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.16(5)एफ.डी.रुल्स/98 दिनांक: 7.8.1998 के परिपेक्ष्य में परीक्षण हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

राज्य के पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को संशोधित वेतनमान

28. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने देशभर में पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पी.टी.आई. के वेतनमान, पांचवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधन करने की अभिशंसा की है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अभिशंसा के अंतर्गत केवल शिक्षकों को ही पांचवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है?

(3) क्या सरकार पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पी.टी.आई. शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3). पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पी.टी.आई. को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के अनुसार राज्य के पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अभिशंसानुसार वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

जिला जैसलमेर के गांवों को विद्युतीकरण

29. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व गांव के विद्युतीकरण के क्या नियम है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने प्रतिशत गांव विद्युतीकृत है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो जिले विद्युतीकरण में पिछड़ गए है, को ग्रामीण विद्युतीकरण में उक्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण में जैसलमेर जिले के कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया ? उक्त क्रम में वर्तमान राजस्व गांव कितने वर्षों में विद्युतीकृत होंगे ?

(5) क्या राज्य सरकार व निगम पिछड़े जिलों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्व ग्राम में विद्युत की मांग व निकटतम उपलब्ध विद्युत तंत्र के आधार पर निर्धारित वार्षिक लक्ष्यानुसार विद्युतीकरण किये जाने का प्रावधान है। लक्ष्यानुसार चयनित ग्रामों में आबादी बाहुल्य ग्रामों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों आदि को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(2) राज्य में माह फरवरी, 2002 तक वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 93.65 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत घोषित है। विद्युतीकृत ग्रामों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जिन जिलों में विद्युतीकरण प्रतिशत कम है उनमें विद्युत तंत्र को मद्दे नजर रखते हुए वार्षिक कार्यक्रम में विद्युतीकरण के अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया हुआ है।

(4) वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका अनुसार जैसलमेर जिले के कुल 578 ग्रामों में से माह, फरवरी, 2002 तक 290 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के सापेक्ष भिन्न है। यहां ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु ज्यादा नेटवर्क की आवश्यकता के सापेक्ष कनेक्शनों की मांग न्यूनतम होने के कारण, साध्यता में कमी होने के कारण यह जिला विद्युतीकरण के लिहाज से राज्य के प्रतिशत विद्युतीकरण के सापेक्ष पिछड़ा हुआ है। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वार्षिक संसाधनों की उपलब्धता व निर्धारित

(उर्जा मंत्री)

वार्षिक लक्ष्यानुसार अगामी वर्षों में किया जाना है। निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(5) जी हां। राज्य के पिछड़े जिलों को प्रदेश के अन्य जिलों के समकक्ष विद्युतीकरण किये जाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं में प्रावधान किया हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राज्य में कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

30. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में कृषि कनेक्शनों हेतु कोई प्रतीक्षा सूची है? यदि हां, तो जिलेवार प्रतीक्षारत कृषि कनेक्शन आवेदकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतीक्षारतों को कब तक कनेक्शन मुहैया करा दिये जायेंगे?

(3) राज्य में प्रचलित किस-किस श्रेणी के उपभोक्ताओं से किस दर से (प्रति यूनिट) पैसा वसूला जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य की विद्युत कम्पनियों का कितना घाटा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मार्च, 2001 तक प्रतीक्षारत कृषि कनेक्शन आवेदकों की संख्या सूची का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) प्रति वर्ष कृषि कनेक्शन दिये जाने की नीति निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। प्रति वर्ष स्वीकृत योजनानुसार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निर्धारित नीति अनुसार प्राथमिकता से कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है एवं शनैः शनैः सभी साध्य आवेदकों को उपलब्ध विद्युत तंत्र/ संसाधनों के अनुसार कनेक्शन दिये जाने का विचार है। सीमित संसाधनों के कारण सभी आवेदकों को एक साथ कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) राज्य के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) राज्य के जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को वर्ष 2001-02 में बजट अनुमानों के अनुसार क्रमशः 305.47, 345.89 व 393.54 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

ग्राम पंचायत बाटडानाऊ, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में आम रास्ते पर विद्युत पोल

31. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बाटडानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में प्रशासन गांवों के संग में ग्रामवासियों द्वारा गांव से भाऊजी की

(श्री भंवरू खान)

ढाणी जाने वाले आम रास्ते पर बिजली का खम्भा रोप कर रास्ते को रोकने के संबंध में ग्रामवासियों ने शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? क्या खम्भा हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में सरकार प्रशासन गांवों के संग प्रभारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) अब तक आम रास्ते का खम्भा नहीं हटाने के सम्बन्ध में सरकार उचित कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करना चाहती है क्या उक्त कार्यवाही इसी दिन मौके पर ही करनी चाहिए थी? अब तक खम्भा नहीं हटाने का क्या कारण रहा? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नये कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति को कितने खम्भे बिना चार्ज के मिलते है तथा कनेक्शन देने का क्या प्रावधान है? क्या ग्राम पंचायत बाटडानाऊ में अवैध बिजली के कनेक्शन भी ले रखे है? यदि हां, तो कितने? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्य करना चाहती है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान रास्ते में पोल के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी समय कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका स्थल देखकर पोल शिफ्ट करने के लिये 1520/- रुपये का एस्टीमेट बनाकर शिकायतकर्ताओं को राशि जमा करवाने हेतु सूचित कर दिया गया था तथा दिनांक 29.12.2001 को मांग पत्र भी जारी कर दिया गया था परंतु राशि जमा न होने के कारण पोल हटाने का कार्य नहीं किया जा सका।

(2) जी नहीं। वर्तमान में शिफ्टिंग चार्जेज जमा होने पर ही पोल शिफ्ट करने का प्रावधान है। अतः राशि उसी समय जमा न होने से पोल नहीं हटाया जा सका। अगर राशि जमा हो जाती तो पोल शिफ्ट कर दिया जाता। अब राशि जमा होने पर पोल शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) नये कनेक्शन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को आबादी भूमि में 200 मीटर तक की दूरी के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके पश्चात् तथा आबादी भूमि से बाहर सिंगल फेंस लाइन के लिए 100/- रु. प्रति मीटर तथा तीन फेस लाइन के लिए 150/- रु. प्रति मीटर लिए जाते है। कृषि कनेक्शन के लिए आठ पोल तक 3500/- रु. प्रति हार्स पावर एक पोल के चार्जेज लिए जाते है। इसके बाद के पोल के लिए 11,000/- रुपये प्रति पोल लिए जाते है। अन्य उपभोक्ताओं से लाइन को वास्तविक खर्चा वसूल किया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार बाटडनाऊ पंचायत में कोई अवैध विद्युत कनेक्शन नहीं है।

राज्य में बिजली बचत की नयी तकनीक का उपयोग

32. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि श्री श्याम सुन्दर जांगीड़ लाडनूं, जिला नागौर ने उद्योगों में बिजली बचत की नई तकनीक विकसित की है और उन्होंने इस तकनीक को विभाग द्वारा परीक्षण के लिये ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार को निवेदन किया था? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(2) क्या इन्होंने यह भी दावा किया है कि इनके द्वारा विकसित तकनीक से पचास प्रतिशत बिजली की बचत होती है? यदि हां, तो इसका परीक्षण विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार इस तकनीक का परीक्षण करके सही पाये जाने पर इसको प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब इसका परीक्षण करके सत्यापन करने का कार्य कब तक कर सकेगी?

उत्तर

(1) श्री श्याम सुन्दर जांगिड़ लाडनूं, जिला नागौर को अभ्यावेदन, जिसमें भौतिक शास्त्र के नियमों के विपरीत एक सिद्धान्त का विवरण दिया है जो तकनीकी रूप से साध्य नहीं हो सकता है। अभ्यावेदन में किसी विकसित यंत्र का कोई विवरण नहीं है न ही किसी प्रयोग का विवरण है। इस प्रकार के पत्र पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(2) बिना यंत्र के माडल अथवा विस्तृत जानकारी के बिना कोई परीक्षण सम्भव नहीं है।

(3) परीक्षण के बिना कोई सत्यापन सम्भव नहीं है।

जिला सवाईमाधोपुर, दौसा एवं करौली के दोषी विद्युत उपभोक्ता

33. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर, करौली एवं दौसा में उपभोक्ताओं के डिफाल्टर हो जाने के कारण कितने गांवों की बिजली कब-कब काट दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बिजली काटे हुए गांवों पर निगम की कितनी-कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम ऐसी राशि को वसूल करने का क्या तरीका अपनाता है?

(4) उक्त जिलों में इतने कितने प्रकरण है जिनमें बकाया नहीं देने पर भूमि निलामी की कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर, करौली व दौसा में विद्युत बिल की राशि जमा न कराने के कारण क्रमशः 37,5 एवं 2 गांवों की बिजली काटी गई है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त गांवो में विद्युत उपभोक्ताओं में बकाया राशि का ग्राम वार विवरण

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(3) उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए विद्युत वितरण निगम कनेक्शन काटने व इ.यू.डी.आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही करता है।

(4) उक्त जिलों में बकाया राशि वसूल करने के लिए भूमि नीलामी करने की कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विद्युत कम्पनियों द्वारा मांग राशि में परिवर्तन

34. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1 दिसम्बर, 1998 के बाद ऊर्जा विभाग के ढांचे में परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो पूर्व व बाद की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तिथि के बाद विभिन्न दरों में कनेक्शन लेने हेतु मांग राशि में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 की दर सूची व दिनांक 27 फरवरी, 2002 को लागू दर (विभिन्न श्रेणी) की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वृद्धि से आम उपभोक्ता परेशान है? यदि नहीं, तो कैसे?

उत्तर

(1) दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के बाद ऊर्जा विभाग के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन विद्युत सुधार कार्यक्रम के तहत दिसम्बर 1998 के बाद 19 जुलाई, 2000 को तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर पांच निगमों की स्थापना की गई जो निम्नप्रकार है :—

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन पूरे राज्य की उत्पादन ईकाइयां आती है, इसी प्रकार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादन निगम एवं राज्य के बाहर से विद्युत खरीद कर तीनों विद्युत वितरण निगमों को बेची जाती है। तीनों वितरण निगमों में राज्य के कुल 32 जिलों मे से जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन 12 जिलों की विद्युत वितरण व्यवस्था, अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन 10 जिलों की विद्युत वितरण व्यवस्था एवं जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन 10 जिलों की विद्युत वितरण व्यवस्था रखी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2). दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के बाद एवं दिनांक 27.2.2002 को विभिन्न श्रेणियों में कनेक्शन लेने के लिए लाइन विस्तार की मांग राशि में जो परिवर्तन किया गया है वह संलग्न परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त मदों में मामूली बढ़ोतरी शनैः शनैः पूर्व में भी होती रही है, जो कि सामान की लागत व संधारण के खर्चों के अनुरूप ही रखी जाती है। आम उपभोक्ता की परेशानी को ध्यान रख कर ही इन दरों मे न्यूनतम सम्भव बढ़ोतरी की जाती है। यह एक सामान्य प्रकिया है, इसमें उपभोक्ताओं से सदैव सहयोग अपेक्षित है, यद्यपि इस विषय में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा पर अनुदान

35. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दस जमा दो के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये विभाग प्रत्येक को कम्प्यूटर शिक्षा के लिये 400 रुपये प्रतिमाह की दर कम्प्यूटर संस्थानों को अनुदान राशि दे रहा है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितना अनुदान दिया जा चुका है?

(2) क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये भी उक्त तर्ज निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है? यदि हां, तो उक्त दो वर्षों में उक्त छात्रों के हित में निजी कम्प्यूटर संस्थानों को कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग में यह योजना नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) समाज कल्याण विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को वित्त निगम द्वारा ऋण

36. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग को वित्त निगम द्वारा रियायती दर पर कुल कितनी ऋण राशि वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में बांटी गई?

(2) उक्त ऋण किस-किस जिले में किस-किस परियोजना हेतु किन-किन पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को वितरित किया गया? लाभान्वित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थान पता, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्त निगम की किन-किन नई परियोजनाओं पर ऋण प्रदान करने की योजना

(श्री देवीसिंह भाटी)

है व कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को वर्ष 2000-2001 मे 57,67,339/- रुपये एवं वर्ष 2001-2002 में 86,40,433/- रुपये की ऋण राशि बांटी गयी।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित पात्रताधारी व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया। जिलेवार एवं लाभार्थिवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) वित्त निगम की कृषि क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन, लघु उद्योग, परिवहन क्षेत्र एवं छोटे व्यवसाइयों की नई परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिये वित्त निगम ने 587.50 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से अनुमोदित कराली है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उच्च प्राथमिक विद्यालय दांतड़ा (अजमेर) में अध्यापकों के रिक्त पद

37. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दांतडा पंचायत समिति पीसांगन के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीन अध्यापकों की कमी चल रही है तथा एक अध्यापिका गैर हाजिर चल रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में चल रहे तीन अध्यापकों की कमी को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम दांतड़ा पंचायत समिति पीसांगन में उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) विद्यालय संचालित नहीं होने की स्थिति में रिक्त पद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

लोक जुम्बिश परिषद् द्वारा रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार

38. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर में फरवरी, 2002 में विभिन्न पदों के चयन हेतु साक्षात्कार लिये गये है ? यदि हां, तो किस-किस पद के लिये साक्षात्कार लिये जा रहे है ? साक्षात्कार के लिये निकाली गई विज्ञप्ति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों हेतु कितने आशार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये ? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभूलाल करसोल्या)

(3). उक्त साक्षात्कार हेतु कितने आशार्थियों को आमंत्रित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त साक्षात्कार में आशार्थियों को आमंत्रित करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त साक्षात्कार में निकाली गई विज्ञप्ति के अतिरिक्त भी अन्य पदों हेतु सहमति चाही गई है? यदि हां, तो उक्त पदों हेतु नियुक्ति किन नियमों के तहत चाही गई है? नियम/आदेश/निर्देश का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर में माह फरवरी, 2002 में सहायक निदेशक, अकादमिक अधिकारी, सहायक अकादमिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों के चयन हेतु साक्षात्कार लिये गए। विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सहायक निदेशक के पद हेतु 108 आशार्थियों ने, अकादमिक अधिकारी हेतु 188 आशार्थियों ने, सहायक अकादमिक अधिकारी पद हेतु 159 एवं प्रशासनिक अधिकारी हेतु 43 आशार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। नाम व पद सहित विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) सहायक निदेशक के पद हेतु 27 आशार्थियों को, अकादमिक अधिकारी पद हेतु 43 आशार्थियों को, सहायक अकादमिक अधिकारी पद हेतु 52 आशार्थियों को एवं प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु 23 आशार्थियों को आमन्त्रित किया गया है। सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(4) मानदण्ड प्रकाशित विज्ञप्ति में दिये गये हैं। जो परिशिष्ट "क" में निहित है।

(5) जी हां। यह सहमति मांगी गयी थी किन्तु विज्ञापित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु साक्षात्कार नहीं लिये गये।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति हनुमानगढ़ में लम्बित सामाजिक सुरक्षा सहायता के आवेदन पत्र

39. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ पंचायत समिति, हनुमानगढ़ में सामाजिक सुरक्षा सहायता के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु उपरांत देय राशि से सम्बंधित आवेदन गत दो वर्षों में मार्च, 2000 से फरवरी, 2002 तक कितने प्राप्त हुए? उक्त व्यक्तियों की मृत्यु कब हुई और कब आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

(2) उक्त आवेदन कर्ताओं में से कितनों की स्वीकृति कब कब जारी हुई और किस किस आवेदनकर्ता को कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया तथा कितने आवेदनकर्ताओं का भुगतान करना शेष है?

(श्री रामप्रताप)

आवेदनवार नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रीमती रामोबाई नाम की महिला ने उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं को कमाऊ लड़के के देहांत हो जाने पर आवेदन दियां था? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब हुई एवं कब भुगतान हुआ? यदि नहीं, तो क्यों और अब इसका कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ पंचायत समिति, हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु उपरांत देय राशि से संबंधित गत दो वर्षों में मार्च, 2000 से फरवरी, 2002 तक 140 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त से संबंधित सूचना कमाऊ सदस्य की मृत्यु दिनांक तथा आवेदन की दिनांक सहित विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त 140 आवेदनकर्ताओं में से 50 आवेदकों की सहायता राशि रुपये 10,000 प्रति आवेदक की दर से भुगतान कर दिया गया है जिसकी सूचना प्रपत्र "ब" पर संलग्न है। शेष 90 आवेदकों की स्वीकृति दिनांक 16.03.02 को जारी कर दी गई है। जिनको सहायता राशि का भुगतान दिनांक 21.03.02 को जिला परिषद द्वारा दिया जा रहा है। जिसकी सूची प्रपत्र "स" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। रामोबाई नाम की किसी महिला ने आवेदन नहीं किया है। परन्तु श्रीमती राणेबाई नाम की महिला ने जो 31 एस. एस. डब्लू. की निवासी है ने स्वयं के कमाऊ लड़के की मृत्यु हो जाने पर सहायता राशि हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी को 10,000 की सहायता दिनांक 16.2.2002 को भुगतान कर दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायतों का पुनर्गठन

40. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियां है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में नई पंचायतें बनाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार पंचायतों का पुनः निर्धारण/पुनसीमांकन करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 237 पंचायत समितियां एवं 9189 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव माह जनवरी/फरवरी, 2000 में सम्पन्न हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों का पुनः निर्धारण/पुनसीमांकन करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

गाड़िया लुहार के बच्चों हेतु छात्रावास

41. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सांख्यकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितने गाड़ीया लुहार परिवार राज्य में निवास कर रहे हैं? ज़िलेवार जनगणना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा इन्हें स्थायी निवास के लिये प्रेरित करने हेतु चित्तौड़गढ़ में गाड़ीया लुहारों को बसाने के लिये निःशुल्क भू-खण्ड व्यवसाय के लिये दुकानों की भूमि एवं बच्चों की पढ़ाई के लिये गाड़ीया लुहार छात्रावास की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था का आज क्या स्वरूप है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशक जनगणना विभाग ने अवगत कराया है कि जनगणना 2001 में जातिवार गणना नहीं की गई (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)। अतः गाड़ीया लुहार की संख्या संबंधित विवरण उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(2) समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़िया लुहारों को स्थाई बसाने हेतु मीठारामजी का खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में भूखण्ड निःशुल्क दिये गये थे एवं करीबन 50 गाड़िया लुहारों को बसाया गया था।

गाड़िया लुहार सेवा संघ, चित्तौड़गढ़ को एक अनुदानित छात्रावास संचालन की मान्यता पूर्व में ही दी गई है। किन्तु संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 से उक्त छात्रावास बन्द कर दिये जाने के कारण उक्त छात्रावास की मान्यता वर्ष 2001-2002 से समाप्त कर दी गई है। उक्त संस्था को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भवन एवं कार्यालय निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ को उक्त सम्पति को सम्भालने के निर्देश संबंधित विभाग ने दिये गये हैं। अतः सम्पति को कब्जे में लेने की कार्यवाही चल रही है।

यातायात इकाई के वाहनों का उपयोग

42. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम में यातायात इकाई कार्यरत है? यदि हां, तो इसका क्या कार्य है?

(2) क्या उक्त इकाई के वाहन पर्यटन राज्य मंत्री तथा पर्यटन सचिव द्वारा इस्तेमाल

(श्री नन्द लाल मीणा)

की जाती है? यदि हां; तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(3) उक्त प्रकार के वाहनों पर अब तक कितना व्यय किया गया? वाहनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त का पुनर्भरण किस प्रकार किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां । यातायात इकाई का कार्य पर्यटकों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाना, पैकेज ट्यूर का संचालन करना, पर्यटकों की मांग पर बस एवं टैक्सी कार उपलब्ध करवाना तथा निगम की गाड़ियों के पूल का संधारण एवं संचालन करना है।

(2) जी हां। आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल की जाती है। इस हेतु अलग से कोई नियम नहीं है।

(3) उक्त वाहनों पर चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल व्यय 44,139/- रु. हुआ है। वाहन वार व्यय की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलंग्न है।

(4) चूंकि उक्त यात्राएं राजकीय कार्यों के लिए थी अतः इनका नियमितीकरण निगम बोर्ड द्वारा किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पदेन परियोजना निदेशक के पद पर अनियमित नियुक्ति

43. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीमती नाफीस अख्तर की नियुक्ति संविदा के (अनुसार) आधार पर उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक ने महिला एवं बाल विकास में कब की थी?

(2) उक्त के चयन हेतु स्वयं सेवी संस्था में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र कौनसी संस्था का किस अवधि का दिया है? क्या यह सही है श्रीमती अख्तर दिनांक 1-10-1992 से प्रौढ़ शिक्षा समिति में इदारा विशेषज्ञ के साथ कार्यरत थी? यदि हां, तो अनुभव प्रमाण-पत्रों व इदारा में कब से कब तक कार्यरत रही? उक्त दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सेवा विस्तार के समय श्रीमती नाफीस द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र दिया? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनुभव प्रमाण-पत्र किस संस्था का किस अवधि का था?

(5) क्या उक्त रिकार्ड से प्रमाण-पत्र फर्जी लगता है? यदि हां, तो क्या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सजा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीमती नफीस अख्तर की नियुक्ति राजस्थान सेवा सिविल महिला विकास परियोजना के परियोजना निदेशक, परियोजना

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी विशेष शर्तें नियम 1984 के नियम 10(ए) के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा परियोजना निदेशक के पद पर चयन करने पर संविदा के आधार पर विभाग के आदेश क्रमांक 54337 दिनांक 16.9.97 द्वारा की गई।

(2) जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति, कोटा का अनुभव प्रमाण-पत्र अक्टूबर, 92 से 17.5.97 तक का दिया है। जी हां। श्रीमती अख्तर 1.10.92 से इदारा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थी। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

(3) सेवा विस्तार के समय कोई अनुभव प्रमाण-पत्र विभाग को नहीं दिया गया, ना ही विभाग द्वारा सेवा विस्तार के समय अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

(4) आवश्यक नहीं था।

(5) सेवा विस्तार के समय अनुभव प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं था। अतः प्रमाण-पत्र के अभाव में फर्जी दस्तावेज का प्रश्न नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला पाली में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

44. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में महिला एवं बाल विकास केन्द्र कौन-कौन से गांव में संचालित हो रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में किन-किन केन्द्रों पर क्या क्या सामग्री, कितनी-कितनी राशि की दी गई और कुल कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन स्वीकृत 1290 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। परियोजनावार सूची परिशष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान उपलब्ध करवाई गई सामग्री की सूची परिशिष्ट "ब" पर, सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय की सूचना परिशिष्ट "स" पर एवं पोषाहार सामग्री तथा व्यय की सूचना परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्रामों का विद्युतीकरण

45. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी की जनजाति बस्ती सरथूना, आडीवाट, अहारी कला पौहरी पटेलान, माताजी फला चारवाडा, गुडिवाटा, वापिया तालाब, सन्नाट फला पुनावाडा, पौहरी खातुराल, कराबाटा, घोडाखरा, गुदाबाड़ा, का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की आडीवाट, माताजी फला चारवाड़ा जनजाति बस्तियों का विद्युतीकृत करने हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु दिनांक 20.2.2002 द्वारा राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शेष अहारीकलां, पौहरी पटेलान, गुडिवाटा, वापिया तालाब, सन्नाट फला पुनावाडा, पौहरी खातुराल, कराबाटा, घोडाखरा, गुदाबाड़ा, सरथूना जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम को अनुमानित लागत तैयार कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन बस्तियों को विद्युतीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा।

जिला भीलवाड़ा के निलम्बित पंचायत सचिव

46. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलावाड़ा में कितने सचिवों को किन-किन आरोपों में कब-कब निलम्बित किया गया ?

(2) उक्त के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही अनुचित है ? यदि हां तो उक्त को कब तक राहत प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

(1) निलम्बित सचिवों एवं आरोप जिनके तहत निलम्बन किया गया का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम सेवक श्री पारसमल, श्री औंकार सिंह, श्री नाथुलाल धाकड़, श्री राजपाल सिंह, श्री हरिशंकर चतुर्वेदी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। श्री भगवती लाल जीनगर के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 में कार्यवाही विचाराधीन है एवं प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला धौलपुर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना

47. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाविद्यालयों में विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षा खोलने के क्या मानदण्ड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या धौलपुर का राजकीय महाविद्यालय उक्त मानदण्डों की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं को शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान की स्नातकोत्तर की कक्षा खोलने के निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस महाविद्यालय में विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इसके लिये वर्तमान में कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

किशनगढ़ में पुलिस ज्यादती पर चर्चा की मांग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किशनगढ़ की अमानुषिक घटना....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस तरीके से राजस्थान की शांति को भंग करने पर आमादा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस तरह से कुछ नहीं सुना जायेगा। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : गुजरात में क्या हुआ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम अपनी बात रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की शांति को भंग करना चाहते है, राजस्थान की शांति को भंग करने पर आमादा है। (व्यवधान) आज जिन मुद्दों पर.... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में क्या हुआ? ये गुजरात जैसी स्थिति राजस्थान में पैदा करना चाहते थे। (व्यवधान) पर इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए इस कारण से ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./एफ/पी.ए.-23(5)ए दिनांक 1 जून, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ रेग्यूलेशन 1958 के रेग्यूलेशन संख्या 6(2) में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./एफ/पी.ए.-23(7) दिनांक 19 दिसम्बर 2001 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन 1958 के रेग्यूलेशन क्रमांक 37 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक गहलोत। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : साम्प्रदायिक भावना राजस्थान में फैलाना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, इसलिए बौखला गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : साम्प्रदायिक भावना प्रदेश में फैलाकर प्रदेश के लोगों की प्रदेश की शांति भंग करना चाहते थे। ...(व्यवधान)

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन (क्रमांक 16 से 19)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : मैं राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन उसके कृत्यों के पालन पर उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अंतर्गत लोकायुक्त राजस्थान के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) 16 वां समेकित वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की कालावधि के लिए।

(2) 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की कालावधि के लिए।

(3) 18 वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000

(4) 19 वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन-2001

(1) राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अर्न्तगत राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के लेखों की आडिट रिपोर्ट 31 मार्च, 2001 तक

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखें

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2000-2001

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(डा. चन्द्रभान)

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री सोहन नायक : + + + ...

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान राज्य बीज निगम का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन

(2) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सोहन नायक : पूरे देश में + + + साफ हो गया, पूरे देश में, अब तो सुधर जाओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किक आउट कर दिया जिससे बौखला कर ये प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ये राजस्थान के अन्दर शांतिप्रिय जनता को परेशान करना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखा भाई। (व्यवधान) श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1998-99

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री) : मैं वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष, महोदय ये राजस्थान के अंदर शांतिप्रिय जनता को परेशान करना चाहते थे, ये प्रदेश के अंदर दंगा फैलाना चाहते थे। राजस्थान सरकार ने और राजस्थान की पुलिस ने इनके मनसूबों

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सोहन नायक)

पर पानी फेर दिया, इसलिए ये इस तरह की कार्यवाही कर रहे है। (व्यवधान) इस तरह से साम्प्रदायिक दंगे फैलाने वालों को बाहर किया जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुख्य सचेतक। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(सहमति)

सहमति प्रकट की गई।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) इनके मनसूबों पर पानी फिर गया। ये अजमेर की हार से बौखला गये, अजमेर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किक आउट किया, इसलिए ये परेशान होकर यह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान).

श्री सोहन नायक : प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने दिए जाएंगें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

प्राक्कलन "क" समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 17 से 19)

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, समिति) : मैं प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

1. उद्योग विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 17वां प्रतिवेदन।

2. ऊर्जा (अन्तरराज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क" 2000-2001 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 18वां प्रतिवेदन।

3. आबकारी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 19वां प्रतिवेदन।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे फैलाना चाहती है और इस प्रकार से इस सदन में व्यवधान पैदा करना चाहती है। आपसे हमारा निवेदन है कि इनको बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : जिस प्रकार गुजरात में दंगे हुए हैं ये राजस्थान में भी दंगे करवाना चाहते हैं। (व्यवधान) इनके मनसूबे पूरे नहीं हुए इस कारण से ये बौखला गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी। (व्यवधान)

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 2)

श्री नाथूराम अहारी (सभापति, समिति) : मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2001- 2002 सहायता एवं अकाल राहत विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 3)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (सभापति, समिति) : मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2001-2002 समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह गुजरात में दंगे करवाये हैं, भाई-भाई का कत्ल करवाया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी करवाना चाहते थे, इनके मनसूबे पूरे नहीं हुए इस कारण से बौखला रहे है, इनको बाहर निकालिए। (व्यवधान) इनको बाहर किया जाए। पूरे देश में साम्प्रदायिक आग लगाने वालों ...(व्यवधान)

निलम्बन प्रस्ताव

श्री नाथूलाल गुर्जर, सदस्य का निलम्बन प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 19.5.2002 को प्रश्नकाल के दौरान हिण्डौली से आने वाले सदस्य श्री नाथूलाल गुर्जर ने मोहम्मद माहिर आजाद की सीट पर आकर फोटो दिखाते हुए कहा, यह तेरे बाप की फोटो है, देख, इसका क्या हाल है। तत्पश्चात् श्री आजाद ने प्रधानमंत्रीजी की फोटो दिखाते हुए कहा, लोकतंत्र में शालीनता और अनुशासन की आवश्यकता है। इस प्रकार श्री नाथूलाल गुर्जर आवेश में आ गये और श्री आजाद से कहा, आप क्या समझते हो, यहीं

(श्री हरिसिंह)

मार दूंगा, काटकर गाढ़ दूंगा। इस पर श्री जगत सिंह दायमा ने बीच बचाव करवाया। श्री नाथूलाल गुर्जर द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया।

श्री नाथूलाल गुर्जर का यह कृत्य आसन की अवहेलना है, सदन का अपमान है एवम् माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन है। यह भी देखने में आया है कि माननीय सदस्य श्री नाथूलाल बार-बार आसन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे, ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे थे जो अत्यन्त अशोभनीय है

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूलाल गुर्जर को एक सप्ताह हेतु सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बाहर निकालो। ...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : सभी + + + को सदन से बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, आप अपनी जगह पर बैठिए। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

निकाल नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले। प्रश्न यह है कि प्रश्नकाल के दौरान हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा नगर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ अशोभनीय व्यवहार किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को कुछ कहना है?

बोलें, बोलें, आपको कुछ बोलना है क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : आप नाथूलाल जी को सीट पर भेजें। आप यहां से कैसे कर रहे है? वे सीट पर जाकर अपनी बात कहें। आप वहीं पर इनसे पूछ रहे है। इनको इनकी सीट पर भेजिये पहले।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है...(व्यवधान) क्या मतलब?

श्री उपाध्यक्ष : सफाई मांग रहे है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को पारित कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। वो खेद प्रकट कर रहे है।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से खेद प्रकट नहीं होगा। या तो ये लोग भी जाएंगें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह नहीं। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. महेश जोशी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह नहीं, नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग क्या कर रहे है ? (व्यवधान) हम नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा।

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं होगा। सबको भेजिए आप। नहीं तो आप प्रस्ताव पर मतदान करा लीजिए। आप प्रस्ताव को पास करा लीजिए। यह नहीं होगा कि यहां खड़े होकर बोलें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह + + + (व्यवधान)—

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लीजिए पहले आप। सदन को आर्डर में लिजिए। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन भारतीय जनता पार्टी वालों की + + + नहीं चलेगी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लें पहले, पहले हाउस को आर्डर में लें। यह कोई तरीका नहीं होगा। (व्यवधान

डा. महेश जोशी : हम सुनेंगे तभी जब— (व्यवधान) अपनी सीटों पर जाइये सब लोग नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय हम नहीं सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे। पहले इनको अपनी जगह भेजिये। इन सबको पहले अपनी जगह भेजिये।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लीजिए आप।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे है, कोई गलती नहीं की मैंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, एक मिनट बिराजें। माननीय राठौड़ साहब, एक मिनट बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बिराजें तो सही। गुर्जर साहब स्वयं माफी मांग रहे है। आप बिराजें, गुर्जर साहब को मौका दें। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : नहीं, नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। (व्यवधान) मैंने ऐसी बात नहीं की, मैं माफी क्यों मांगूंगा ? मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैं माफी मांगू। माननीय सदस्य को मैं कागज दिखा रहा था। मैं माफी क्यों मांगूंगा ? (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की + + + नहीं चलेगी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मेरी भावना ऐसी नहीं थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। माफी क्यों मांगूंगा ? मेरी कोई भावना ही नहीं थी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसलिये सीट पर नहीं जा रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजें ना। आपकी सीट पर बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ये सीट पर नहीं जा रहे है। (व्यवधान) आप चुप रहें, आप सीट पर जाएं और सीट पर जाने के बाद बात करें। सीट पर पहुंचिये। (व्यवधान) सही बात तो यह है कि ये सुनना नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें माफी मांगने का कहां सवाल है? उस पर हां या ना करवाइये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. को, सबको अपनी सीटों पर भेजा जाए, तब जाकर बात सुनी जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपना-अपना स्थान ग्रहण करें सब लोग। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के नेता महोदय को नहीं बोलने देंगे, अगर ये यहां खड़े रहेंगे तो। हम उनको नहीं बोलने देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं बोलने देंगे, यहां खड़े रहेंगे तो। यहां पर ये खड़े रहेंगे तो हम उनको नहीं बोलने देंगे। हम नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं बोलने देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बी.जे.पी. के नेता बोल रहे हैं तो आप सीट पर तो जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ये अपनी सीटों पर नहीं जाएंगें, हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे। जब तक ये सभी माननीय सदस्य अपनी सीटों पर नहीं जाएंगें। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेगें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको जनता ने भेजा है, आप सीट से बोलिये। आप गैलेरी में खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको जनता ने + + + करने के लिये थोड़े ही भेजा है।

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनेंगे। हमारे प्रस्ताव का स्पष्टीकरण होगा तो माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्य सीटों पर जायेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण सुनने के बाद मतदान करा लीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप मे धरना)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ये सीटों पर नहीं जाएंगे हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर हां या नां करवाइये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य अभी भी यह कह रहे है कि मैंने कोई गलती नहीं की। जबकि मैं सरासर यहां पर सुन रहा था, मैं यहां पर बैठा था। मैं बीच-बचाव में नहीं आता तो लड़ाई-झगड़ा, यहीं इनको पीट जाते। (व्यवधान) अब इस वक्त माफी मांगे.... (व्यवधान) मैं भी आ जाऊंगा, दो थप्पड़ मारकर कह दूंगा मेरी भावना नहीं थी। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। (व्यवधान) मैंने किशनगढ़ के दंगों को लेकर...(व्यवधान) वह जो फोटो था उसको मैं दिखा रहा था। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : गलत बात है। यहां आकर मैं भी दो थप्पड़ मार दूं और कह दूं, भावना नहीं है, यह कोई बात है क्या ?

श्री नाथूलाल गुर्जर : मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सदन के अन्दर अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पूरे देश में इस तरह का...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह टीवी पर देख लिया जाए टीवी पर भी होगा तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यदि चीफ व्हिप की तरफ से कोई प्रस्ताव रखा गया है तो प्रथम उस पर हां या ना होना चाहिए। क्या उनके माफी मांगने या नहीं मांगने से प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, चीफ व्हिप बोल रहे है। बिराजिये, बिराजिये। आपको बोलने देगें। एक मिनट चीफ व्हिप बोल लें, बिराजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : खेद तो व्यक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिए ना आप।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य यहां पर आये और वे एक फोटो दिखा रहे थे। उसके अलावा आपस में बात नहीं थी। आपस में इनके रोला नहीं हुआ। तो यह ठीक है, वे यहां आये थे और वे यह बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा और ये यह कह रहे थे कि इस तरह की घटना घटी और यह तस्वीर है। इतनी-सी बात हुई है, बाकी इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। यह तो आपस में जाते-जाते फिर कुछ यह कह रहे थे, उसके बाद में इन्होंने कुछ कहा। यही हुआ, बाकी छीना झपटी या मारकूट या इस तरह की नीयत बात नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह इनको कह लेने दो ना, आप क्यों कह रहे हो? वे कह देंगे ना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह निष्पक्ष बात हो रही है। यह जो भी बात हो रही है, माननीय सदस्य जो बात कर रहे है, वह निष्पक्ष बात कर रहे है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हिप बोल रहे है।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रधानमंत्री और इनके प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी ...(व्यवधान) कार्यकर्ताओं के कामों से हमको डूबकर मर जाना चाहिए। मुझे शर्म के मारे नत मस्तक रहना पड़ रहा है। उसके बाद भी इनके सदस्य अगर इस बात को नहीं समझ रहे और इस प्रकार कहें सदन में यह चैलेंज दे रहे हों, मोहम्मद माहिर आजाद को कहें कि गाड़ देंगे, मार देंगे, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, माफी मांगे वो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी स्पष्टीकरण का मौका दें। मैं भी आपको बताऊं, क्या-क्या शब्द कहे हैं। बताऊं तो सही। सारी स्थिति को मैं साफ करना चाहता हूं यहां। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड रुके आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर पहले कोई निर्णय होना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरी बात हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बैठिये तो सही।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रक्रिया के नियमों के नियम 292 के तहत मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है माननीय सदस्य की 7 दिन की सदस्यता निलम्बित करने के लिये इस प्रस्ताव के पेश होते ही, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन न्यायालय का रूप धारण कर लेता है। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने इस एजीटेशन को, माननीय सदस्यों को सीटों पर जाने के लिये कहें और इसकी न्यायिक आप बहस जो कुछ भी करना चाहें.... (व्यवधान) यह सदन इस पर न्यायिक प्रकिया के तहत बहस करे और उसके बाद में सदन निर्णय ले। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा पहले भी हुआ है। (व्यवधान) आपने कई बार ये प्रस्ताव पास किये हुए है, निष्कासन भी हुए है। समस्त पीरियड के लिये किये हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता भैरोंसिंहजी को अगर यह अच्छा लगता है कि सीट पर आकर उनके सदस्य मारें तो खड़े होकर कह दें यह ठीक किया है इन्होंने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक न्यायिक रूप अब धारण कर लिया इस सदन ने। एक माननीय सदस्य की सदस्यता से सम्बन्धित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अहम प्रश्न है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर स्वच्छ, साफ-सुथरी बहस करने के निर्देश आप अपने सदस्यों को दें। आसन सुनेगा और सदन निर्णय करेगा। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारी सरकार तो केन्द्र में भी राज ठीक चला रही है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इन माननीय सदस्यों को तो वहां बैठा दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले आर्डर में लाओ। माननीय, हाउस को आर्डर में लाओ।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ये सीटों पर बैठकर नहीं सुनेंगे, हम भी नहीं सुनेंगे इनकी बात। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, आपको मेरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मत करिए, हम भी नहीं सुनेंगे इनकी बात। जब तक प्रतिपक्ष के सदस्य सीट पर नहीं जाएं, हम नहीं सुनेंगे इनकी बात।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ये सीट पर नहीं जाएं हम नहीं सुनेंगे।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के खिलाफ है कि वे अपने सदस्यों को व्यवस्थित नहीं कर सकते। अपने सदस्यों को सीटों पर नहीं बैठा सकते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जब तक इस सदन को नहीं चलने देंगे, यह तो खुली शह दे रहे है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय खुली शह दे रहे है कि इस सदन को नहीं चलने दें। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं सुनेंगे, जब तक ये सीटों पर नहीं जाएंगें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे है और आप खुद ही कहते हो, अब आप विरोध...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सदन में अराजकता की स्थिति पैदा हो, यह सारी की सारी शह हो रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपने स्थान पर आप जाइये न।

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य पहले अपनी सीट पर आएं, उसके बाद बोलें। वरना हम नहीं नहीं सुनेगें इनकी बात। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे है और आप वेल में बैठे रहो, अच्छी बात है क्या यह? आप अपनी जगह पर जाओ न।

श्री सोहन नायक : ये जगह पर जाकर क्यों नहीं सुनना चाहते है? छोटी-छोटी बात होती है, वेल में आ जाते है। फिर छोटी-छोटी बात होती है, वेल में आ जाते है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।

श्री सोहन नायक : वरना क्या सुनेगें? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके डिस्कशन में तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाथ का इशारा समझ में आता है यूं और यूं, जुबान से समझ में नहीं आता। इनको केवल हाथ का इशारा समझ में आता है, यूं या यूं।

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी, इनको समझाओ। आप बैठिये प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिराज जाओ, बिराज जाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : केवल हाथ का इशारा समझ में आता है। पीछे हाथ करना है तो पीछे जाएंगे, आगे हाथ करते है तो आगे आएंगे। जुबान से नहीं सुनते वे लोग, क्योंकि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वे + + + हो चुके है इस बात के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये + + + तो अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे है। वहां आप लोगों के + + + देखकर अटल बिहारी वाजपेयी + + + करने लग गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र पारीक, बिराजिए प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : और लगता यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह यहां भी नेता महोदय को कहना पड़ेगा, आप लोगों के + + + के बाद मरने की बात कहनी पड़ेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको भी त्याग करना पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + के सदस्य हो क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शांत हो गये न आप?

श्री राजेन्द्र पारीक : बस आपका इशारा उधर हो गया और इशारा इधर हो गया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी तरफ भी इशारा कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं समझ गया आपका इशारा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि इस सारे विषय पर चर्चा हो सकती है, सरकार इसका उत्तर देगी। उत्तर देने तक जो कुछ भी इस पर चर्चा हो, माननीय सदस्य करना चाहे, वह करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं हाउस से कि आपका बहुत बड़ा बहुमत है, हम कम संख्या में है। जनता का दुख-दर्द यदि विधान सभा में नहीं रखें तो कहां जाएं? आज चाहे किशनगढ़ का मामला हो, चाहे पीपाड़ का मामला हो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सवाल एक माननीय सदस्य का है, किशनगढ़ का कोई सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आप किशनगढ़ की क्यों बात कर रहे हो? किशनगढ़ का मामला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी बात कहें पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : किशनगढ़ का कोई मामला नहीं है। मामला उस सदस्य का है जिसने सदस्य का अपमान किया। माननीय

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री संयम लोढ़ा)

सदन का अपमान किया, माननीय सदस्य का अपमान किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें किशनगढ़ की बात कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री जीतमल ख़ांट : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं और वे हर बात पर खड़े होकर टोकते रहते हैं, यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जीतमल खांट : हर बात पर। यहां पर बोलने का सबको अधिकार है। यहां पर सबको अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। बार बार टोकते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठिये। आप बैठिये, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन में किशनगढ़ के मामले को लेकर उत्तेजना हो और आपने इस सदन को एक बजे तक के लिए स्थगित किया। दुबारा हम मिले हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को यहां कहें। प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात कहना प्रारम्भ किया तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, रखने देंगे आपको बात। आपकी बात रखने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट में ही वे सदस्य खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : सवाल अभी किशनगढ़ का नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमें ही कह रहे हो, इनको भी कहिये कि वे बात रखने दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रखने दूंगा। आप चिन्ता मत करो। आप बिराजिए। माननीय संयम लोढ़ा बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य का अपमान किया है, इनको...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह क्या तरीका हुआ ? यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय को हर बात पर टोकते जा रहे हैं, यह क्या तरीका हुआ ?

श्री संयम लोढ़ा : किशनगढ़ पर बात हम...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय सदस्य का अपमान किया है, माननीय सदस्य पर हाथ उठाया है, इस पर जवाब देना...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह हर बात पर, हर जगह अपनी बात पर अड़ंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अभी जो आप बात फरमा रहे हैं उस पर अभी हम आये ही नहीं। एक प्रस्ताव आया है चीफ व्हिप की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि माननीय माहिर आजाद को हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भूमिका बांधेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ अशोभनीय व्यवहार किया है और उसकी लिखित में, माहिर आजाद, पांच-छह माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन-कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंह दायमा, अब ये सिग्नेचर तो मैं पहचानता नहीं हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच-छह माननीय सदस्य है। ऐसा व्यवहार सदन में कभी हुआ नहीं, होना नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने जो प्रस्ताव किया है, उसको मैं पहले सदन में रखूं, इससे पहले मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि— (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शिकायत क्या है, यह तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : बता रहा हूं न मैं। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप बता दीजिए कि प्रस्ताव है क्या ? माननीय मुख्य सचेतक जी ने प्रस्ताव क्या रखा है, यह बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। आप बोले जा रहे हो, मुझे बोलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें मालूम तो पड़े, प्रस्ताव क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : जब बोलने दोगे तब मालूम पड़ेगा, वरना नहीं मालूम पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चीज़ जानना चाहता हूं कि आपके विचारार्थ जो प्रस्ताव मुख्य सचेतकजी ने रखा है, आपने विचारार्थ ले लिया क्या ? उसको आपने विचारार्थ ले लिया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लिया। कहां लिया ? आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी और इस बात को दोहरा रहे है आप।

श्री मदन दिलावर : आपको तो गलत टिप्पणियां करने की आदत पड़ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) गलत टिप्पणी करने की आदत पड़ गई। असत्य बोलने की आदत पड़ गई। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई अशोभनीय बात नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। मैंने प्रस्ताव— (व्यवधान) आर्डर-आर्डर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया था और उन्होंने इस बात को—(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्ताव पढ़ा उस वक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और आपने—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं अभी मैंने।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो आप अब उसको दुबारा पढ़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं, आप बिराजो तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, पढ़ तो दो, क्या प्रस्ताव है, किन्होंने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ रहा हूं। शांति-शांति। पढ़ रहा हूं। मैं पहले जो माहिर आजादजी ने बात कही है उसको आपके समक्ष रख रहा हूं। उसके ऊपर यदि यह स्पष्टीकरण देकर बात समाप्त हो जाती है तो इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नहीं तो फिर उसके बाद प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : प्रस्ताव रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है, मैंने स्वीकार नहीं किया है। आप बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस की प्रापर्टी हो गई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको बाहर निकालो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आज प्रश्नकाल के दौरान हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूलाल गुर्जर ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद के साथ जो अशोभनीय व्यवहार किया है, कृपया, हिण्डौली से आने वाले सदस्य को अपने कृत्य पर खेद व्यक्त करने की, खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या है यह ?

श्री उपाध्यक्ष : छोटी-सी बात है, अशोभनीय व्यवहार है। अब वह क्या किया वह बताएंगे या यह बताएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दुर्व्यवहार क्या है, यह तो बताइये न। नहीं नहीं, आप बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनको बोलने दो न। आप या माहिर आजादजी बोल लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो व्यवहार किया है, वह बताइये न।

श्री उपाध्यक्ष : बता रहे है न।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने लिखकर दिया है वह अलग कागज है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखकर दिया है वह अलग है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, तो वह क्या है, यह बताइये न।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने जो पढ़ा है, यह तो और माननीय सदस्यों ने दिया है। मैंने लिखकर दिया है वह अलग है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इन्होंने दुर्व्यवहार क्या किया, वह बताइये न।

मोहम्मंद माहिर आजाद : मैंने जो लिखकर दिया है वह अलग है। यह है, वो। इसको आप पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : पाइंट आफ आर्डर, सर। आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इससे बड़ा क्या पांइट आफ आर्डर होगा, माननीय सदस्य? क्या आपको यह शोभा देता है कि इस तरह से सीट पर आकर आप...(व्यवधान) इनको बोलने तो दो, क्या कहते हैं। आप परिपाटी डाल रहे है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप अगर परिपाटी डाल रहे हैं तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी प्रस्ताव आपके सामने आया है उस प्रस्ताव को... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में...(व्यवधान) काहे का पाइंट ऑफ आर्डर है यह?

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है आपका।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में कोई बिजनस नहीं है, क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपके पास कोई भी प्रस्ताव आया है, वह सदन की कार्यवाही रोक कर बीच में नहीं लिया जा सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस में तो बिजनस ही नहीं है। बिजनस ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को, आप इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव नहीं मान सकते और उस प्रस्ताव को चाहे जब स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं... आप बात सुनो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हो। पाइंट आफ आर्डर तो आप उठा ही नहीं सकते, किस पर उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आज यह सदन किसी को निष्कासित भी करता है, कोई अशोभनीय व्यवहार भी है तो पहले आपको अशोभनीय व्यवहार क्या हुआ है, यह तो साबित करना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बता रहे हैं न।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, बताने से नहीं होगा। आप पहले इनको नोटिस देंगे। आप पहले इनको नोटिस देंगे, जिनके खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यही अशोभनीय व्यवहार है। व्यवधान कर रहे हैं, यह अशोभनीय व्यवहार है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उनका स्पष्टीकरण आप लेंगे और दोनों को देखने के बाद यदि सदन में मामला लाना जरूरी है तो आप उसको एडमिट फरमाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत आएगी तो उसको भी करेंगे। आप बिराजो तो सही। वह स्टेज हम नहीं आने देना चाहते। आप बिराजो तो सही।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तात्कालिक न्याय नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : कौन कर रहा है न्याय ?

श्री मानिक चन्द सुराना : कर रहे हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : कहां कर रहा हूं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सारी कार्यवाही को रोक कर इस स्थगन प्रस्ताव को ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। मैंने कोई प्रस्ताव नहीं किया। आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह जो की रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता। मेरी आपत्ति है कि इस प्रस्ताव को इस तरीके से आप लेने के अधिकारी नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कंफ्यूज कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं? आप यह कंफ्यूजन मत कीजिए, आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : एक सदस्य की जिन्दगी का सवाल है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी आपत्ति को खारिज किया जाता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सभी उपाध्यक्ष बन जाएं न, हमें कहां आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, सुनिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सभी अपने आपको आसन मान लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ आपने कहा, यह पूरे सदन को कहा और पूरा सदन आपसे कहता है कि सदन आपकी आपत्ति को खारिज करता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम भी सदन में ही बैठे हैं और आप व्यवहार ऐसा कर रहे हैं जैसे उपाध्यक्ष हो गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह व्यवहार तो बहुत शालीन है, आप लोगों की तरह + + + तो कायम नहीं करते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पारीक जी, + + + विधान सभा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका प्रधानमंत्री, आत्महत्या करने की बात कह रहा है— (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह सदन कैसे चल रहा है और आप कहां से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका व्यवहार अशोभनीय व्यवहार की संज्ञा में आता है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आपका व्यवहार कैसा है, उसी आचरण के ऊपर तो चर्चा हो रही है। इस आचरण को सुधारा जाएं। सदन अच्छी तरह से चले उसी पर तो चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सारी प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी सभी नियमों को इस सदन में ताक पर रखा जा रहा है। (व्यवधान) प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों की किताबों को फाड़ कर फेंक दीजिये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सदन में आप कितनी अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं, उसी पर चर्चा होनी है ताकि शांति रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जाड़ावत साहब, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : किसी के विरुद्ध आरोप आएगा, आरोप पत्र भेजिये। हम जवाब देंगे, हमारा सदस्य जवाब देगा। सदन के माननीय सदस्य हैं जवाब देंगे आपको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई फायदा नहीं है। कार्यवाही चाहते हैं हम तो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सुनिये। आप सीधे जवाब सदन में लेने के अधिकारी नहीं है। जब तक आरोप पत्र आपने उनको सूचित नहीं किया है तब तक उनको कुछ भी कहने का, कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कह रहे हो, वही कह रहा हूं मैं तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, + + + विधान सभा है। यह कैसे बीच-बीच में बोल जाते हैं, पारीक जी? + + + विधान सभा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा पाइंट आफ आर्डर, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बिजनस ही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर आपने निर्णय क्या दिया है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे का पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सिर्फ आसन से इतना ही जानना चाहता हूं कि आपने जो पहले एडमिट किया वह नियमों और प्रक्रिया के कौनसे नियम के अर्न्तगत लिया है, वह पढ़ कर सुना दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एडमिट किसने किया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिलकुल प्रक्रियाओं से चलता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह सदन भावनाओं से चल रहा है। (व्यवधान) यह सदन सिर्फ आरोप लगाने से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कौनसे नियमों के अर्न्तगत आपने इस चर्चा को प्रारम्भ किया? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, यह बहुमत की + + + के आधार पर चल रहा है।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम बता दो...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र में बहुमंत की + + + नहीं...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो पाइंट आफ आर्डर मानिक चन्दजी सुराना ने उठाया है, उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर होता ही नहीं, बिराजें आप तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन नियमों व प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + बहुमत है तो। + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन भी नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। आप उस नियम को बता दें, प्रक्रिया को बता दें उसके बाद जैसे आप कहें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दोगे जब बताऊंगा न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किन्हीं चार ने लिख कर दे दिया और आपने सदन में कह दिया स्पष्टीकरण दो। भगवान के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, नई परम्परा क्यों डवलप करते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दोगे तब बताऊंगा न। माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर।

माननीय सदस्य, नियम के साथ-साथ हाउस की कुछ परम्पराएं भी होती हैं और उन परम्पराओं के अनुसार हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं, हाउस इस बात की चेष्टा कर रहा है कि जो कुछ हुआ वह आगे नहीं बढ़े और यहीं समाप्त हो जाए। यह जो प्रस्ताव आया है उससे पहले हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ प्रश्न आया है अपने सामने उससे यदि यह डिफ्यूज हो जाती है सिचुएशन, तो इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस बात को समझो आप तो बात है, नहीं तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। मैं न तो प्रस्ताव ला रहा हूं, न कुछ ला रहा हूं। आज यहां जो माहिर आजाद जी ने लिख कर दिया, वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उससे फिर इनसे बात करके वह जैसा ठीक समझें, वैसा करेंगे। लेकिन इनको मौका देंगे हम कि यह सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएं।

"आज प्रश्नकाल के दौरान हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरी सीट पर आकर मुझे एक फोटो दिखाते हुए कहा कि यह तेरे बाप की फोटो है, देख इसका हाल क्या किया है। मैंने कहा पिता तो आप के भी है, और मेरे भी है, फिर फोटो क्या दिखा रहे हो। मैंने प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाते हुए कहा कि लोकतंत्र में अनुशासन व

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

शालीनता की आवश्यकता है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, फिर नियमों के तहत जो चाहे उठा लेना। उस पर श्री नाथूलाल जी आवेश में आ गये और कहने लगे, तू क्या समझता है, मैं यहीं मार दूंगा और काटकर गाढ़ दूंगा। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

यदि श्री जगत सिंह दायमा उनको नहीं रोकते तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा लिया था और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें"

यह माहिर आजाद जी ने लिखकर दिया है। अब ऐसी परिस्थिति जो पैदा हुई है, उस पर हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ हुआ उसको आप डिफ्यूज करें।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां से वहां तक गया था। मैंने किशनगढ़ प्रकरण के फोटो उनको दिखाये थे। मैंने कोई असंसदीय भाषा का उपयोग उनसे नहीं किया। कोई गाली-गलौच नहीं की। कोई उचाट नहीं किया। मैं माहिर आजाद जी को अपने बड़े भाई के रूप में अन्यथा देखता रहा हूं, अन्यथा मिलता रहा हूं। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, न मैंने कोई असंसदीय भाषा को प्रयोग किया है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माफी मांग लो न।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई तो उम्र में यह मेरे से बड़े होंगे। मैंने इनको यही निवेदन किया था कि पिताजी आपके भी हैं और मेरे भी हैं। मैंने जो चीज लिख कर दी है, यही के यही शब्द इन्होंने कहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। अगर यह खेद व्यक्त करते हैं तो सदन इनको माफी दे सकता है। अगर इनको अपने कहते हुए भी खेद नहीं, अब भी सोचते हैं कि जो कहा इन्होंने सही कहा है तो फिर आसन को निर्णय करना चाहिये कि इसमें क्या कार्यवाही करे। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिता समान जरूर कहा था, इनके पिता का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय माहिर आजाद जी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने इनको प्रस्ताव लिख कर दिया है न।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने भी लिख कर दिया है आपको। मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो वह जो कुछ कहना चाहते हैं, सुन लो। पहले यह बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, इसका एण्ड क्या है? यह बात तो इन दोनों के बीच की है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह खेद व्यक्त करें, हमें और कुछ नहीं चाहिये। (व्यवधान) यही शब्द कहे है इन्होंने।

श्री मदन दिलावर : यह कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, गवाह को बोलने दिया जाएं। यहां गवाह है, गवाह को बोलने दिया जाएं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, पड़ौस में तो यह फतेह सिंह जी भी बैठे है, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिलकुल नजदीक बैठे है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बड़े भाई के ऐसे थप्पड़ थोड़े ही मार देंगे? फतेह सिंह जी तो इधर है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है ऐसा अशोभनीय व्यवहार देखकर। वहां से चलकर — (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, विवाद तो सरकार के और अपोजिशन के बीच चल रहा है। + + + ये लोग कौन हैं? विवाद तो चल रहा है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पार्टी और अपोजीशन पार्टी के बीच में + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी दूर से आकर यहां सीट पर आकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मुक्का उठाने की बात की कि गाढ़ दूंगा और यह कर दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि कर क्या रहे हो? (व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या चाकू था क्या उनके पास? (व्यवधान) क्या चाकू था क्या उनके पास? क्या तलवार थी क्या उनके पास, जो काट दूंगा, मार दूंगा? (व्यवधान) क्या था उनके पास? कौनसा हथियार था? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप बैठ जाओ, हाथ हिला रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या बैठ जाओ? (व्यवधान) जो बात हुई नहीं, उस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इसका मतलब इस लोकतंत्र में हमको बोलने से दबाया जा रहा है। हम कुछ बात बोलें नहीं?

श्री जगत सिंह दायमा : भैरोंसिंह जी इस बात को कहते हैं कि ठीक है। तो यहां यह भी कह देते हैं कि खेद व्यक्त भी नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, जो किया वह ठीक है।

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो सत्यवादी हो गये और हम झूठे हो गये।

श्री मदन दिलावर : आप असत्यवादी है, + + + टांग अड़ाते है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बहस हो रही है? कोई + + + की बात कर रहा है, कोई असंसदीय भाषा की बात कर रहा है।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : कौनसी भाषा— (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + तो कहावत है। आप कौन खामख्वाह है? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने खुद ने सुना है यह शब्द जो माहिर आजाद जी को कहा है। मैंने खुद ने सुना है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + यहां नहीं चलेगी। यह + + + से डरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + तो खुद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : इनका प्रोटेक्शन कर रहे है। यह इस तरह से + + + कर रहे हैं, यह समझते क्या हैं अपने आपको? (व्यवधान) एक माननीय सदस्य यहां झगड़ा करने आये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) कह रहे हैं सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विवाद चल रहा है यह बीच में कौन हैं, इसलिए हम आसन से न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने तो आपको यह लिख कर दिया है, जो व्यवहार हुआ है वह शत-प्रतिशत सही है। अगर आसन इसको उचित मानता है तो आसन चाहे तो इनको माफ करे, चाहे सजा दे, आसन को निर्णय करना है। इसमें जरा भी, रत्ती भर भी गलत नहीं है। और यह कह रहे हैं कि यह बीच में कौन हैं तो हमको जनता ने भेजा है, हम जन प्रतिनिधि हैं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : यह निर्णय करने वाले कौन है बीच में? (व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, अब आपको फैसला करना है। या तो माफी मांगे नहीं तो आसन फैसला करेगा। यह क्या मतलब हुआ? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस सीट से आने की जरुरत क्या पड़ी उनको। उनका इरादा नेक था तो उठकर यहां क्यों आये?(व्यवधान) मारने पीटने के लिये आये हो यहां पर?

एक माननीय सदस्य : मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : यह + + + और फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया।

श्री हफीज मोहम्मद : अपने आपको समझते क्या है ये लोग? (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + बिल्कुल नहीं चलेगी। इन लोगों ने पूरे देश को जला दिया है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : + + + वह यहां पर बोलने का क्या हक है। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह + + + बोल रहे है। + + + बोल रहे है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : यह नाजायज बोलते है।

श्री मदन दिलावर : यह + + + हिन्दुओं को झूठा बोल रहे है।

श्री हफीज मोहम्मद : + + + इनको यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं को आतंकवादी बोलते है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आपने कोटा में कत्ल किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : + + + (व्यवधान) + + + कोटा में + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री हफीज मोहम्मद : जो बात बन रही है उसको + + + बिगाड़ना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + नहीं करते हो, क्या कर रहे हो यहां ? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिन्दू को + + + बोलते है ... (व्यवधान) + + + नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + ... (व्यवधान)... + + + यह यहां पर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + हिन्दू समाज को + + + बोलता है।

श्री हफीज मोहम्मद : + + +

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या खड़ी है, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, बोल रही हूं। कोई बोलने भी दे तब न। आप बैठिये।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा जेल में है, उससे मिलने गये क्या? ... (व्यवधान) ... आपने शालिनी शर्मा को समाज कल्याण बोर्ड का मैम्बर बनाया।

शालिनी शर्मा को अब जेल हो गयी, उससे मिलने जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह आपकी रिश्तेदार है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा से मिलने जाओ जेल में। आपने ही मैम्बर बनाया था, दिलावरजी अब सजा हो गयी है शालिनी शर्मा को, मिलने जाओ। (व्यवधान) क्योंकि आपने उनको समाज कल्याण बोर्ड का मैम्बर बनाया था। आपका यह चरित्र है। आपका सदाचार है यह? + + + यह। आप शालिनी शर्मा के पास जाओ। तब तो + + + सर्किट हाउस, अलवर में। आप क्या बात करते हो, + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी, शालिनी शर्मा तो आपकी रिश्तेदार है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कब तक चलता रहेगा?

श्री शैलेन्द्र जोशी : अलवर की है, आप ही की बहन-बेटी लगती होगी। अलवर की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बांदीकुई की रहने वाली है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप उसके आंसू पोंछने नहीं गये... (व्यवधान)... आपने समाज कल्याण बोर्ड की मेम्बर बनाया, जब आप समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे। (व्यवधान)...+ + + जेल में जाकर मिलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी, दिलावरजी, प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बात करते है सदाचार की, पूरे देश को तबाह कर के रख दिया। उड़ीसा में क्या किया? (व्यवधान) प्रधान मंत्री कहते है कि मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब आप क्या कहते हो कि आपके पास आत्म हत्या के अलावा कोई चारा नहीं है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी शालिनी शर्मा आपकी रिश्तेदार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजाजी, विराजिये प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह शालिनी शर्मा हो गयी या कोई मुसीबत हो गयी? उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य का यहां तक आना ही उनकी गलती को साबित करता है लेकिन ...

श्री उपाध्यक्ष : सुनो, सुनो, लेकिन लगा है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगी और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि वो यह कहें कि, भाई, यदि माहिर साहब को कोई गलतफहमी हो गयी है, मेरा ऐसा इरादा नहीं था लेकिन यदि नगर से आने वाले माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी हो गयी है तो इसके लिए मुझे खेद है। यह कहने में क्या आपत्ति है ? यह कह दें, ठीक है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उनको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, उनको पढ़ाना चाहिए आपको। (व्यवधान)— इनको कहो कि घर जाकर क्लास लें उनकी, पढ़ाएं उनको घर जाकर।

श्री जनार्दन गहलोत : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य की—

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) एक सदस्य की जान का खतरा है।

श्री जगत सिंह दायमा : सुनो तो सही हमारी बात। मैंने लिख कर दिया है, आप एक लाइन सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंहजी, आप विराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर पहले भी ऐसे इश्यूज आते रहे है इस हाउस में, प्रस्ताव पेश होने के पश्चात् आम तौर पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मांगे जाते। वह तो सारी बात हाउस के सामने हुई थी उसी पर तो यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाए। प्रस्ताव लाये— (व्यवधान)— अब अगर यह क्षमा मांगते हो— (व्यवधान)—

एक माननीय सदस्य : सीधा फांसी पर चढ़ा दें— (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार खड़े होते है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ चुपचाप, शांति करो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर यह माफी मांगते हो, अगर यह खेद प्रकट करते हो— हाउस चल सकता है। —(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किस बात का खेद ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खेद तो आप प्रकट करें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर : खेद आप प्रकट कीजिये, जिस राजस्थान को आपने जला कर रख दिया है, जिस राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आपके मनसूबो पर पानी फिर गया, आप राजस्थान के अन्दर अशांति फैलाना चाहते थे। आपके मनसूबों पर पानी फिरा है, आप राजस्थान को गुजरात बनाना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन के माननीय सदस्य यह कहते है कि उनके आचरण से माननीय सदस्य को पीड़ा पहुंची है ... (व्यवधान) तब तो उनको क्षमा किया जा सकता है, वरना इनका निष्कासन सुनिश्चित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सवा दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.45 बजे 14.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(14.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.15 बजे, 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(15.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : वह तो है ही नहीं सदन में, किस पर की जाएगी बहस? वह तो निकल गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये प्लीज। माननीय जगत सिंह जी, बिराजिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी लेकिन माननीय सदस्य को इससे कोई ठेस लगी हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में जो प्रस्ताव रखा था, माननीय सदस्य के खेद प्रकट करने के बाद सदन की पूरी मंशा के अनुरूप मैंने अपना जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था माननीय सदस्य के निलम्बन के लिए, उसको वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की सहमति तो लीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन के अन्दर ...(व्यवधान) किशनगढ़ के अन्दर जो पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया, अनाचार किया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देते, बार बार बीच में रोकते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। (व्यवधान) एस. पी., डी.वाई.एस.पी. ने मिलकर उनके साथ मार-पिटाई की और उनका सारा का सारा बदन सुजा दिया... (व्यवधान) तीन तारीख को हमें यह समझ में आ सकता था ... (व्यवधान) एक तारीख की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घटना है ...(व्यवधान) हम लोगों ने उन अधिकारियों को ...(व्यवधान) आखिर में क्या कारण है जिसके कारण से ऐसा बर्बर अत्याचार...(व्यवधान) ऐसा बर्बर अत्याचार, मैं सोचता हूं शायद किसी भी राज में नहीं हुआ होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार कर सदन के समक्ष अपना जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है...(व्यवधान) अजमेर पश्चिम से आये नव निर्वाचित सदस्य नानगराम जगतराय को उनके निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की छटा को बिखरने वाले स्थापत्य कला के नमूने नव निर्मित विधान सभा भवन का राष्ट्रपति महोदय द्वारा...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

गोधरा हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों की काली करतूतें। किन्तु उसके बाद जो कुछ गुजरात में हुआ वह और भी अमानवीय है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ऐसे जिन्दाबाद से तो मरना अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोटा में अकाल की प्रशंसा की और यह भी कहा कि राजस्थान में बिजली के जो सुधार किये जा रहे है वे अपूर्व है।

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रक्षा सौदे में + + + कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल काली है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के + + + है और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग ताबूत घोटाले में जो गबन किया, उसके भी साक्षी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जिस पर साढ़े तेइस हजार करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था, हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की देन है, इनकी दृढ़ इच्छा-शक्ति का परिचायक है कि राजस्थान में विकास की गंगा बही है।

मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के समय में राजस्थान के विकास की गंगा बहायी है, इस तरह की न कभी देखी थी न कभी सुनी थी।

मैं आपको ऊर्जा के उत्पादन के बारे में बताना चाहूंगा कि ऊर्जा के उत्पादन में आधारभूत काम किया गया। न हमारे यहां नदियां है, न कोयले की खान है उसके बावजूद भी हमने 3,354 मेगावाट जो बिजली थी, उसमें 905 मेगावाट की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तीन दिन पहले सूरतगढ़ की

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

चौथी इकाई का हमारे लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष पाटिल साहब ने उद्घाटन किया और उसे लोकार्पित किया। इस तरीके से विद्युत के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन राजस्थान की सरकार के प्रयत्नों से, माननीय ऊर्जा मंत्री के अथक प्रयत्नों से और अभियांत्रिकी के सहयोग से राजस्थान सरकार बिजली में आत्म निर्भर हो रही है। खुशी की बात है कि पूरे राजस्थान के अन्दर अब किसानों को बिजली मिली है आठ घंटे। किसानों ने कोई भी आंदोलन नहीं किया। एक भी आंदोलन बिजली के खिलाफ नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान के अन्दर जो कांग्रेस की सरकार है, उसने किसानों को पर्याप्त बिजली दी सरसों की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। मेरा आपसे निवदन है कि रामगढ़ का तापीय—

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उसका फैज द्वितीय किया गया। इसके अतिरिक्त सैकण्ड थर्मल पावर स्टेशन किया। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और तो और, निजी क्षेत्र में भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यही नहीं, विद्युत जनरेशन के अलावा विद्युत के सुधार कार्यक्रम भी लिये गये है जिसमें बिजली की छीजत को कम करने के उद्देश्य से कंडक्शन लोसेज को मीट आउट किया गया है। हमारे यहां जो ग्रिड का—(व्यवधान) ऐसी स्थिति में 400 के.वी. के दो जी.एस.एस. बनाये गये है सूरतगढ़ और रतनगढ़ में। इसके अलावा 132 के.वी. की —(व्यवधान) इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि —

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज जयपुर शहर को यदि किसी ने नया जयपुर बनाया है, राजस्थान की राजधानी को कैपिटल का दर्जा दिया है तो वह अशोक गहलोत ने दिया है। राजस्थान की राजधानी को कैपिटल का स्टेटस दिया है। (व्यवधान) बिजली को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ, यह इस बात का सबूत है। और तो और, जो बिजली भारतीय जनता पार्टी के राज में गुजरात में 6 रु. 94 पैसे यूनिट दी जाती है वह राजस्थान के अन्दर 3 रु. 30 पैसे में दी जाती है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारे हैं वहां किसानों को बहुत ही महंगी बिजली दी जा रही है। इसके बावजूद कि हमारे पास नदियां नहीं है, कोयला नहीं है फिर भी हम अपने आंतरिक संसाधनों से इतनी बिजली जनरेट कर रहे है जितनी आज तक कभी किसी ने नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जो हमने उपलब्धियां की हैं वे भी बेजोड़ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से बिजली के उत्पादन में हम सक्षम है और राजस्थान वर्ष 2003 में बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राजस्थान का जो उत्पादन है वह अतिरिक्त उत्पादन की श्रेणी में आ जायेगा।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के संग में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ...(व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी जिसने नगरों के लिए वोट लिया, कोई काम नहीं किया। यदि नगरों के लिए किसी ने काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने किया। जयपुर को राजस्थान की राजधानी का स्टेटस हमने दिया है। यदि जयपुर को राजस्थान की राजधानी का खिताब दिया है तो वह अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है, शांति धारीवाल ने दिया है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है।

आज आप जितने फ्लाई ओवर देख रहे है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का नारा है पानी बचाओ, खूब पढ़ाओ और बिजली बचाओ। ये जो तीन नारे है ये जनहितकारी है, लोक कल्याणकारी है पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ।

यह नारे है। अजमेर चुनाव में जो स्थिति हुई, हमारे साथी नानगरामजी जीत कर आये, वह इस बात का परिचायक है कि जनता हमारी बात करना चाहती है। उड़ीसा में जिस तरीके से आपने किया, जिस तरीके से बजरंग दल के लोग और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग...(व्यवधान) मेरा तो निवेदन है कि लोगों में चेतना जाग्रत हुई है। कच्ची बस्तियों का नियमन कर पट्टे दिये गये, मुख्य मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत चयन किया गया, भवन निर्माण किया गया। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के अर्न्तगत लोगों को पट्टे दिये गये, राशन कार्ड दिये गये।

लोगों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गयी। सामाजिक सुरक्षा... (व्यवधान) विधवा, विकलांग...(व्यवधान) ऐसों की बस्तियों को लिया गया, इससे पहले कभी नहीं लिया गया।

मेरा निवेदन यह है कि सीवरेज योजना का काम किया गया। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष है...(व्यवधान) गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जीवनयापन की सुविधा दी गयी। मेडिकल रिलीफ सोसायटी की सुविधा दी गयी। पहले यह सुविधा कभी नहीं दी गयी थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारियों द्वारा...(व्यवधान) प्रत्येक जिले को वह मीटिंग लेकर...(व्यवधान) आप लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं चाहते है...(व्यवधान) अभियान के दौरान शिविरों में ही मौके पर डिस्पोजल किया गया और डिस्पोजल करके आयुक्तों ने वहीं पर काम किया। स्थानीय निकाय द्वारा मार्गदर्शिका भी प्रकाशित की गयी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विभागों की, मंत्रियों की, सचिवों की और सम्भागीय आयुक्तों की मीटिंग ली और प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारम्भ किया गया। आधुनिकीकरण के लिये किया गया।

आज जयपुर शहर में 175 करोड़ रुपये का काम हुआ है। फ्लाई ओवर बने है, ब्रिज बने है, गार्डन बने है। जनहित का काम हुआ

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है। डबल लेन बनी है, सब लेन बनी है। यह सब विकास किसने कराया? या तो जयसिंह जी ने कराया था, या मिर्जा इस्माइल ने। (व्यवधान) कराया था, या कांग्रेस के शासन में अशोक गहलोत ने कराया है, शांति धारीवाल ने कराया। चार्ट उठाइये, हमने कराये है। (व्यवधान) पत्र लिखकर उनसे यह भी अनुशंसा की ...(व्यवधान) कि वे अपना सहयोग करें। हमारे सब विधायकों ने इस लोक कल्याणकारी अभियान में प्रशासन शहरों के संग में धन दिया। धन से जो विकास हुआ वह हुआ...(व्यवधान) अनुपम हुआ, उसकी कोई...(व्यवधान) नहीं। इसी तरीके से "प्रशासन शहरों के संग" जो अभियान चला उससे पूरे राजस्थान को लाभ हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश से लार्ज स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों को भी जयपुर में बुलाया गया। एक हजार से भी ज्यादा एनजीओज. ने यहां आकर मीटिंग की और उन्होंने कहा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दे रहे है, इस तरह का एक माहौल क्रियेट किया जाएं। पूरे राजस्थान में एक गूंज हो रही है, पूरे राजस्थान में एक मुद्दा उठा कि पहली बार ऐसा प्रशासन मिला जो कुछ करने की क्षमता रखता है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि नुक्कड़ नाटकों द्वारा, जन चेतना रैली द्वारा, निबंध द्वारा, वाद विवाद द्वारा, चित्रकला द्वारा ...(व्यवधान) और सब प्रतिनिधियों द्वारा इस तरह किया गया है। और तो और जिन लोगों ने...(व्यवधान) वह भी किया। इस तरह के स्थानों के लिये, गंदी बस्तियों के विकास का कार्य...

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। इसके लिये पहली बार...(व्यवधान) इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि राज्य की अस्सी लाख से अधिक शहरी जनता "प्रशासन शहरो के संग" अभियान के दौरान...(व्यवधान) सफाई, बिजली सुधार, सड़क सुधार, इस तरह के कार्य किये गये। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

5683 कच्ची बस्तियों का नियमन किया गया। कृषि भूमि रुपान्तरण के लिये जमा राशि 1,31,68,021.....(व्यवधान) कृषि भूमि रुपान्तरण के मामले में 14,498 पट्टे वितरित किये गये। मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 5629 कियोस्क को आबंटन किया गया...(व्यवधान) स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 5925 कब्जों का नियमन किया गया। आबादी भूमि पर 31.12.91 से पूर्व के कब्जों के 2334 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भूमि विक्रय के 2407 प्रकरणों का निष्पादन किया गया। किराये अथवा लघु अवधि लीज पर दी गयी, सम्पति का निस्तारण किया गया। करों और शुल्कों की वसूली का भी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

किया गया। पेंशन प्रकरण निस्तारण की संख्या भी बढ़ी। राशन कार्ड 21079 बनाये गये। पुराने संशोधित भी किये गये। 11805 वृद्ध लोगों को सहायता दी गयी, 9758 विधवाओं को सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं को भी पकड़ा गया जो 44,438 है। सफाई व्यवस्था के लिये 1,95,282 टन कचरा उठाया गया।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सुविधाओं को भी ध्यान में रखा। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, अपना घर अपनी योजना का किया गया। जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये। अनुदान के लिये किया गया, मूल निवास प्रमाण-पत्र जिसके लिये कि एक आम आदमी जगह-जगह घूमता है और उसको सालों साल घूमना पड़ता है। अन्यत्र जाता है उसके लिये भी—

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मूल निवास प्रमाण-पत्र मौके पर बनाये गये—(व्यवधान) यह है कांग्रेस का राज, जिसने जिलों का —(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सदाशयता की गयी। भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित 743 प्रकरणों का किया गया। मूल निवास प्रमाण-पत्र भी जारी किये गये—(व्यवधान) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये—(व्यवधान) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से 680 लोगों को लाभ कराया गया। बालिका समृद्धि योजना में 5049 का किया गया। पी.एच.ई.डी. से संबंधित का किया गया। टूटी पाइप लाइन बदलने का किया गया—

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रशासन शहरों के संग में जो हुआ, वह तो हुआ है ही, इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण ने 175 करोड़ की लागत के काम किये। ओवर ब्रिज बनाया, 604 मीटर लम्बा गोपालपुरा पर फ्लाई ओवर बनाया। जो पहले दो फ्लाई ओवर बने थे उनका मुख्य मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया। 22 नवम्बर, 2000 को मुख्य मंत्री ने जयुपर वासियों को समर्पित किया जो कि सात करोड़ से बना है। नालों व पुलियाओं का भी किया गया। चार लेन की आलू फैक्टरी पुलिया का समर्पण किया। ओ.टी.एस. पुलिया का लोकार्पण किया। अजमेर रोड पर, सीकर रोड पर अमानीशाह नाले का भी किया गया। सुगम यातायात के लिये व्यवस्था की गयी—

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारे)

इस तरीके से विकास की गंगा बहाने वाले के लिये आप कुछ बात नहीं कर सकते। आप केवल 33 है, और अब 3 भी नहीं रहेंगे इस तरीके की बात करते रहेंगे तो—(व्यवधान) सुगम यातायात की व्यवस्था के लिये—डबल लेन किया गया। (व्यवधान) सड़क निर्माण किया गया। जवाहर लाल

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नेहरू मार्ग जो भगवान दास रोड से जनपथ मार्ग को जाता है, छह लेन का किया गया....

(सदन कूप में नारे)

भवानी सिंह रोड को चौड़ा किया गया...(व्यवधान) जगतपुरा रोड को किया गया...(व्यवधान) सांगानेर सर्कल से मालपुरा रोड को भी किया गया। ग्रामीण पंचायत चेतना चौकियां बना दीं। बरसाती नालों का भी निर्माण किया गया। सीवरेज योजना की गयी। जयपुर की केवल दस लाख लोगों की ही आबादी थी। सहकारी समितियों से विकास किया गया...(व्यवधान) पचास लाख की नालियों का निर्माण किया गया ...(व्यवधान)

(सदन कूप में नारे)

ऐसे जिंदाबाद से तो मरना अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते तो यह भी कह सकते थे। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, न इनकी कोई कार्य योजना थी। हमने लैंड

(सदन कूप में नारे)

कन्वर्जन से 100 करोड़ रुपये जे.डी.ए. के द्वारा वसूल किये जिससे कि यह विकास किया है। राजस्थान सरकार से जयपुर के विकास के लिये एक पैसा नहीं लिया गया। यह है कांग्रेस शासन की खूबी। यह हमारी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्के इरादे की सोच है। हमने राज्य सरकार से एक पैसा नहीं लिया उसके बाद भी जयपुर का, अजमेर का, बीकानेर का, उदयपुर का, कोटा का किया, सौंदर्यकरण किया, यह सब किया....

(सदन कूप में नारे)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 1311 जनों को मुख्य मंत्री...(व्यवधान) कियोस्क का निर्माण किया।

(सदन कूप में नारे)

विस्थापित किया गया उनको पहले स्थापित किया। इस तरह की योजना, इस तरह की सोच, इस तरह का पक्का इरादा केवल यदि है तो राजस्थान की सरकार का। (व्यवधान) योजनान्तर्गत काम किया गया...(व्यवधान) वह बधाई की पात्र है।

(सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + +

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : सर्कल की 17 एकड़ जमीन में रोज गार्डन बनाया। स्वर्ण जयंती पार्क बनाया। (व्यवधान) ये विकास के विरोधी है। ये प्रजातंत्र के विरोधी है। ये साम्प्रदायिकता भड़काने वाले लोग हैं... (व्यवधान) राजस्थान के अन्दर शांति व्यवस्था बनायी। अगर गुजरात की सरकार राजस्थान में होती तो आप लोगों को मरवा देते। (व्यवधान) आप लोगों ने जब-जब सत्ता पायी, साम्प्रदायिकता का...(व्यवधान) कांग्रेस की सरकार जिसने शांति व्यवस्था बनाये रखी, राजस्थान के अंदर...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + ...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : 175 करोड़ का बजट था और इसमें 100 करोड़ रुपये जमीन बेच करके लाये वह जमीन जो कि अतिक्रमण कर रखी थी...(व्यवधान) आपके भू-माफियों के... (व्यवधान) कृषि भूमि के नियमन किये गये...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी बोखला गयी है। कांग्रेस की बहबूदी है, पूरे राजस्थान में विकास है, विकास गाथा को सुनने का माद्दा नहीं रहा है...(व्यवधान) आज एक करोड़ रुपये प्रतिदिन की आय हो रही है इन कैम्पों के माध्यम से। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सदन कूप में नारे)

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संजीव कुमार : आपने जो अहमदाबाद के अंदर मारा है ...(व्यवधान) उससे पृथ्वी हिल गयी है। जो आपने + + + किया है...(व्यवधान) वह कुत्ते की मौत तो कही गयी है, इंसान की मौत बदतर हो गयी है। इतनी बुरी तरह से आप लोगों ने वहां मारा है अहमदाबाद में। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी विकास की गति निरन्तर जारी है। (व्यवधान) शिक्षा आपके द्वार यह जो लाये है यह पहली बार इच्छा-शक्ति दिखायी है कि घर-घर जाकर यह खोजा जाए कि कौनसा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है...(व्यवधान) ऐसी सोच... (व्यवधान) हमारे शिक्षा मंत्रीजी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। शिक्षा आपके द्वार...(व्यवधान) लोक जुम्बिश योजना, प्राथमिक शिक्षा किसी भी...(व्यवधान)

(सदन कूप में नारे)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : बच्चों को घर-घर जाकर शिक्षक मिलेंगे, जन प्रतिनिधि मिलेंगे, बच्चों के अभिभावकों से बात करेंगे। बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह की जो मानवीय सेवा है, पहली बार कांग्रेस की सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री की प्रेरणा से यह सब सम्भव हुआ है। (व्यवधान) शिक्षा मित्र योजना जिसके द्वारा किया जा रहा है...(व्यवधान) 18173 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली गयीं। (व्यवधान) कोने-कोने में उसका स्वागत किया गया है। राजीव गांधी पाठशालाओं में एक-एक बच्चे को प्रेरित किया गया है पढ़ने के लिये...(व्यवधान) हर बच्चा पढ़ेगा तो राजस्थान पूर्ण रूप से साक्षर ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में आपको निवेदन करना चाहूंगा, 2003 में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है और हम इसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार इसको पूरा करेगी। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) सड़कें हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ने करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करके ...(व्यवधान) माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी के फफोलों पर हमने मरहम लगाया है, उनके द्वारा बनायी गयी सड़कों को, एग्रो मार्केटिंग बोर्ड नाबार्ड के द्वारा इस वर्ष सुधारने के लिए सड़क उन्नयन योजना को प्रारम्भ किया गया है। (व्यवधान) डामर सड़कों को माननीय ललितजी चतुर्वेदी ...(व्यवधान) राजस्थान सरकार बहुत ही अच्छी स्कीम लायी है राजस्थान की सड़कों...(व्यवधान)। विकलांगों के लिए यदि कोई मसीहा बना है तो वह अशोक गहलोत बने। (व्यवधान) अपाहिज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वालों को राज्य सरकार ने माना है। वृद्धावस्था पेंशन वाला

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भगवान के रूप में सरकार को मानता है पहली बार वृद्धावस्था पेंशन...(व्यवधान) यह भी एक मिसाल है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह केन्द्रीय सरकार ने छात्रावासों...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : 6 से 14 साल तक के बच्चों को...(व्यवधान) राज्य में निराश्रित बाल ग्रहों का विकास होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए... (व्यवधान) पहली बार गारंटी दी गयी है। (व्यवधान) मैं समाज कल्याण मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं, दोनों बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा की पहली बार योजना चालू की है। (व्यवधान) विधवा पेंशन है, निःशक्तजनों को किया, उपकरण बांटे गये, पहली बार किया गया। यदि कोई बी.पी.एल. का परिवार है उसको पांच लाख रुपये का भी आपरेशन है तो मुख्य मंत्री सहायता कोष से पांच लाख के मेडिकल इंश्योरेंस की योजना है।

श्री संजीव कुमार : + + + (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने उप चुनाव में सीट जीती, सुनना नहीं चाहते हैं, ये देखना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान) इस तरह से राजस्थान के विकास की बात को दबा नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके साथ भू-माफिया, आपके साथ शराब माफिया, आपके साथ + + + आपके साथ + + + माफिया...(व्यवधान) राजस्थान के विकास को आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में एक व्यक्ति को...(व्यवधान) राम सिंहजी विश्नोई यहां बैठे हैं, इन्होंने घोषणा की है कि सबको पेयजल मिलेगा। (व्यवधान) राजस्थान तीन साल से लगातार अकाल की चपेट में रहा...(व्यवधान) पानी के कारण किसी को मरने नहीं दिया, पानी की व्यवस्था की गयी। (व्यवधान) पानी की स्थिति को ठीक किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री संजीव कुमार : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजीव गांधी पेयजल मिशन में जो पानी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था की। ऐसी स्थिति में इतनी व्यवस्था करना मामूली कार्य नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान) इसके अतिरिक्त जो भी है...(व्यवधान)

सहकारिता के क्षेत्र में विभाग ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव घोषित किये। निकट भविष्य में सहकारी समितियों के चुनाव होंगे, यह माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने घोषणा की है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री खेतसिंहजी राठौड़ को बधाई देता हूं कि इन्होंने यह किया है। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : आप सब लोग बैठ्या देख रया हो, किशनगढ़ मं कांई होयो। अजमेर में हारणा सू आप क्यूं हक्का बक्का होर्या हो ?(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर मं हारणा सूं हक्का बक्का होर्या है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनता विकास चाहती है और ये बरबादी चाहते हैं। (व्यवधान).

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के राज में आठ साल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गयी। ये राजस्थान का विकास नहीं चाहते, ये राजस्थान का विनाश चाहते हैं। इनके जमाने में नगर विकास न्यास का नाम नगर विनाश न्यास था। आज जयपुर का डवलपमैंट किया है...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो बिजली में सुधार कार्यक्रम हो रहे हैं...(व्यवधान) बिजली में छीजत को कम करने के लिए...(व्यवधान) सिस्टम को डवलप किया गया और लासेस को मीट आउट किया गया, जिससे करोड़ों की जो बरबादी बी.जे.पी. के शासन में होती थी, उसको हमने चैलेंज किया है। हमने ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना की और व्यापक कार्यक्रम किये हैं। जिस तरीके से बिजली में हम लोगों ने किया है वह सराहनीय है। इसकी सराहना प्रधानमंत्री जब कोटा आये थे तब उन्होंने स्वयं ने की है। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जो विकास का प्रबन्धन किया गया है, उसकी सराहना की है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

ऐसी स्थिति में राजस्थान...(व्यवधान) इतनी हार्डशिप होने के बाद, न कोई कोलरी है, न पानी की नदी है, उसके बावजूद भी एक कुशल प्रबन्धन किया है हमारे ऊर्जा मंत्री ने, वह सराहनीय है। अबकी जो फसल है उसने राजस्थान में दिखा दिया, हमने हमारे बेहतरीन और कुशल प्रबन्धन के द्वारा यह बता दिया

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि राजस्थान के किसानों की खेती को नहीं सूखने देंगे। राजस्थान के किसानों की खेती को लहलहाता देखेंगे और...(व्यवधान) सात घंटे रोजाना बिजली देकर एक रिकार्ड कायम किया। (व्यवधान) हमने सूरतगढ़ की चौथी इकाई भी स्थापित की है, और भी इकाई आ रही है। इस तरीके से हम कहते हैं कि हम विकास के धनी हैं, हम विकास के उन्नयक हैं। राजस्थान आज विकास चाहता है, राजस्थान आज विनाश नहीं चाहता है। राजस्थान की प्रगति को देखते हुए अभी अजमेर में जो चुनाव हुआ उसमें राजस्थान की जनता ने साबित कर दिया, राजस्थान की जनता ने अजमेर में आपका पाटिया साफ कर दिया, आपको हरा दिया। विपक्ष के नेता महोदय चार दिन तक वहां गये, उन्होंने कहा कि अबकी तो बाजी है। लेकिन राजस्थान की जनता ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की जनता विकास चाहती है, आपकी तरह विनाश नहीं चाहती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आपने उड़ीसा में क्या किया? + + + की आपने यह बात मान रहे हैं कि गोधरा में जो कुछ हुआ वह एक + + + थी, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके पलटफेर में आपने गुजरात में किया वो + + + है। + + + आपने जो किया कभी भी इससे विकास नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो यह पाया जाएगा कि राजस्थान में विकास का काम हुआ है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं पूरे समय बोलूंगा और मैं अपनी बात कहूंगा। ये + + +, ये + + + विकास की बात नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति की, उससे ये हो रहे है। इनको यह भ्रम था कि जिस तरीके से हमारी लुटिया बिजली के कारण डूबी है, उसी तरह कांग्रेस की भी हो जाएगी। लेकिन हमने नये संयंत्र स्थापित किये, बिजली पैदा की और हम अतिरिक्त बिजली पैदा करके बताएंगे 2003 से। आप में इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आप चाहते तो जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से 175 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया है, वह आप भी करते। हमने जमीन बेची। हमने अतिक्रमण से जमीन छीनी और बेची। हमने इससे विकास कराया। आज जो हमारे केम्प है उनमें एक दिन में एक करोड़ रुपया पैदा हो रहा है, जिससे फ्लाई ओवर हो रहे है, जिससे सड़के बनी है, जिससे विकास हो रहा है। जयपुर को पहली बार कैपिटल का स्टेटस दिया तो हमने दिया। आपने क्या किया? आपने जयपुर को बरबाद किया, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को बरबाद किया। आप बरबादी के प्रतीक हैं, आप विनाश के प्रतीक हैं, आपने राजस्थान को खण्डहर कर दिया। इस तरह की स्थिति में मेरा आपसे निवेदन करना यही है कि आप क्या बोलेंगे। आपने कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। आपने क्या किया? आपने भारत को खण्डित

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कर दिया। आपने भारत को अनेक टुकड़ों में बांट दिया। + + + मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जनता आपको धिक्कार चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है, जनता आपको वोट देना नहीं चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को ...(व्यवधान) यह किसने किया? आप जितना भी + + + आप राजस्थान के विकास की गाथा को नहीं रोक सकते। राजस्थान के विकास की गंगा, जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय अशोक गहलोत ने बहायी है, उसको नहीं रोक सकते। वह अविराम है...(व्यवधान) शाश्वत समय तक रहेगा, साक्षी रहेगा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान में स्थापत्य कला को बढ़ाने के लिए, हमारी पुरा विधा को उभारने के लिए, हमारी पुरा धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने लिए, डोमेस्टिक और रिलीजर्स पर्यटन को उभारने के लिए अगर राजस्थान में पहली बार कोई सोच हुआ है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया है। राजस्थान में आपने पुराने रजवाड़ों में जाकर उनकी सम्पत्ति... जो खण्डहर थी, उसमें पैसा लगा दिया सरकार का + + + आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जिन्होंने यह किया। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी की इच्छाशक्ति दृढ़ है, उन्होंने डोमेस्टिक ट्यूरिज्म, रिलीजस ट्यूरिज्म को आगे बढ़ाया है। एकमात्र आय का स्रोत, इस स्रोत के लिए जो नये वैन्यू डवलप किये हैं, जो नये डाइमेंशन डवलप किये हैं उनकी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि हमारा जो विकास का रथ आगे बढ़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी अवरुद्ध नहीं कर सकती। उसका पहिया द्रुत गति से चलेगा। आपके अवरोध के बावजूद, आपके + + + के बावजूद, आपके व्यवधान डालने के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निरन्तर आगे बढ़ती रहेगी। मेरा निवेदन करना यह है कि जो हमने सुधार के कार्यक्रम किये हैं उनका कोई सानी नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारा "प्रशासन गांवों की ओर" चला, इसमें गांवों के लोग आये। मैं राजस्व मंत्री कमला बेनीवालजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रशासन गांवों की ओर में एक नया अनुभव किया। पूरा अमला, पूरे अधिकारी वहीं पर आये। स्वास्थ्य के अधिकारी आये, उन्होंने डिसएबल्ड सर्टिफिकेट मौके पर बनाये। रेवन्यू के अधिकारी आये, उन्होंने नामान्तरण में जो गलती थी उसको सुधारा। राजस्थान में पहली बार प्रशासन गांवों की ओर सफल रहा। लोगों ने उस दिन दीवाली मनायी जिस दिन उनके गांवों में प्रशासन गांवों की ओर का सफल आयोजन किया गया। यह दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है, यह सकारात्मक सोच का परिणाम है। इसका श्रेय जाता है हमारे लाडले, जनप्रिय मुख्य मंत्री भाई अशोक गहलोत को और हमारी राजस्व मंत्री

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कमलाजी को। इस तरह राजस्थान के अंदर जो एक विकास का बिगुल बजा है उसका कोई सानी नहीं है। आपकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज है। राजस्थान की जनता आपको जानती है, आप कितने + + + है आपने साम्प्रदायिकता का जहर उगला है। वह जो जहर उगला है उसका यहां प्रतीक है। इसलिए राजस्थान की जनता आपके कोई भुलावे में नहीं आ सकती, आपको जानती है। आपको भी मालूम है, पहले देखा है। आपने हमेशा जातिवाद का सहारा लिया, आपने क्षेत्रवाद किया, राजस्थान को खण्डित कराया। आपने भारत माता के आंचल को लजाया। ऐसी स्थिति में आपके प्रधानमंत्री भी आपसे दुःखी हैं, वो कह रहे हैं मुझे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मुझे मर जाना चाहिए। जब उड़ीसा की विधान सभा में बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद् के लोगों ने किया, + + +, आनी चाहिए, + + + है आप पर। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दुग्ध का उत्पादन किया उसमें भी हम किसी से पीछे नहीं है। आज राजस्थान का किसी भी क्षेत्र में आकलन किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो विकास हो गया। (व्यवधान)

क्या, आपकी करतूत है, यह फोटो लेकर आप जाओ, दिखाइये। जो जेल में हो उसको दिखाइये। आपने राजस्थान का भट्टा बैठा दिया। आपकी परिणति 33 में क्यों हुई? आपकी परिणति 33 में हुई वह इस बात का सूचक है, वह इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको डिस्कार्ड किया, आपको डिसओन किया। आपने जनता के साथ ब्रीच आफ ट्रस्ट किया। ऐसी स्थिति में आपका क्या किया जाए?

आज राजस्थान में जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा उसको स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि वह आए, अपने बच्चों को पढ़ाए। यदि वह मना करता है तो उसके अभिभावकों को प्रेरणा दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन दी गयी। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो काम किये गये वे अत्यन्त सराहनीय है। सामाजिक सुरक्षा का पहली बार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया गया वह राजस्थान के 55 साल के इतिहास में कभी भी नहीं किया गया। वृद्धावस्था पेंशन दी गयी, डिसएबल्ड को दी गयी। मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों को मौके पर डिसएबिलिटी के कार्ड बांटे गये। ऐसा संवेदनशील प्रशासन, ऐसा पारदर्शी प्रशासन, ऐसा प्रभावशाली प्रशासन आज तक न कभी देखा था, न कभी सुना था। यथार्थ में राजस्थान की जनता ने पहली बार इसको

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

साकार रूप में पाया है। मुख्य मंत्री महोदय इसके लिए बधाई के पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाल कल्याण की जो योजना थी उसके बारे में भी जीरो से छह साल तक के बच्चों को, शिशुओं को पोषाहार दिया गया। शिशु पोषाहार दिया गया उसके लिए 28 लाख रुपये दिये गये। निराश्रित बालगृहों में भी स्वयंसेवी संस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। प्रत्येक बच्चे को पहले बी.जे.पी. के राज में 200 रुपये दिये जाते थे, आज 350 रुपये प्रति माह छात्रावासों में दिये जाते हैं। यह हमारा एक अच्छा कुशल, सूझबूझ का काम है। राजस्थान के छात्रावासों में जो एस.सी., एस.टी. के भाई रहते हैं उनके लिए भी हम संवेदनशील है। हमारी सरकार एस.सी., एस.टी. के प्रति संवेदनशील है। राजस्थान में आर्थिक तंगी के बाद भी हमने एस.सी., एस.टी के छात्रावासों में एक बालक पर 350 रुपये बढ़ाकर यह घोषित किया कि तंगी के बावजूद भी हम विकास चाहते हैं, हम इस तरह का चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है—(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो चलता रहेगा, 350 रुपये प्रति बालक दिया गया है और ढाई हजार लोगों को हमने दिया है।

इसके अलावा, हमने स्वयं सहायता दी है, कृत्रिम अंग दिये है। एक बेसहारा, लंगड़ा जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता उसको हमने, कोढ़ी को काया, अंधे को आंख दी है। इसी तरह से, जो डिसएबल्ड है, निःशक्तजन है, उनको दिया है। दामोदरजी थानवी भी बधाई के पात्र है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की कितनी संवेदनशील सोच है कि असहाय लोग जो दुःखी है, दीन है, जिनके लिए 55 साल में किसी ने भी नहीं सोचा, उसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोचा। उसके लिए कार्ड बनाये गये, उसके लिए मेडिकल रिलीफ सोसायटी के कार्ड दिये गये, बी.पी.एल. के कार्ड दिये गये। आज बी.पी.एल. होल्डर को जो सुविधाएं हैं, वे कभी भी किसी को नहीं दीं गयीं। (व्यवधान) छात्रवृति योजना लागू की गयी। (व्यवधान) नेत्रहीन बालक बालिकाओं को पहले पाठ्य पुस्तकें दी गई है। इसके अलावा पोलियो करेक्शन कैम्प चल रहा है। विकलांग विवाह परिचय किया गया। विकलांगों को परिवहन सुविधा दी गयी और विकलांगों को निःशुल्क कियोस्क आबंटित किये गये। विकलांगों को कियोस्क आबंटन पहली बार हुआ है। (व्यवधान) विकलांगों का चिन्हीकरण किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, विकलांगों को जो कियोस्क बांटे गये हैं उनसे आज एक विकलांग राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के राज में रोजगार करता है। उनको दो हजार कियोस्क दिये गये हैं, यह कियोस्क पाकर आज कांग्रेस की सरकार को भगवान के रूप में देख रही है। जो अपना धंधा नहीं कर सकता, जो डिसएबल्ड चल भी नहीं सकता उसको रोजगार दिया गया है। (व्यवधान) यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था कि हम अपंग को, असहाय को, निर्धन को रोजगार देंगे, यह वो कमिटमैंट है। हम हमारे कमिटमैंट से पीछे नहीं हटे हैं। विकलांगों का चिन्हीकरण किया

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गया है और चिन्हीकरण होने के कारण विकलांगों के और मामले आएंगे उनको भी राज्य सरकार की तरफ से उपकरण बांटे जाएंगे चलने के लिए।

हमारे जो एन.जी.ओज. है उनके द्वारा भी वृद्ध और बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृद्ध और बच्चों के कल्याण की योजना बनायी गयी है। वह वर्तमान में रात के वक्त के लिए किया गया है। पुष्कर में किया गया है, अजमेर में किया गया है। मुस्लिम वैलफेयर सोसायटी, जयपुर में किया गया है टोंक में संचालित किया जा रहा है। इस तरीके से वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है। 25 को लाभान्वित किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि और तो और, वृद्धावस्था के लिए 55 वर्ष से अधिक की महिलाओं को सौ रुपये की जगह 200 रुपये प्रतिमाह दिया गया है, 58 से अधिक किन्तु 65 के कम के पुरुषों के लिये सौ रुपया दिया गया है। 65 वर्ष से अधिक के पुरुषों को सौ की जगह दो सौ रुपये प्रति माह दिया गया है। संयुक्त पेंशन के लिए पति-पत्नी को डेढ़ सौ की जगह ढाई सौ रुपये प्रतिमाह दिया गया है। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन को बढ़ाकर 125 की जगह 200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अपाहिज और अपंग पेंशन के लिए 125 की जगह 200 किया गया है। सामाजिक सुरक्षा का बीमा किया गया है। यह हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, कांग्रेस की सरकार लोक कल्याणकारी है। सामाजिक सुरक्षा का दायित्व आज हमारे ऊपर है। हम वैलफेयर स्टेट है इसलिए हमारा दायित्व है कि चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक, राजस्थान की जनता तक यह मैसेज जाए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। इसके लिए शोर कर रहे हैं, इनको + + + आनी चाहिए। राजस्थान की जनता आपको देखेगी, आपके शोर को देखेगी। अब के आप 33 है, अगली बार तीन आएंगे, अगर यही स्थिति आपकी रही तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन करना है कि अपाहिजों को पेंशन के लिए पैसे दिये गये, वृद्धावस्था के लिए दिये गये। 2250 करोड़ रुपये खर्च किये गये 21752 लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त और भी अधिक राशि का प्रावधान है।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आज जगह-जगह जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, आपको मालूम है पानी के स्रोत सूख गये। ऐसी स्थिति में गरीब को जो पानी उपलब्ध नहीं होता है उसके लिए, मानवता की सच्ची सेवा के लिए हमारा कमिटमैंट है जो राजीव गांधी पेयजल मिशन के द्वारा और माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री रामसिंहजी विश्नोई के अथक प्रयासों के द्वारा सफल हुआ है। एक भी व्यक्ति को पानी से वंचित नहीं किया जाएगा, पानी के लिए भले ही ट्रांसपोर्टेशन करना पड़े। हमने जिलाधीश को आदेश दिये

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैं कि यदि पानी ट्रांसपोर्ट करना पड़ा तो भी ट्रांसपोर्ट किया जाए, चाहे कितनी ही दूर से लेकर आएं। राजस्थान का मरुस्थल तीन अकाल झेल चुका है, उसके बाद भी हमारा कमिटमैंट है कि हम पेयजल की समुचित व्यवस्था करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान को...(व्यवधान) आप + + + आपके भाग में यही है। आपके भाग में यही बदा है कि आप यहां आये हैं, आप यहां से भी नहीं सुनें।

मेरा आपसे यही कहना है कि राज्य की जल नीति का मुख्य उद्देश्य बूंद-बूंद जल का संरक्षण करना है। जल संग्रहण के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वाटर शैड प्रोग्राम को भली भांति चलाया है। मैं तैयब हुसैन साहब का आभारी हूं कि उन्होंने वाटर प्रबंधन का अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एनीकट का काम किया गया है, भूजल का समतलीकरण किया गया है, पौध वृक्षारोपण किया गया है। वन विभाग के द्वारा राजस्थान के एनवायर्नमेंटल प्रोटैक्शन के लिए और इकोलोजिकल बैलेंस के लिए जो कार्य योजना में हुआ है उसके लिए मैं माननीय भगराजजी चौधरी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उनके द्वारा यह किया गया है।

ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति के क्षेत्र में भी काम किया गया है। बावड़ी का काम किया गया, एनीकट बनाये गये। जगह-जगह यह देखा गया है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ऐसी योजना की जाए। राजस्थान से जो सोना बहकर चला जाता है उसके संरक्षण के लिए, वाटर को रोकने के लिए जो पी.एच.ई.डी. की स्कीम बनी है वह पहली बार बनी है। अगर आपने जल जो कि जीवन है, जल जो कि सोना है, जल जो कि राजस्थान की प्रोग्रेस है, उसको टैप किया तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं कि राजस्थान आत्मनिर्भर होगा पेयजल के बारे में हर तरह से हम अन्य राज्यों को भी लाभान्वित कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनमें न सोच है, न समझ है, न डिसीजन मेकिंग है, न प्लानिंग है, ये लोग देश के टुकड़े करने के अलावा, साम्प्रदायिकता फैलाने के अलावा, शोरबाजी करने के अलावा, कुछ भी नहीं कर सकते। इनको + + + राजस्थान की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान की जनता इनको डिस्कार्ड करती है। मेरा निवेदन करना है कि जो हैबिटेशन का किया गया है, अजमेर में 152 का टारगेट है, अलवर में 400 किया गया है, बांसवाड़ा में 250 है, बारां में 254 किया गया है। और तो और, हमने जी.ओ. सभी को भेजा है। यदि 20 भी लोग है, 25 भी लोग है और उनको पानी की व्यवस्था नहीं है तो 25 लोगों को भी हम पानी पहुंचाएंगे। यह हमारा आखिरी छोर पर कमिटमैंट है, हम इस कमिटमैंट को पूरा करेंगे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति है। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त पेयजल योजना के सम्वर्द्धन के लिए जो किया गया, 393 की योजना बनायी गयी है। मरुस्थल के लिए 50 करोड़ की चूरू-बिसाऊ योजना है। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 154 करोड़ रुपये की राशि से जो सम्वर्द्धन और पुनर्गठन किया गया है, आने वाले समय में राजस्थान को उससे बहुत लाभ होगा, जनता को लाभ होगा। 393 करोड़ रुपये की योजना की है, चूरू-बिसाऊ योजना

(16.00 बजे)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

की है, मरुस्थल के लिए, मानसी-वाकल परियोजना 2001-2002 में की गयी। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में मिलकर कार्य आरम्भ किया गया है जिस पर आज की मद से 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानसी-वाकल परियोजना पर भीलवाड़ा, सलूम्बर कस्बे में पेयजल की समस्या को देखते हुए 29.13 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 5-5 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार की बराबर भागीदारी के द्वारा पांच शहरी योजनाओं को चिन्हित किया गया है और 7 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है उससे आने वाले मौसम में पानी मिल सकेगा। इसके अलावा, चूरू-बिसाऊ की योजना हो रही है, राठौड़ साहब, आप भी यह तो सुन लें, आपके फायदे की है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

हम भेदभाव नहीं करते। 50 करोड़ रुपये की लागत से चूरू-बिसाऊ की भी योजना बनायी जा रही है जिससे जनता को पानी मिलेगा। ग्रीष्मकालीन पेयजल की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना की गयी है। नलकूपों, हैण्डपम्पों का निर्माण किया जा रहा है। कंटिंजेंसी प्रोग्राम के लिए धनराशि हमने रख ली है। हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर ने कहा है कि कंटिंजेंसी के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह उनका एक संकल्प है, कमिटमैंट है। यही है हमारे मुख्य मंत्री महोदय का कुशल प्रबन्धन, कुशल संचालन। इस वर्ष कंटिंजेंसी के अंतर्गत 1750 हैण्डपम्प, 110 नलकूपों और 95 नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है, जो रिपेयरेबल है उनको भी रिपेयर किया जाएगा।

आपके इस तरह से नाश कहने से हम चिरायु होंगे, आप निश्चित रहिये। आप विनाश के कगार पर खड़े हैं। आप राजस्थान का विनाश चाहते हैं, राजस्थान का सत्यानाश चाहते हैं। आपने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। आपने भारत के अन्दर साम्प्रदायिकता का जहर किया है, + + + जो गोधरा के अंदर हुआ वह तो काली करतूत थी, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद उलट में गुजरात को आपने तहस-नहस किया, यह शर्मनाक स्थिति है। आपका कृत्य शर्मनाक है। कोई भी सभ्य

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

समाज आपको सभ्य नहीं कहेगा। आपने पार्लियामैंट्री फार्म आफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रखी है। आप पार्लियामैंट्री फार्म आफ डेमोक्रेसी को खराब करते हैं। यह जो सिस्टम है इसको आप जैसे लोगों के द्वारा कोलेप्स नहीं होने दिया जाएगा। इसमें एंटी ट्रेडीशन डवलप किया जाएगा, एंटी कन्वेंशन डवलप किया जाएगा। आप क्या मान रहे है इस तरह की बात को?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि नलकूपों का, हैण्ड पम्पों का निर्माण किया, हैण्ड पम्पों को अभियान किया गया। दो अक्टूबर, 2001 से लगातार हैण्ड पम्पों का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कितने भी + + + लेकिन राजस्थान की जनता की चहुंमुखी, बहुमुखी प्रगति हुई है। आज राजस्थान किस स्थिति में है? आज राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ है आज राजस्थान की चहुंमुखी प्रगति हुई है। राजस्थान की प्रगति हुई है और आपके पास जलने के, भुनने के अलावा कुछ नहीं है। कहने के लिए कुछ नहीं है। आज आप कोई मुद्दा नहीं उठा सकते, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। न बिजली है, न सड़क है, न पेयजल है, कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि आप हाहाकार करें। इसलिए ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो राजस्थान में किया है वह कहीं नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त जल को, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी व्यवस्था की गयी है। स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह किया है... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त प्रशासन शहरों के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर कच्ची बस्तियों का नियमन किया गया है, कृषि भूमि का नियमितीकरण किया गया। मुख्य मंत्री रोजगार योजना में यह किया गया...(व्यवधान) आबादी भूमि पर जो कब्जे थे, ये भू-माफिया, ये शराब माफिया, ये ठेकेदार माफिया, यदि राजस्थान में भू-माफिया को खतम किया है तो हमने किया है, शराब माफिया को खतम किया है तो हमने किया है। आपके ठेकेदार माफिया को खतम किया है तो हमने किया है। यह हमारी सोच का परिणाम है, यह मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत की सोच का परिणाम है। आज आप बौखला रहे हैं, आप + + + रहे हैं, आज आप पुकार रहे हैं, आज आप घबरा रहे हैं कि अब क्या करें। आपको अगले चुनावों में शराब माफिया चंदा नहीं देंगे। आपको भू-माफिया चन्दा नहीं देंगे। प्रशासन शहरों के अंतर्गत उनकी जमीन को ले लिया है, उनकी जमीन को आक्शन कर दिया है इसलिए आप यह कहते हैं।

ऐसी स्थिति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के अंदर विकास की जो एक लहर आयी है वो लगातार जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो किया गया है, जगह-जगह आज कोई भी महामारी फैलती है तो राजस्थान में हमारे चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र चौधरी के द्वारा काम किया जा रहा है, आज जयपुर जो राजस्थान

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की कैपीटल है वहां तीन आई.सी.यू. बनाई है। एक आई.सी.यू. बांगड़ हास्पिटल में, एक आई.सी.यू., एस.एम.एस. में, एक आई.सी.यू. इमरजेंसी में बनायी है। आज हमने आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाकर 10 लाख के नये इंस्ट्रूमेंट लिये हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र चौधरीजी के द्वारा यह जो चिकित्सा क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया है वह हमने पूरा किया है। और हम पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे, मेरा आपसे यह निवेदन है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि "प्रशासन गांवों के संग" चला, उसके बाद आज जो स्थिति है वह आपको मालूम है। ग्रामीणों की समस्याओं के लिए प्रशासन दरवाजे पर गया। गांव का आदमी इतनी दूर जाकर अपनी समस्या कहता था, तहसील में उपखण्ड पर जाता था। उसकी बजाय उसके गांव में प्रशासन आया, आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी हटी और शिविरों के माध्यम से कार्य सम्पादन हुआ। आम जनता ने माना कि आज सरकार उसकी है, आज प्रशासन उसका है और प्रशासन बड़ा संवेदनशील है। आज आपने देखा कि जो बड़े-बड़े अधिकारी है, आई. ए. एस. अधिकारी है, वो उनके गांव में आये हैं, वे नतमस्तक होकर इनकी सेवा में लगे हैं। यह नौकरशाही के शिकंजे को कसा है वह किसने कसा है? यह कांग्रेस सरकार के चुस्त प्रशासन की देन है, हमारे कुशल प्रबन्धन का सूचक है। इस तरह की जो बात है इससे ये बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास बौखलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। गरीब कृषकों को जमीन का पट्टा दिया गया, राज्य की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया गया, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया गया और आम जनता को समुचित भागीदारी का मौका दिया गया।

हमारे पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जो ढाणी ढाणी में वार्ड सभा का आयोजन किया गया वो अपने आप में जन सहभागिता का एक अनूठा उदाहरण है। वार्ड सभा के आयोजन से वार्ड के लोगों में चेतनाशक्ति जाग्रत हुई है कि आज अब वार्ड ही काम करेंगे। किसी वार्ड में पहले कभी काम नहीं हुआ उसमें अब काम होगा। यह सोच है हमारे पंचायती राज मंत्री जोशीजी की और हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की। ऐसी सोच इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी सोच के लिए बड़ी सृजनात्मक शक्ति की जरूरत है, एक परिपक्व नीति की जरूरत है और वो परिपक्व नीति स्थापित की गयी।

मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्व विभाग के अभियान के दौरान एक नॉडल विभाग बनाया गया और अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक पंचायत समिति में नियुक्त किया गया। इसके तहत 236 टीमों का गठन किया गया। सतर्कता अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, जिलाधीश की ड्यूटी लगाई गई कि वो जिले में जाकर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नियंत्रण करें। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, सहायक अभियंता गये। ऐसी स्थिति में जबकि प्रशासन में जनता की आस्था आ रही है, जनता अगले चुनावों में बता देगी कि ये लोग जो केवल बात करते हैं, ये लोग जो कागजी बात करते हैं, इनके पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। इनके पास न सोच है, न कोई ठोस योजना है सिवाय धोखाधड़ी के ये राम का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करके जिस तरीके से धार्मिक उन्माद करते हैं, यह अपने आप में साबित करता है कि इस तरह की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभियान के दौरान काफी समस्याओं का समाधान किया गया। हमारे मुख्य मंत्री महोदय 16 से 18 घंटे प्रति दिन काम करके राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे है। इससे ज्यादा कभी मुख्य मंत्री क्रियाशील नहीं हुआ जिन्होंने कि इतनी अपनी समय शक्ति दी। अपने एक-एक आइटम को वे राजस्थान के लिए समर्पित कर रहे हैं। ऐसा मुख्य मंत्री कभी राजस्थान के लिए इतनी संवेदनशीलता का परिचय देने वाला नहीं हुआ। इतना डेडीकेटेड होकर काम किया है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जो सेवा कर रही है राजस्थान की जनता इसको भूलेगी नहीं। यह आने वाला समय ही बतायेगा। कुल मिलाकर राजस्थान में हमने एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रखा जिसमें कि हम सेवा नहीं कर पाएं। आज पूरे प्रदेश के सम्भाग में, चाहे अजमेर हो, चाहे उदयपुर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, सभी जगह इस तरह से किया जाता है, इस तरह की बात की जाती है। (व्यवधान) ये क्या करें?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

यह विधान सभा है, कृपा करके इसको विधान सभा ही रहने दो। इसको आप...(व्यवधान) संसदीय मूल्यों की अक्षुण्ण धरोहर जो संसद है उसकी रक्षा करना आप कुछ समझो। आपने डैमोक्रेटिक सैट-अप को तोड़ दिया है।

यह सब है। आप वही हो जिन्होंने गणेश की मूर्ति को दूध पिला दिया। आपने राम की हत्या कर दी। आपने राम की हत्या की है। राम के हत्यारे आप हो। राम के नाम पर राजनीति करने वाले आप...(व्यवधान) आपसे तो राम ही रूठ गया। आपने कर ली। वे शिलाएं कहां गई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा शिलाओं का क्या हुआ? इनके घर की सुन्दरता बढ़ाती है। इन्होंने लाखों रुपयों का गबन कर लिया और चंदा कर लिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और जनता की धार्मिक भावना को भड़काकर भारतीय समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। जो इन्होंने उड़ीसा में किया, कल गुजरात में जो किया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये पूरे भारत को खंडित करना चाहते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसी स्थिति है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर कोई टाइम की बाइंडिंग नहीं है। मैं आपको विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई टाइम की बाइंडिंग नहीं है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे ऊपर कोई टाइम की बाइंडिंग नहीं है। मैं राजस्थान के विकास की पूरी गाथा कह कर रहूंगा चाहे एक दिन लगे, दो दिन लगे, तीन दिन लगे। मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। हममें दृढ़ इच्छाशक्ति है और हम यह बाताएंगे कि राजस्थान की विकास गाथा आगे बढ़कर रहेगी। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 4.84 लाख का नामान्तरण हुआ, 82,000 लोगों को खातेदारी के अधिकार दिये गये, 30800 परिवारों को कृषि भूमि आबंटित की गई जिसमें 28100 परिवार अनुसूचित जाति-जनजाति के थे। 4.87 लाख किसानों को पास बुकें दी गई। आपको तो मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसान के पास रिकार्ड आफ राइट के रूप में पास बुक का वितरण किया गया। राजस्व रिकार्ड के 2.71 पट्टे दिये गये जो कि कम्प्यूटर बेस्ड थे। 38051 भूमि विभाजन के वाद मौके पर ही निपटाये गये।

12.88 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये। वे जाति प्रमाण पत्र जिनको प्राप्त करने के लिए एक अनुसूचित जाति जनजाति का भाई कितनी दूर जाता है...(व्यवधान) आप क्या कहते हो, आप हो + + +, आप हो गुजरात के + + +. आप उड़ीसा में दंगा फैलाने वाले और + + + आपने अव्यवस्था की है और कारगिल के + + + आप, कारगिल में आपने मरवा दिया। ताबूत में खा गये। आप तो ताबूत में खा गये, श्मशान में खा गये। आप किसी को नहीं छोड़ने वाले। आपकी जुबान से किसी भी तरह यह बात शोभनीय नहीं लगती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 14.54 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किये गये। 2.6 लाख जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। 10151 जन उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि का आबंटन किया गया। और तो और, 13700 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। 18653 परिवारों को दुकानों का आबंटन किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक असहाय को दुकान आबंटन करना, एक रोजगार की बात है। 70900 परिवारों को रिहायशी भूखण्ड दिये गये, रिहायशी भूखण्ड जिसके पास नहीं थे। और तो और, 32000 बीघा भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायतों को दी गई। ग्राम पंचायतों की आबादी बढ़ी है, उनके विकास के कार्य ठप है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों को जमीन परिवर्तित करके मौके पर दी गई जिससे कि वे विकास कर सकें, जिससे कि वे वैलफेयर एक्टीविटी के लिए आबंटन कर सकते है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चला, उसकी उपलब्धि

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

से आप व्यथित हो गये है। ये असंतुलित हो गये है। आप मानसिक रूप से उद्वेलित हो गये है, मेंटली सिक हो गये है, मेंटली + + + हो गये है, + + + के हो गये है, + + + में हो गये है और + + + में आकर आज इनका यह हश्र, यह स्थिति है, यह इनकी दशा है। ये दिग्भ्रमित हैं कि इस तरह की जो विकास की गंगा है इसको कैसे रोका जाए, कैसे थामा जाए, कैसे आब्स्ट्रेक्ट किया जाए, कैसे इंटरवीन की जाए, कैसे हैम्परविद की जाए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह राजस्थान में जो विकास की गंगा बही है, वह इनके इस तरीके के कुचक्र से कोई ठप होने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता को मालूम है कि उनको लाभ क्या मिला है।

मेरा निवेदन है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 44300 परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन हुई। 28198 परिवारों को विधवा पेंशन प्राप्त हुई, 89091 निःशक्तजनों को पेंशन दी गई, 29900 पेंशनरों को राष्ट्रीय लाभ स्वीकृत किया गया और बालिका समृद्धि योजना 47739 व्यक्तियों को दी गई। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 6899 परिवार लाभान्वित किये गये। अन्त्योदय परिवार योजना के अन्तर्गत 70626 लोगों को सहायता दी गई। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु 9447 परिवार चयनित किये गये, 12.85 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया और 23,000 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गई।

जो ऊर्जा सम्बन्धी समस्या थी, मीटर बाक्स का ढीला होना, कंडेंसर, तारों का ढीला होना, मीटर जिनमें कि एरर थी उनको, ट्रांसफार्मर्स को मौके पर बदला गया। लोगों को जो बिजली दी, वह फुल वोल्टेज पर दी जिससे वे अपनी सिंचाई का साधन कर सकें। राजस्थान के अन्दर सिंचाई क्षेत्र में जो किया गया है वह भी अभूतपूर्व कार्य है। ट्रांसफार्मर्स के लिए, पशुपालन के लिए, टीकाकरण के लिए यह किया गया है।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो भी कार्य किया गया है, आज जयपुर में कार्य किये गये इसके लिए राजस्थान सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया गया। राजस्थान सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। जयपुर में 175 करोड़ रुपये खर्च हो गये, 175 करोड़ रुपये कैसे खर्च हुए? 175 करोड़ रुपये कैसे जनरेट किये गये, यह हमारी सोच है। यह हमारी इमेजिनेशन है, यह हमारी प्लानिंग है, यह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यह हमारा कुशल प्रबंधन है। आज जे.डी.सी. भी रोजाना सुबह एक घंटे लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में यहां फ्लाई ओवर का निर्माण हुआ, छह-छह लेन की सड़कें बनी। जयपुर में जो कभी सोचा नहीं गया था फ्लाई ओवर बनाये गये, सड़कें बनाई गई, विद्युतीकरण किया गया। जयपुर में नये काम किये गये। आज तक हमने सुना था कि जयपुर शहर है लेकिन

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

ज़यपुर को राजधानी का स्टेटस नहीं मिला था। जयपुर को राजधानी का स्टेटस केवल भाई अशोक गहलोत ने दिया है...(व्यवधान) मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह विकास की बात है। 3500 विकलांगों को सहायता दी गई, जो इसके अन्दर दी गई। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो किया गया है, आप देखिये, राजस्थान में जो हैबिटेशन थे, दूर-दूर दराज तक ऐसी स्थिति थी...(व्यवधान) हां, गिनीज बुक की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके के लोगों के आगे राजस्थान के विकास की, राजस्थान की कल्याणप्रिय सरकार इस तरह से नहीं रुकेगी। इनको + + + दीजिये। (व्यवधान) ये इस तरह से असभ्यता का प्रतीक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, लेकिन इनको मालूम है कि राजस्थान के विकास के लिए जो बावड़ी बनाई गई, शीघ्रता से जो कार्य पूरे किये गये, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है, सराहना की जा रही है। इसके बावजूद भी आप यह चित्र बनाकर क्या कर रहे है? आप खुद का चित्र देखिये, खुद के राज का चित्र देखिये, खुद की बात का चित्र देखिये। इस तरह की बात नहीं की जाती है राजस्थान के अन्दर। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कुशल प्रबन्धन किया। जो इन्होंने इस तरह किया, हम पहले से ही घाट में थे। हमने आते ही 60 साल से 58 साल की उम्र की जिसका हमारे ऊपर आर्थिक बोझ हुआ, फिर भी हमने इसकी चिंता नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह के षड्यंत्र से, इनके इंटरप्शन से, इनके रुख से हम डरने वाले नहीं है। मैं भी पूरी बात कह कर रहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात है। 222 नगर और ग्रामों को और 56057 ढाणियों में से 49852 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया। यह अपने आप में ऐसा कार्य है जो आज तक नहीं किया गया। खुद स्वयं इन्द्र देवता भी यहां पर उतर आते तो इन्द्र देवता भी नहीं कर सकते थे। ऐसा काम, ऐसा पेयजल का काम माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रामसिंहजी विश्नोई ने किया है। रामसिंहजी विश्नोई की जितनी प्रंशसा की जाए, उतनी कम है। इन्होंने इन्द्र देवता की तरह पेयजल का राजस्थान में अकाल पड़ता रहा फिर भी जैसे-तैसे कुशल प्रबन्धन किया। इस तरह की स्थिति में यह आज बौखलाहट का प्रतीक है, ये बौखला रहे हैं, ये छटपटा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके पास नहीं है। ये भी + + + हो गये है। ये + + + है। + + + इनके पास कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आज इनकी कोई भी एक सच्ची सोच का अभाव है। इनमें सृजनात्मक पक्ष नहीं है, इनमें सोच नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह कहना है कि जब हमारी सरकार, इस तरह के विकास के प्रति दृढ़ संकल्प है...(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

आज राजस्थान में जो सड़कों की स्थिति वह आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में कहीं भी जाइये, भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के कुशासन में जो राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा हुई, जो गड्ढे हुए उनमें पानी भर जाता था जिससे कि अनेक दुर्घटनाएं हुई। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार, आर्थिक तंगी में थी फिर भी हमने 600 करोड़ की लागत से सड़कों के लिए एक प्लान बनाया जिसमें तीन सौ करोड़ नाबार्ड से लिये गये, एग्रो मार्केटिंग बोर्ड से डेढ़ सौ करोड़ लिये गये, डेढ़ सौ करोड़ राजस्थान सरकार के दिये। प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 60 किलोमीटर फर्स्ट फेज में और 60 किलोमीटर सैकण्ड फेज में और सारे पैच वर्क है वह पूरे किये जाएंगे। यह हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर की सोच है। ऐसी स्थिति में इनके पास सिवाय बौखलाहट के कुछ नहीं है, सिवाय + + + के कुछ नहीं है, सिवाय घबराहट के कुछ नहीं है। इनके पास कोई सकारात्मक सोच नहीं है। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान विकास का गामी है। और ये राइट रिएक्शनरी, कन्जर्वेटिव फोर्सेज, ये अर्थोडोक्स फोर्सेज, ये राजस्थान को बैक लाना चाहते हैं, ये राजस्थान का पिछवाड़ा चाहते हैं, ये राजस्थान की प्रगति को रोकना चाहते हैं। इनके करने से राजस्थान की प्रगति नहीं रुकेगी। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, यह मुझे विश्वास है।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजस्थान के अंदर जो भी विकास हुआ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रत्येक जिला कलक्टर को निर्देश दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि राजस्थान की सरकार ने इतने विकास के काम किये हैं कि मैं उनका अगर सिम्बोलिक भी वर्णन करूं तो भी मेरे को कम से कम तीन दिन लगेंगे तब जाकर मैं पूरा कर पाऊंगा।

इस राजस्थान की सरकार ने इतने ब्रांड स्पैक्ट्रम पर काम किये है कि यदि मैं उनका एक-एक क्रिस्टल भी एक-एक विभाग का करूं तो भी मेरे कम से कम तीन दिन कम पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भी यह विकास की गाथा बोली जाएगी, पूरी सुनाई जाएगी। पूरी समझाई जाएगी ताकि ढाणी ढाणी के लोगों को मालूम पड़े कि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, आप देखिये कि राजस्थान में संसदीय परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका दम कमजोर हो रहा है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी स्थिति में, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे ऊर्जा उत्पादन हो, चाहे खनिज का उत्पादन हो, राजस्थान के अंदर जो खनिज का विकास हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। आपके जमाने में आपने केवल एक ही काम किया कि आपके जानने वालों को, पहचानने वालों को खान दी, ठेका दिया। भू-माफिया पैदा किये, शराब माफिया पैदा किये, जमीन माफिया पैदा किये। लेकिन हमारे राज में हमने उन भू-माफियाओं को, शराब माफियाओं को जेल की राह दिखाई है। हमने उनसे भूमि छीनी है और अन्य कई लागों को आबंटित की है। ऐसी स्थिति में आपकी बौखलाहट एक स्वाभाविक परिणाम है। बौखलाहट के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो बिजली का कुशल प्रबन्धन नहीं कर पाएगी और कुशल प्रबन्धन नहीं करने के कारण यहां के लोग, यहां के किसान आंदोलन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कोई एक किसान ने भी बिजली की अपर्याप्तता के लिए कोई धरना दिया? किसी ज़िला मुख्यालय पर किया? पूरी फसल में राजस्थान के किसान को लहलहाती फसल हुई, सात घंटे बिजली दी गई। यह अपने आप में इस बात का सूचक है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार किसानों की हामी है, किसानों के भले के लिए सोचती है, किसानों की है। और तो और हमने कन्डक्शन लोसेज़ को मीट किया, हमने जी.एस.एस. बनाये, 33 के.वी.ए. के बनाये, 11 के.वी.ए. के बनाये, + + + पांच बजे तक आज भी क्योंकि राजस्थान की सरकार ने इतने विकास किये हैं वे विकास के कामों को आपकी कानों की टिम्पैनी मैम्ब्रेन पर ड्रम बीटिंग करके रहूंगा मैं। मैं ड्रम बीटिंग करके रहूंगा आपकी टिम्पैनी मैम्ब्रेन पर जिससे कि + + + उनको एक धमाके की जरूरत है, मैं धमाका करके रहूंगा, आप निश्चित रहिये।

ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जो बिजली की योजना आयी है, राज्य में विद्युत का उत्पादन है, यह किसी ने नहीं किया है। पहले दिसम्बर, 1998 तक जो कुल क्षमता थी वह 3355 मेगावाट थी, 1998 फरवरी से 2000 तक राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 905.34 मेगावाट की वृद्धि की गयी है। 531.34 मेगावाट राजकीय साझेदारी की परियोजना से, 373.80 मेगावाट सूरतगढ़ की फोर्थ इकाई है उससे पैदा की गई और सूरतगढ़ की पांचवीं इकाई भी अभी आने वाली है। ऐसी स्थिति में आप— (व्यवधान) गंग कैनाल की सफाई राजस्थान में कभी भी नहीं हो पाई थी। भाई अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री के काल में आज हमारे सौ करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन गंगा सिंह ने जो नहर बनाई थी उसकी पहल बार सफाई करके हमने हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति से सिंचाई से जो लाभ नहीं मिलता था, उसकी सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया है, सिंचाई के करोड़ों हैक्टेयर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

बढ़ाये है। यह हमारी जनता की लोक कल्याणकारी नीति को आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की नीति का एक द्योतक है, एक इंडीकेटर है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन करना है कि राज्य की जनता आने वाले समय में देखेंगी कि राजस्थान ने विद्युत आत्मनिर्भरता पैदा कर ली है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान में बिजली जनरेट करने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। राजस्थान में प्रति वर्ष जल का स्तर घट रहा है। राजस्थान में पहले जो जल आता था वह कुल 13 प्रतिशत रह गया है। जो सरफेस वाटर है वह पूरे भारत का एक प्रतिशत है। उसके बाद भी राजस्थान के जो भागीरथ है, राजस्थान के भागीरथ भाई अशोक गहलोत ने हार नहीं स्वीकार की और मरु प्रदेश राजस्थान में गंगा बहाने के लिए सिंचाई के साधन हो या पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे कोई हो, सबके लिए कमर कस कर कुशल प्रबन्ध किये। इसी बात का सूचक है कि इस तरह का किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना की पांचवीं फेज 220 मेगावाट की गई और 2003 से पहले हो जाएगी, राजस्थान की जनता इसको साकार रूप में देखेगी। इसके अतिरिक्त रामगढ़ विस्तार गैस तापीय परियोजना 75 मेगावाट की है वह 2002 तक हो जाएगी। कोटा तापीय विद्युत परियोजना अगस्त, 2003 तक हो जाएगी। मथानिया सौर उर्जा परियोजना सितम्बर तक हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त में यह भी कहना चाहूंगा कि विद्युत आपूर्ति में भी सुधार हुआ है। पहले बी.जे.पी. के राज में जो फ्लेक्चूएशन से बिजली आती थी, जो लो वोल्टेज की बिजली आती थी, वह अब पोटेंशियल सही रहता है, रैगुलर बिजली आती है वोल्टेज उसका सही है। आज किसान की मोटर नहीं जलती है, किसान के ट्रांसफार्मर नहीं जलते हैं। आज हमने बी.जे.पी. के राज में जो बिजली की चोरी होती थी उस पर चैक लगाया है और राजस्व बढ़ाया है। हमने बिजली की चोरी में जो इलैक्ट्रिक ट्रैप होता था उसको बचाया और रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू जनरेशन से हमने सुधार किया है।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि राजस्थान का विकास का दर्पण राजस्थान के विकास की जो गाथा है वह अपने आप में अभिन्न है। आज प्रसारण और वितरण के जो तंत्र है उनमें बिजली की छीजत कम की गई, राजस्व घाटे में कमी की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि 1999-2000 में 1678 करोड़ का घाटा था जो 2000-01 में मात्र 1578 करोड़ रहा और अब हमारे विद्युत मंत्री के कुशल प्रबन्धन से, मुख्य मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति से 2001-02 में मात्र 1045 करोड़ का रह गया है। हम 1678 करोड़ से 1045 करोड़ तक घाटे को नीचे करके लाये हैं। ऐसे विकास की, ऐसी मितव्ययता की, ऐसी बचाव की योजना से पावर जनरेशन में कन्डक्शन लासेज को मीट आउट करके हमने पावर में रिफार्म किये हैं। हमने ग्रिड स्टेशन बनाये 11 के.वी.ए. के, हमने 33 के.वी.ए. के बनाये, 11

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के.वी.ए. के फीडर निकाले। वह अपने आप में इस बात का परिचायक है कि राजस्थान में हम विद्युत में आत्मनिर्भर हो चुके है। (व्यवधान)... इसके अतिरिक्त गंगानगर की जो फसले हैं, आपको मालूम है वे खराब हो गई। पचास साल में किसी ने भी मुआवजा नहीं दिया, लेकिन उनका जो था वह माफ किया गया। ऐसी स्थिति में जब फसले खराब हुई तो किसानों को मदद की गई। किसानों का अगर कोई मददगार है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत है। यदि किसानों की संवेदनशीलता का परिचायक है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी है जिन्होंने कि गंगानगर में जो नुकसान हुआ उसको माफ किया। हर तरह की उनकी रिकवरी रोकी गई। सीमांत कृषक की जो देनदारी थी दस करोड़, उसको माफ किया। ऐसे संवेदनशील मुख्य मंत्री राजस्थान के है। यह आंकड़ों की जुबानी है, ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में जो किया गया, सबको मालूम है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

ऊर्जा के क्षेत्र में तो जो आधारभूत काम किया गया वह पहले नहीं हुआ। थर्मल की बिजली जो पैदा होती है कोटा में, उसके लिए कोयले की जरूरत होती है। केन्द्रीय सरकार ने कोयले के दाम बढ़ा दिये, केन्द्रीय सरकार ने रेल का भाड़ा बढ़ा दिया जिससे कि हमारे विद्युत संयंत्रों के लिए जो कोयला लाएं तो कोयले के दाम ज्यादा देने पड़ें। हमें कोयले का भाड़ा ज्यादा देना पड़ा फिर भी हमने बिजली की दरें नहीं बढ़ायीं। यह हमारी संवेदनशीलता सोच का परिणाम है। आपको केवल + + + आता है, इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको कुछ भी नहीं आता है।

मेरा इस तरह से कहना है कि सहकारिता का एक नया आंदोलन हुआ। सहकारिता पर जो विधेयक लाया गया, एक बहुउद्देशीय काम किया गया। सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण प्रक्रिया को सरल कर दिया गया। सहकार प्रवाह योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे है। सहकार प्रवाह योजना में 22 करोड़ रुपये की साख स्वीकृत हुई, यह एक सृजनात्मक सोच का ही परिचायक है। राज्य में टी को-आपरेटिव सोसाइटीज के गठन की पहल की जा रही है। सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हुआ है और आने वाले समय में सहकारी संस्थाओं के चुनाव किये जाएंगे जिससे कि नयी पीढ़ी आएगी। सहकारिता विभाग द्वारा जनवरी, 2000 में चलाये गये सहकार आपके द्वार महा-अभियान भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार एक सकारात्मक सोच को परिचय दिया गया है। इस महा-अभियान के दौरान राज्य सरकार ने कई योजनाएं हाथ में ली है। ऐसी स्थिति में मेरा कहना है कि एकमुश्त योजना जो दी गयी है उसको किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

राजस्थान में नया सहकारिता अधिनियम आया है।

सहकार आपके द्वार और कार्य निष्पादन संस्था सुधार अभियान जो चलाया गया है निश्चित तौर पर कृषक कल्याण के लिए नयी योजनाएं की गयी है सहकारिता में।

ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पता नहीं कि इन्होंने विपणन में कोई व्यवस्था की है। राजफैड द्वारा विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करीब चार सौ करोड़ रुपये की सरसों, गेहूं, सोयाबीन और जौ की खरीद की गयी। पहली बार गैर वाणिज्यिक फसलों में जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी। समर्थन मूल्य पर पहली बार मूंगफली की खरीद की गयी, बाजरे की खरीद की गयी। कमजोर सहकारी समितियों का पुनरुद्धार किया गया और संजीवनी योजना शुरू की गयी। जयपुर व सरदारशहर की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों जो बंद पड़ी थीं, पुनर्जीवित किया गया। सहकारिता में महिला सशक्तीकरण का देश भर में पहली बार अभिनव प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वह संवेदनशील सरकार है और उसने यह साबित कर दिया है। राजस्थान में जो अजमेर का चुनाव हुआ वह इस बात का जीता-जागता नमूना है कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इनको जनता ने नकार दिया है, जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया है। जनता ने कह दिया है कि ये संवेदनशील नहीं है। ये कोई विकास की गाथा नहीं कर रहे है।

नया सहकारी कानून आया है। राजस्थान में पहले 60 के दशक का कानून था, उस कानून में विसंगतियां उत्पन्न हो गयी थीं। उस कानून को हटाने के लिए, कानून के उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से करने के लिए यह एक चुनौती थी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए, क्योंकि जमाना ग्लोबलाइज़ेशन का है, वैश्वीकरण का है, उदारीकरण का है। उदारीकरण के दौर में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी। ऐसी स्थिति में जबकि पूरी दुनिया में कट थ्रोट काम्पीटीशन है, सहकारी क्षेत्र को न केवल अपना अस्तित्व बनाये रखना है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक उत्थान में अपनी एक सफल भागीदार की भूमिका निभानी है। ऐसी स्थिति में को-आपरेटिव एक्ट लाया गया। हमारे पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश ने स्वायत्त सहकारी संस्थाओं की स्थापना की और उनके पृथक से नियम लाये गये। लेकिन हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी ज्यादा अच्छा कानून लाये हैं जिसके द्वारा को-आपरेटिव सैक्टर में एक नया रिवोल्यूशन हुआ है और इस सबके बधाई के पात्र हमारे सहकारिता मंत्री माननीय खेतसिंहजी है, मैं उनको बधाई दूंगा। ऐसी स्थिति में 22 नवम्बर, 2001 को विधेयक पारित किया गया। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि शीघ्र नया सहकारिता कानून लागू होने के कारण राजस्थान देश का प्रथम राज्य बनेगा जहां चार दशक पुराना सहकारिता कानून पूरी तरह बदल दिया जाएगा। को-आपरेटिव सैक्टर में ओल्ड एक्ट जो कि अनुपयोगी है, जो कि अप्रभावी है इसको टाइमली करने के लिए इसमें

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मैटामारफ़ोसिस चैंज लाये गये हैं और नया मैटामारफोसिस चैंज लाने के लिए इस तरह किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नया सहकारिता कानून निश्चित रूप से राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भागीदार होगा।

इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि नियमित चुनाव किये जाएंगें। इसके लिए निर्वाचन आयोग भी बनाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संचालक मंडल की अवधि एक समान होगी, यह नहीं कि एक बार चुनाव करा लिया गया और फिर 17 साल तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव कराना कम्पलसरी रहेगा। मैंडेटरी प्रोविजन है। कोई मनमानी नहीं होगी। निश्चित समय में को-आपरेटिव संस्थाओं के चुनाव होंगे। सही समय पर चुनाव कराने का जो कमिटमैंट है वो नये सहकारी कानून का अपने आप में रिवोल्यूशनरी स्टैप है। इसके लिए मैं पुनः सहकारिता मंत्री खेतसिंहजी को धन्यवाद दूंगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रशासक की नियुक्ति अनिश्चितकाल के लिए होती थी, परपीचुअलकाल के लिए होती थी, उसमें प्रशासक हट जाएगा और चुनाव होगा। अनिश्चितकाल के लिए प्रशासक की नियुक्ति नहीं होगी। सहकारी संस्थाओं में इस प्रकार स्वच्छ, निष्पक्ष और नियमित चुनाव सम्पन्न कराने की दृष्टि से सभी संस्थाओं के संचालक मंडल की अवधि समान रूप से पांच वर्ष कर दीं गयीं है। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन का कार्य देश में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। आपको तो मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले को-आपरेटिव का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता था, लेकिन अब को-आपरेटिव का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा और संचालक मंडल की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक नियुक्त करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि री-इलैक्शन करने की सुविधा है। केवल किसी संचालक मंडल द्वारा अनियमितता किये जाने की स्थिति में ही अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये प्लीज। अभी और बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर टाइम की पांबदी नहीं है। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति में मेरे लिए टाइम की पाबंदी नहीं है। मेरे ऊपर कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। राजस्थान का विकास इतना किया है, राजस्थान में इतने रिवोल्यूशनरी कदम उठाये है कि मेरे को लगातार बोलने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं पूरी विकास की गाथा, पूरी विकास की कहानी सुना कर रहूंगा। मेरे को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। राजस्थान का शासन, राजस्थान का प्रशासन, उसकी प्रास्पेरिटी....

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा 35 मिनट हो गये आपको बोलते हुए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उसकी उपलब्धियां, उसके आंकड़े जो कि इनके कान में सुनाई

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नहीं दे रहे है, + + + ये सुनना नहीं चाहते है। + + + इसके लिए धमाके की जरूरत है और मैं धमाका कर रहा हूं।

सहकारिता विभाग में इंस्पैक्टर राज की समाप्ति कर दी गयी है। रजिस्ट्रार को अब निरीक्षण की शक्तियां नहीं है। इंस्पैक्टर राज का खात्मा कर दिया गया है। जांच की शक्तियां भी सीमित कर दी गयी है। आडिट में पूरी तरह स्वतंत्रता है। पहले आडिट करवा कर किसी भी संचालक मंडल को निरस्त किया जा सकता था, लेकिन अब किसी भी राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी इच्छाशक्ति रखने वाला राजनीतिक नेता किसी भी तरह सस्पैंड नहीं करवा सकेगा, ऐसा प्रोविजन इस नये एक्ट में किया गया है। इंस्पैक्टर राज को समाप्त कर दिया गया है। इंस्पैक्टर राज समाप्त करने की राज्य सरकार की नीति के अनुरूप सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण की रजिस्ट्रार की शक्तियों को अब समाप्त कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रार को अपरिसीमित शक्तियां दी गयी थी, वह अब उनसे छीन ली गयी है, उनको केवल एक लिमिटेड पावर दी गयी है। जांच की शक्तियां भी सीमित कर दी गयी है। पहले जांच के नाम पर जो नोमिनेटेड बोर्ड थे उनको डिजोल्व कर दिया जाता था, लेकिन अब जांच के नाम पर इस तरह का कोई खेल नहीं किया जा सकेगा। सहकारी संस्थाओं को अब आडिट के लिए तीन पैनलों में से कोई भी एक पैनल की स्वतंत्रता होगी, वह किसी से भी आडिट करवा सकेगी। आडिट के लिए खुली छूट होगी। रजिस्ट्रार जो आडिट करते है वह ही इसके आडिटर की नियुक्ति करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इस तरह से को-आपरेटिव सैक्टर में कड़ाई से, जो न्याय के अधिकार है वह ज्यादा मिलेंगे, न्याय के अधिक अवसर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से विनाशकारी सरकार है, इसकी विनाश बुद्धि है, यह नहीं जान रही है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान इनको सदबुद्धि दे। इनको पता नहीं कि आज राजस्थान की विकास गाथा को नहीं सुनकर, राजस्थान में जो विकास की गंगा बही है उसको नहीं सुनकर ये कितना विनाश कर रहे हैं, कितना अनिष्ट कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान की सरकार न्याय के अधिकार की रक्षा करे, इसके लिए सहकारी न्यायाधिकरण अधिक सशक्त बनाया गया है, अपील के अधिक अवसर मिलेंगे। सहकारी संस्थाओं के सभी सदस्यों को न्याय के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसी स्थिति में किसानों का भला होगा। राजस्थान में को-आपरेटिव मूवमैंट होगा और महाराष्ट्र के को-आपरेटर को राजस्थान में आकर को-आपरेटिव में नया जो रिवोल्यूशन हुआ है, उसको देखने आना पड़ेगा। गुजरात में को-आपरेटिव एक्ट हुआ है उससे भी ज्यादा अच्छा हमारा को-आपरेटिव एक्ट है।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरशाही के आदेश से भर्ती हुई। संस्थाओं के पंजीकरण उप नियम संशोधन की समय सीमा निश्चित की गई है। रजिस्ट्रार की उप नियम संशोधन की शक्तियां लगभग समाप्त कर दी गई है। विभाजन एवं समन्वय की शक्तियां भी कुछ है। प्रशासक की अवधि मात्र 6 माह रहेगी। सहकारी संस्थाओं में नौकरशाही के अस्तित्व को कम करने की दृष्टि से संस्थाओं का पंजीकरण और संस्थाओं का उपनियम संशोधन एक निश्चित समय सीमा में करने का निश्चय किया गया है और यह सारी कार्यवाही उप नियम और स्वतः पंजीकृत समझी जाएगी। ऐसी स्थिति में सहकारिता में एक नया रिवोल्यूशन आया है। राजस्थान में जिन लोगों ने अपनी मुट्ठी में सहकारी संस्थाओं को ले रखा था, वह अब उनके लिए दिवास्वप्न हो गया है। राजस्थान में सहकारी संस्थाएं अब यथार्थ में उन लोगों के हाथ में आ पाएगी जिन लोगों का ज़मीनी नियन्त्रण है। जो लोग जन सहभागिता से जुड़े हुए हैं, जो ग्रास रुट वर्कर है, जो सहकार मूवमैंट के द्वारा विकास चाहते है, जो को-आपरेटिव सैक्टर के वास्तव में प्रमोटर है उन लोगों के पास ही शक्ति अर्जित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे पशुपालन मंत्रीजी ने जो श्वेत क्रांति स्थापित की है उसके लिये मैं माननीय हरिसिंहजी को धन्यवाद दूंगा। राजस्थान में टोडवाड़ा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पशु प्रदर्शनी करके राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन को आगे बढ़ाया गया है, गौधन को आगे बढ़ाया गया है, निश्चित तौर पर राजस्थान में डेयरी का विकास हुआ है। राजस्थान में जो दुग्ध पर डिपेंडेंसी नहीं थी उस डिपेंडेंसी को डवलप किया गया है। राजस्थान में प्रत्येक जिले में अब मिल्क कलैक्शन के सेन्टर बनाये गये हैं, चिलिंग सेंटर बनाये गये हैं। कूलिंग के लिये प्लान किया गया है। ऐसी स्थिति में जो श्वेत क्रान्ति की गई है उसके लिये माननीय डेयरी मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है श्वेत क्रांति, हरित क्रान्ति "खुब पढ़ाओ और बिजली बचाओ" यह जो नारा है, यह निश्चित तौर पर साकार है। यह तीन सूत्रीय कार्यक्रम है। यही एक संजीवनी है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने संजीवनी का नारा दिया है, हम उसको पूरा करके रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निर्वाचन से अन्य प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये है। दो से अधिक अवधियों के बाद निर्वाचन सही लड़ने पर कर दिया गया है। सांसद, विधायक और जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान भी सहकारी संस्थाओं में चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होंगे। महिलाओं और कमजोर वर्गों को अधिक भागीदारी दी गई है। (व्यवधान) क्रियान्विति की प्रक्रिया एवं सहकारी कानून की प्रक्रिया के पूर्ण होते ही वह प्रभाव में आएगा। राजस्थान सहकारी विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा नवम्बर, 2000 में पारित किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो नया सहकारी कानून आया है, इस नये सहकारी कानून एक निश्चित प्रक्रिया है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार मिले है, जिला पार्षदों को अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में यह वादा किया गया था कि हम सत्ता में आने पर पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार देंगे, आज पंचायत समिति के सदस्यों की इच्छा से उनकी भागीदारी है। योजनाओं में उनके कहने से उनकी सिफारिश से काम होते हैं। वे रोजगार की कड़ी से जुड़ते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज में सरपंचों को पंचायत समिति की मीटिंग में भी बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन माननीय अशोकजी गहलोत— (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमने कमिटमैंट किये थे कि हमारे सरपंचों को अधिकार नहीं है, पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार नहीं दिये गये हैं, उनको विकास से सीधा नहीं जोड़ा गया है, आपको मालूम है कि डी.आर.डी.ए. का प्रबन्धन पंचायती राज के अनुसार डी.आर.डी.ए. को दे दिया गया है, जन प्रतिनिधियों को दिया गया है। और तो और, हमारी राजस्थान सरकार ने ...(व्यवधान) इन्होंने राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव किया, उन्माद किया, जगह-जगह झगड़े किये, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक भाइयों के लिये जो विकास के काम किये उससे आज अल्पसंख्यक भाई भी अपने को हमारी सरकार के करीब मानने लगे हैं। अल्पसंख्यक भाइयों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा यह कहना है कि राजस्थान में जो चहुंमुखी विकास हुआ है वह एक सोच का नतीजा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय सदस्य, आप धैर्य से सरकार की उपलब्धियां सुनो उससे कुछ हासिल होगा, शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तीन साल की अवधि में जितनी उपलब्धियां हासिल हुई है उनका फायदा उठाओ और लोगों को बताओ। वही फायदेमंद है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन गांवों के संग सम्भागवार में स्टेटिस्टिकल फिगर दे रहा हूं। मेरे जो स्टेटिस्टिकल फिगर है वे अनरिफ्यूटेबल है, उनमें सच्चाई है। यदि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में कोई भी है...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासन गांव के संग की सम्भागवार सूचना दे रहा हूं जो कि अनरिफ्यूटेबल है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको खण्डित करना चाहे तो इनको चुनौती है। मैं एक-एक का स्टेटिस्टिकल फिगर दे रहा हूं कि हमारी क्या उपलब्धियां रही है। अजमेर में नामांतरण 92,552 किये गये, बीकानेर में 39,917 किये गये, जयपुर में 84,979 किये गये, जोधपुर में 69,815 किये गये, कोटा में 74,153 किये गये, उदयपुर में 1,23,000 किये गये। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लायक ही नहीं है कि इनके लिये मेरे को बोलना बंद करना पड़े। मैं राजस्थान की प्रगति आप लोगों को पूरी सुना कर रहूंगा। विकास की गाथा बता कर रहूंगा। (व्यवधान) मेरे पास टाइम की कोई बाउण्डेशन नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है, उनको डिटेल से कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं महामहिम द्वारा बताई गई उपलब्धियों को बखूबी बखान नहीं करूंगा तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के मतदाताओं को इसकी जानकारी के अभाव में एक इंफोर्मेशन नहीं जाएगी, उनको सही मैसेज नहीं जाएगा। एक सही मैसेज के लिये यह सब कुछ देना मेरा एक पालिटिकल रिलीजन मानता हूं, एक पार्टी का रिलीजन मानता हूं। इसलिए मैं सम्भागवार स्टेटिकल फिगर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको देखे और कोई गलत हो तो उसको चुनौती दें।

इसी तरह खातेदारी के अधिकार जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं दिये गये, वे अजमेर में 21,998 दिये गये, बीकानेर में 4216 दिये गये, जयपुर में 6880, जोधपुर में 5600, कोटा में 18615, उदयपुर में 24684 कुल 83082 दिये गये। इसी प्रकार कृषि भूमि की आबंटन संख्या अनुसूचित जाति के भाइयों के लिये अजमेर में 1477 लोगों के लिये, बीकानेर में 74 लिये, जयपुर में 237 के लिये, जोधपुर में 1435 लोगों के लिये, कोटा में 771, उदयपुर में 1837 और कुल योग 5071 के लिए। कृषि भूमि आबंटन संख्या जनजाति क्षेत्र में अजमेर में 404, बीकानेर में 3, जयपुर में 259, जोधपुर में 629, कोटा में 1063, उदयपुर में 9910, कुल योग 12268.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसी तरह कृषि भूमि आबंटन क्षेत्रफल एकड़ में अजमेर में 742, बीकानेर में 35, जयपुर में 273, जोधपुर में 2706, कोटा में 1158 और उदयपुर में 587, कुल योग 5501. कृषि भूमि आबंटन क्षेत्रफल जो कि एकड़ में किया गया, जन जातियों के लिए, वह अजमेर में 200, बीकानेर में 675, जयपुर में 135, जोधपुर में 802, कोटा में 1254, उदयपुर में 7346, कुल 10412. कृषि भूमि आबंटित की गई वह

(16 : 50 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

अजमेर के अन्दर 1794, बीकानेर में 839। सभापति महोदय, मैं क्या करूं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इतने लक्ष्य उपस्थित किये, इतने आंकड़े किये कि मैं बोलता-बोलता थक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जाऊं और तिलमिलाऊं तो भी ये पूरे नहीं होने है। मैं मेरी पूरी बात, पूरे आंकड़े प्रस्तुत करके रहूंगा।

सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर 3642, कोटा में 1911, उदयपुर में 2638 कुल 12196, कृषि भूमि नियमन के.... (व्यवधान).

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब मेरे खयाल से समाप्त करें तो अच्छा रहेगा। समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की विकास की गाथा अधूरी रह जाएगी। राजस्थान के विकास में जो चार चांद लगे हैं, हमारे मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत की जो विकास की गाथा है, जो विकास के आंकड़े है, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि उसको पूरा करने दें। ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप खतम करें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जौशी : राजस्थान में कृषि भूमि नियमन, इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करूं, पूर्व भूमि आबंटन के रिकार्ड दर्ज किए गए, विभिन्न पास बुकों का वितरण किया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल डांगा। आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस प्रकार से, माननीय सभापित महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान) प्रस्ताव रख रहे है, मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन समय सीमा भी कोई बात होती है। (व्यवधान) कंक्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में मेरा विनम्र निवेदन है, मैं महामहिम के अभिभाषण पर अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद ही उसका अनुमोदन होना संवैधानिक दृष्टि से उचित होगा, जब मैं अपनी बात कह सकूं तब ही उसका अनुमोदन करवाया जाए। मैंने अभी मेरी बात नहीं की है। मैं राजस्थान की विकास गाथा....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये सुने नहीं तो बताऊं भी नहीं? ये सुनना नहीं चाहते तो बताने के लिए बाध्य हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्यों का राजस्व रिकार्ड इन्द्राज किया गया, राजस्थान के अन्दर 354 का किया गया। ऐसी स्थिति में जो आबंटन किया गया, कृषि भूमि का, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया, ऐसी कार्य न तो पहले किया गया था, न अब तक किया गया मैं निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आंकड़े देखिए। (व्यवधान) मैं राजस्थान का विकास बता रहा हूं। राजस्थान की जनता में जो प्रशासन है कुशल नौकरशाहों के द्वारा, राजस्थान की जनता के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

द्वारा, राजस्थान के कर्मचारियों के द्वारा, मैं राजस्थान के नौकरशाहों को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और तो और, मैं राजस्थान के डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान की विकास की गाथा को बढ़ाया है, चढ़ाया है। ऐसी स्थिति में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं तो अपनी बात पूरी करके रहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय सीमा भी कोई चीज होती है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं अपनी बात करके रहूंगा। (व्यवधान) मेरा आपसे यह कहना है कि जो कार्यवाही की गई है, ठीक है, न तो पहले कभी किये गये है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और तो और, अब इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अजमेर 563, बीकानेर में 1307, 805, 1101 किये गये। इन्दिरा आवास योजना के लिए क्रमोन्नत किया गया...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : बोलना बंद हो गये...(व्यवधान) अपनी बात भूल गये। (व्यवधान) एक अकेले माननीय सदस्य ने हरा दिया, एक ही माननीय सदस्य पूरा बोल गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं पर समय सीमा भी कोई चीज होती है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अर्न्तगत विकास किये गये। इसके अतिरिक्त अनुदान दिया गया, स्वर्ण रोजगार योजना के लिए किया गया। बैंकों के द्वारा स्वीकृत ऋण दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह गठित किए गए, आबंटित किये गये। आबंटित दुकानों की संख्या की गई। अजमेर में 2208 को आबंटित की गयी, बीकानेर में 1912 को, उदयपुर में 3673 को।

महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा की गयी उपलब्धियां मैं बता रहा हूं। अजमेर में 435 आंगनबाड़ी खोली गयी, बीकानेर में 196, जोधपुर में 476, कोटा में 216, उदयपुर में 250. इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए जो भूमि की गयी अजमेर में 746, बीकानेर में 368, जयपुर में 666, जोधपुर में 863 कोटा में 316, उदयपुर में 604, कुल योग 3561 इसके लिए जो भूमि की गयी... (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, य शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि न मवोप्रित न सुखम न परम् गतिम्।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आंगनबाड़ी की बात कह रहा था, इनकी भूमि के लिए अजमेर में 746, बीकानेर में 368, जयपुर में 664, जोधपुर में 863, कोटा में 316 और उदयपुर में 604. राजस्थान में विकास कहां नहीं हुआ? किस जगह विकास नहीं हुआ? ढाणी में नहीं हुआ, कूचे में नहीं हुआ, कहां पर नहीं हुआ? हर जगह पर विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में आप विकास की गाथा अविलम्ब नहीं सुनेंगे तो विकास की गाथा मैं सुनाकर ही रहूंगा।

पीड़ित महिलाओं के लिए ऋण दिया गया। राजस्थान में पीड़ित महिलाओं के लिए अजमेर में 646, बीकानेर में 155 के लिए, जयपुर में 835 के लिए, जोधपुर में 297 के लिए, कोटा में 357 के लिए और उदयपुर में 673 के लिए किया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी के लिए टीकाकरण की योजना की गई। अजमेर में 1,97,165 पशुओं के लिए, बीकानेर में 2,69,000 के लिए, जयपुर में 2,44,826 पशुओं के लिए, जोधपुर में 2,17,231 के लिए, कोटा में 84,416 के लिए और उदयपुर में 2,73,000 के लिए। पशुओं की चिकित्सा की योजना के अन्तर्गत जो पशुओं को चिकित्सा दी गई वह अजमेर में 1,18,314 के लिए की गई, बीकानेर में 1,39,514 के लिए दी गई, जयपुर में 3,41,614 के लिए, जोधपुर में 3,71,331 को दी गई। कोटा में 72259 को लाभान्वित किया गया और उदयपुर में 2,36,630 को लाभान्वित किया गया पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए संकल्प किया गया और पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी किया गया। पूरे राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधारी गई है। मैं उनके आंकड़े भी बता दूं, राजस्थान के अन्दर अजमेर में 1244, बीकानेर में 821, जयपुर में 3595, जोधपुर में 15528, कोटा में 2838 और उदयपुर में

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

3500. स्टरलाइजेशन की बात तो कहूंगा, पशुओं की नसबन्दी भी हुई है। कितनी हुई है वह तो बता दूं। अजमेर में 8360, बीकानेर में 17941 जयपुर में 12893, जोधपुर में 2898, कोटा में 6194, उदयपुर में 14597.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में नारे)

(17 : 00 बजे)

अब मैं पंचायती राज के आंकड़े रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 5 बज गये। 5 बज गये लेकिन मेरे धन्यवाद प्रस्ताव पर जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक सदन की कार्यवाही अविराम चलती रहेगी क्योंकि मेरे ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है, मेरे पर कोई मुमानियत नहीं है। मेरे पर कोई रोक नहीं है, मेरे पर कोई टोक नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की विकास की गाथा जो है, उस गाथा को मैं बताता ही चला जाऊंगा। मैं बोलूंगा, मेरे को बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। (व्यवधान) आप वहां पर जाकर बोलिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मेरे को समुचित समय दिया जाए। मेरे को समुचित समय दिया जाए मेरी बात कहने के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लिये जिससे कि मैं बता सकूं। पंचायती राज विभाग के द्वारा आवासीय भू-खण्ड दिये गये। अजमेर में 12030 दिये गये, बीकानेर में 3416 दिये गये, जयपुर में 21321 आवासीय भूखण्ड दिये गये, जोधपुर में 22068 दिये गये, कोटा में 6444 और उदयपुर में 5700 दिये गये। राष्ट्रीय परिवार की जो लाभ योजना है, वह अजमेर में 1778 दिये गये, बीकानेर में 940 दिये गये, जयपुर में 783 दिये गये, जोधपुर में 1384, कोटा में 674, उदयपुर में 1300 दिये।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की और हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की इतनी उपलब्धियां है कि मैं तीन दिन तक बोलूं तो भी यह— किन्तु मैं यह चाहता हूं कि आज इसका अनुमोदन हो। इसलिये मैं इस सदन के सारे महानुभावों से निवेदन करूंगा कि महामहिम का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री सभापति : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सरकार की इस सत्र की उपलब्धियां, विकास, कल्याणकारी योजनाएं और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किये है उनके साथ सरकार की प्राथमिकताओं को अपने अभिभाषण में दर्शाया। महामहिम ने सर्वप्रथम अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के घटनाचक्र, आतंकवाद व अन्य देशों के साथ महाशक्तियों को भी प्रभावित करने, भारत के पड़ौसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की चुनौतियों का मुकाबला करने तथा सीमा और आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था का भी जिक्र किया। सभापति महोदय, राजस्थान की एक हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर सैन्य एवं नागरिक प्रशासन में तालमेल बनाने और हमारे सैनिकों का मनोबल बनाने के लिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने स्वंय अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया और सीमा पर जो हमारे लोग बसे हुए हैं उन लोगों के सुख दुःख में जाकर उनके सुख-दुःख पूछें। और यही नहीं, राजस्थान सरकार से जो भी सुविधा उपलब्ध करनी थी वह सुविधा उपलब्ध करायी। साथ ही भारत सरकार से, प्रधानमंत्रीजी और रक्षा मंत्रीजी से निवेदन करके सीमान्त क्षेत्र में जो नुकसान हुआ उसके लिये भी केन्द्र सरकार की सहमति करायी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार के संवेदनशील प्रशासन और पारदर्शिता के कारण मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा धार्मिक उन्माद का फैलाव करने

(श्री मांगीलाल डांगा)

के बावजूद भी समुचित कानून व्यवस्था रखी। पारस्परिक सौहार्द, भाई चारे को बनाये रखा। राज्य में कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से काबू में रखा। राजस्थान में गुजरात से आये दंगा पीड़ितों के लिये आवास, भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था की। यह मानवीय दृष्टीकोण से एक बहुत बड़ा काम था। सभापति महोदय, राजस्थान के लोग जो गुजरात में मारे गये, राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख रुपये की प्रति व्यक्ति सहायता देने की घोषणा की और सहायता प्रदान की गयी।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ राजस्थान सरकार के पिछले वर्षों के कीर्तिमान और उपलब्धियां है और राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश के रूप में अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ गिरता हुआ भाजपा का जनाधार है। सभापति महोदय, आज चाहे अजमेर की जीत को देख लीजिए, चाहे उत्तरांचल, चाहे उत्तर प्रदेश पर नजर डालिये और चाहे पंजाब में, भाजपा का जनाधार गिरा है। अभी किशनगढ़ के बारे में बारबार बात करके हमारे भाजपा के साथी भेद कर रहे हैं। जबकि भाजपा के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब मिल करके भी धरने पर 200 की संख्या नहीं पहुंच सकी है। यह बौखलाहट है। और दूसरी तरफ जो सरकार की उपलब्धियां है उनको सुना। जनाधार गिरा है इस बौखलाहट के कारण ये इस पवित्र सदन के समय को नष्ट कर रहे है और वातावरण को गन्दा कर रहे है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष अकाल का सूझबूझ से मुकाबला किया। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में 16 लाख 99 हजार अकाल प्रभावित लागों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अकाल का मुकाबला करने के साथ-साथ उसे विकास में बदला। अकाल में राजस्थान सरकार की दूरदर्शिता से जल संरक्षण, वानिकीकरण, भू-संरक्षण, स्थानीय सड़कें, तालाब, विद्यालय भवन, समाज कल्याण के भवन, सड़कों की पटरियां, जन उपयोगी भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियां राजस्थान सरकार के द्वारा सृजित की गयी जो कि उल्लेखनीय प्रगति है।

माननीय सभापति महोदय, अकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह हुई जिसका कि भाजपा और प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों के पास प्रतिरोध करने के लिये कोई शब्द नहीं है, राजस्थान राज्य में अकाल में सर्वाधिक समुचित रोजगार प्रति दिन मजदूरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। राजस्थान में 50 से लेकर 60 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान हुआ। यही नहीं, समय पर भुगतान, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण और अकाल राहत में पिछले 3 साल में जो काम हुए, उनकी पूरे देश में तारीफ हुई है। न तो उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार रहा। लोगों को समयबद्ध बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के भेदभाव के मानवता को ध्यान में रखते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(श्री मांगीलाल डांगा)

सभापति महोदय, हमारी सरकार का कर्तव्य है, और मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल का कोई स्थायी समाधान ढूंढा जाए। नदियों के पानी को ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा तक के पानी को राजस्थान की धरती पर लाया जाए।

राजस्थान सरकार ने प्रशासन को तीव्र गति देने के लिये मुख्य दो बड़े अभियान चलाये। 2 अक्टूबर, 2001 से जनवरी, 2002 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया जिसमें 66 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 26 जनवरी से 28 फरवरी, 2002 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान में 12 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। सभापति महोदय, अभियान तो पहले भी चले हैं परन्तु यह अभियान एक उदाहरण था।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे)

यह अभियान जनता में एक संदेश देने वाला अभियान था। यह पहला अभियान था जिसमें राज्य सरकार के 18 से 20 विभाग दूर-दूर के गांवों में गये और समय पर गांव में जाकर गांव वालों के दुःख-दर्द को उन्होंने सुना। मुख्य रूप से जनता की सरकार के साथ पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के सिद्धान्त को साबित करते हुए जनभागिता हमारे इस प्रशासन में शामिल हुई। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि देहात में, गांवों में यह अभियान चलाकर "प्रशासन गांव के संग" में 44 हजार परिवारों को लाभान्वित सिर्फ राजस्व विभाग के द्वारा किया गया जिसमें चार लाख 84 हजार लोगों के नामांतरण स्वीकृत किये गये। 82 हजार लोगों के खाता अधिकार स्वीकृत किये गये। 30884 परिवारों को कृषि भूमि आबंटित की गई, जिसमें 18100 परिवार अनुसूचित जाति, जनजाति के है। चार लाख 87 हजार किसानों को पास बुकें वितरण की गई। दो लाख 71 हजार राजस्व रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध कराई गई और 30 हजार 51 भूमि विभाजन के बाद मौके पर निपटाये गये। 12 लाख 88 हजार जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये। 14 लाख 54 हजार मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किये गये। दो लाख छह हजार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये गये। 10151 मामलों में जन उपयोगी उद्देश्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई। 13700 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसमें 1 लाख 61 हजार सदस्य बने। उनको लाभान्वित करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। 18663 परिवारों को दुकानें आबंटित की गई। 70 हजार 900 परिवारों को रिहायशी भूखण्ड आबंटित किये गये। ग्राम पंचायतों को 25 हजार...(व्यवधान) बीघा जमीन आबादी हेतु आबंटित की गई। इसके साथ ही सामाजिक...(व्यवधान) में इस अभियान के दौरान 44343 परिवारों को ...(व्यवधान) वृद्धावस्था पेंशन ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

28198 परिवारों को विधवा पेंशन, 8991 निःशक्तों को पेंशन दी गई। 39900 परिवारों को राष्ट्रीय...(व्यवधान)... लाभ स्वीकृत किये गये। 45739 परिवारों को बालिका समृद्धि

(श्री मांगीलाल डांगा)

योजना स्वीकृत की गई। 6800 परिवारों को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। 17624 नये परिवार अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत चयन किये गये जिनको लाभान्वित किया गया। 94 हजार, 9447 परिवार अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हेतु चयन किये गये। 12 लाख 95 हजार लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। 23 हजार हैण्ड पम्प मरम्मत किये गये। ऊर्जा सम्बन्धी 47200 मामले इस प्रशासन में मौके पर निपटाये गये। 25 हजार पशुओं को पशुपालन में टीकाकरण चिकित्सा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य के विकास के लिए आज ऊर्जा की सुनिश्चित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और माननीय चन्द्रभानजी, ऊर्जा मंत्रीजी को जिन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में, उत्पादन में कीर्तिमान लक्ष्य प्राप्त किये हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, तापीय विद्युत परियोजना में सूरतगढ़ की चार इकाइयों का उत्पादन शुरू कर एक हजार मेगावाट का रिकार्ड उत्पादन किया, जिसकी अन्तिम चौथी इकाई का 17 मार्च, रविवार को माननीय श्री शिवराज पाटिल द्वारा लोकार्पण किया गया। पवन ऊर्जा से 17 मेगावाट का उत्पादन किया गया। राज्य में तापीय और मीथेन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, चूंकि क्रियान्विति उनकी जारी है और सरकार शीघ्र ही इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन करने के लिए तत्पर है, इसमें 700 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार हमारी सरकार अपने घोषणा पत्र में किये वायदे के मुताबिक 1500 से अधिक, अर्थात् 1717 मेगावाट का उत्पादन करेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिले में लिग्नाइट भरपूर मात्रा में है तो लिग्नाइट से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना तैयार कर भारत सरकार से समन्वय कर यहां पर उत्पादन किया जाए। सभापति महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में मीथेन गैस के भण्डार भरपूर मात्रा में मिलेंगे जिनसे 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। हमारी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, किन्तु इसके लिए भारत सरकार से अनुमति आवश्यक है। यदि यह लिग्नाइट और मीथेन गैस आधारित परियोजना लगाकर हम अपनी इस परियोजनाओं को पूर्ण कर लेंगे तो राजस्थान आने वाले इस डेढ़ साल के समय में ही ऊर्जा के... (व्यवधान) यही नहीं, राजस्थान की मांग पूरी करने बाद अन्य प्रदेशों को भी ऊर्जा सप्लाई की जाएगी।

ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ प्रसारण तंत्र को भी मजबूत करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए नवम्बर, 1991 तक 400 के.वी. का एक सब स्टेशन था, फरवरी, 2000 तक दो सब स्टेशनों का निर्माण कर लिया और दिसम्बर 2003 तक तीन बनाये जाएंगे। इस प्रकार 400 के.वी. के पांच सब स्टेशन ...(व्यवधान)

(श्री मांगीलाल डांगा)

कर दिये जाएंगे। 220 के.वी. के सब स्टेशनों में, नवम्बर, 1998 तक...(व्यवधान) फरवरी, 2000 तक सात का निर्माण कर लिया गया और

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

दिसम्बर, 2003 तक 11 सब स्टेशन बना दिये जाएंगे। इस प्रकार 220 के.वी. में 18 सब स्टेशनों की वृद्धि होगी। 120 के.वी. के सब स्टेशन नवम्बर, 1998 में ...(व्यवधान) 133 के फरवरी, 2000 तक 30 सब स्टेशनों का निर्माण किया गया और दिसम्बर, 2000 तक 48 सब स्टेशन बनाये जाएगे। इस प्रकार 38 सब स्टेशन 133 के.वी. के बनाये जाएंगे जो एक कीर्तिमान उपलब्धि होगी। साथ ही 33 के.वी. के सब स्टेशन नवम्बर, 1998 तक 1372 थे। फरवरी, 2000 तक 385

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सब स्टेशन बनाये गये। दिसम्बर, 2000 तक 297 सब स्टेशनों का निर्माण कर लिया गया। इस बार कुल 682 सब स्टेशनों का निर्माण होगा। यह एक कीर्तिमान उपलब्धि है और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। 28 जनवरी, 2001 को मेड़ता में 400 के.वी. सब स्टेशन का शिलान्यास कर मेड़ता और मेड़ता के आसपास के जिले जिसमें अजमेर, जोधपुर...(व्यवधान) सीकर, झुंझुनूं लाभान्वित होंगे, यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान तोहफा मेड़ता क्षेत्र को दिया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि प्रसारण तंत्र को मजबूत करने से किसानों को सही वोल्टेज में छह घंटे से सात घंटे, आठ घंटे बिजली मिली जिससे किसान संतुष्ट है। किसी प्रकार की मांग सरकार के पास बिजली के सम्बन्ध में किसान लेकर नहीं आये। भाजपा इससे बड़ी हतोत्साहित है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बनी थी, 100 करोड़ रुपये ऊर्जा के उत्पादन पर खर्च करके किसान को आठ घंटे बिजली उपलब्ध करायी गई। दूसरे वर्ष...(व्यवधान) 138 करोड़ व्यय किये, फिर भी किसानों को समुचित आठ घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी। उसका कारण था कि दूसरे प्रदेशों से, राष्ट्रीय ग्रिड से जो बिजली ली जाती थी उसमें केन्द्र सरकार ने दर में तो जो वृद्धि की सो की, परन्तु हमें...(व्यवधान) राज्य सरकार को बिजली नहीं दी, जिसके कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। हमारे अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्रीजी ने यह संकल्प किया कि समयबद्ध प्रोग्राम से ऊर्जा उत्पादन को बनाएंगे। यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी परियोजना समय से पहले उत्पादन देना शुरू हुई, यही कारण था कि पिछले सीजन में हम किसानों को समुचित वोल्टेज के साथ 6-7-8 घंटे बिजली दे पाये है। सही वोल्टेज होने के कारण किसान की मोटरें भी बिलकुल सुरक्षित रही और आज किसान यह महसूस कर रहा है...

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री मांगीलाल डांगा)

सही बिजली का प्रभाव रहने से उनका जो रिपेयर और मोटर बाइंडिंग का खर्चा है वह कम होगा। साथ ही सही वोल्टेज बिजली मिलने पर उनका जो खर्चा है, वह भी अपने आप में ही संतुलित हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 400 के.वी. के शिलान्यास के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी ओर ऊर्जा मंत्रीजी का आभारी हूं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मेरे क्षेत्र मेड़ता रोड, जसनगर, इन्द्राबड़, पादुकलां में 120 के. वी. के सब स्टेशनों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसके लिए मैं बहुत ही आशान्वित हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां मीटर प्रणाली से ...(व्यवधान) वहां आप...(व्यवधान) करें क्योंकि मीटर लगाने के बाद चार्जेज वसूलना उचित नहीं है। कुछ किसान बड़ी मोटर जरूर लगाते हैं, वे बड़ी मोटर इसलिए लगाते हैं कि उनको पानी ज्यादा निकालना है। बड़ी मोटर, पम्प सैट इसलिए लगाते हैं कि काश्तकार 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट...(व्यवधान) कुओं में पानी दो घंटे, चार घंटे आता है परन्तु किसान अपनी सब्जी का उत्पादन अपने जैसे... (व्यवधान) काम आने वाली काम लेकर अपनी आजीविका का पोषण करता है। इसलिए इस मिनिमम चार्जेज को हटाना जनहित में होगा। (व्यवधान)... और लोक कल्याणकारी सरकार के लिये यह अच्छा सन्देश रहेगा।

कृषि कनेक्शन में भी सीजनल कनेक्शन को काटने की जो अनुमति है पहले उसको लगाने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हालत खराब है। रबी की एक फसल लेकर किसान कुआं बन्द कर देता है, ऐसी स्थिति में उसको सीजन के कनेक्शन काटने की फसल ले तब ही अनुमति दी जानी चाहिये। (व्यवधान) साथ ही किसानों के लिये फ्लेट रेट व्यवस्था है उसको निरन्तर लागू रखने की जरूरत है। इसमें न तो किसी का... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अपने फ्लेट रेट के अनुसार भुगतान कर देता है और अनपढ़ किसान को भी... (व्यवधान)... विभाग द्वारा जो अनियमितता होती है, उससे भी उसका बचाव हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी से कि ...(व्यवधान) विकास कोष का गठन किया गया है। इसी तरह से कृषि के लिये भी कृषि विकास निधि की स्थापना की जाए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उस निधि में कृषि उपज मण्डियों में...(व्यवधान) किया जाता है, उसका पैसा उसका कोष में डाला जाए। राज्य सरकार अपने कोष से पैसा देकर उस कोष के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान चाहने वालों को अनुदान उपलब्ध कराए। (व्यवधान)

...वरी, 2000 तक 385 ...तक

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सब स्टेशन बनाये गये ...

...था उसमें केन्द्र ... से जो बिजली जो वृद्धि की सो की, केन्द्र सरकार ने दर में तो राज्य सरकार को बिजली नहीं दी, परन्तु हमें...(व्यवधान) कारण किसानों को परेशानी ... जिसके हमारे ...

(श्री मांगीलाल डांगा)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोर-शराबा एवं नारे)

मैं हमारे माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे राज्य में जो प्रारम्भिक पुराने कुएं, बावड़ी ...(व्यवधान) योजना बनायी क्योंकि आज जल स्तर नीचे जा रहा है। पेयजल मंत्रीजी ने राज्य के गांवों-गांवों का दौरा किया। जगह-जगह पेयजल के लिये ट्यूबवैल खोदे, जगह-जगह हैण्ड पम्प खोदे। फिर भी दिन-प्रतिदिन इन कुओं का जल स्तर गिरता गया और नये ट्यूबवैल खोदने पड़े। इसलिए जो पुराने कुएं और बावड़ियां है उनको खोदकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। इस योजना के तहत 31,114 कुओं और बावड़ियों का चयन किया गया और 19,114 कुओं और बावड़ियों को स्वीकृति दी गयी जिसमें 63 करोड़, 38 लाख रुपये व्यय किये गये जिसमें से 13,087 कार्य पूर्ण हो गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है, समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तत्वावधान में अत्यधिक फ्लोराइड और खारे पानी से प्रभावित 2983 ग्राम एवं ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 533.33 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी जिसमें 675 ग्राम एवं ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है और सरकार तीव्र गति से अन्य ग्राम एवं ढाणियों को भी लाभान्वित करने के लिये तत्पर हैं। इसके लिये मैं माननीय पेयजल मंत्रीजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, सामने गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य में कंटिंजेंसी योजना स्वीकृत कर सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। इसके लिये जिला कलक्टर को अधिकृत कर दिया गया

(भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा व्यवधान व नारेबाजी)

है। (व्यवधान) का पानी नागौर जिले में लाने के लिये 28 जनवरी, 2002 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विशाल जन सभा में घोषणा की गयी कि इन सभी क्षेत्रों

(श्री मांगीलाल डांगा)

को...(व्यवधान) यह स्वर्णिम युग था...(व्यवधान) बाड़मेर, जैसलमेर... (व्यवधान) योजना है और तीन जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। (व्यवधान) खारे पानी ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, ये सीट पर बैठ गये, अब इनका धरना समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा...(व्यवधान) बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2001-02 में 45,600 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। ये सभी योजनाएं निर्माणाधीन हैं। विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त 27156 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य भी प्रगति पर है।

अन्तरराज्यीय समझौते के अन्तर्गत नर्मदा नदी जल में राजस्थान को आबंटित पांच लाख एकड़ फीट जल से जालौर व बाड़मेर जिले को 2,51,000 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का...(व्यवधान) नहर परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी है, जो हमारे राज्य के लिये उल्लेखनीय है। (व्यवधान)

राज्य में 160 लघु सिंचाई योजनाओं से 40646 हैक्टेयर...(व्यवधान)

सिचांई योजना की स्वीकृति मिलाकर 40-50.....(व्यवधान) इसी प्रकार नये सिंचाई कार्य परियोजना का कार्य...(व्यवधान) यह स्वागत योग्य है। (व्यवधान)

यमुना जल में राजस्थान को 3,135.....: (व्यवधान) यह हमारे राज्य के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी एवं शोरगुल)

सिंचाई विभाग द्वारा पक्के निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं। (व्यवधान) जनता को इसका लाभ मिलेगा।

इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम, द्वितीय चरण में नहरों के निर्माण पूर्ण कर 7 लाख 22 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बहुत अधिनियम है। राजस्थान सरकार इस पर सोच कर अब किसानों के हित में, किसानों की अपेक्षाओं के अनुरूप...(व्यवधान) प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा...(व्यवधान)...17809 मामलों के विरुद्ध 2002 में 31 दिसम्बर, 2001 तक ...(व्यवधान)... लम्बित प्रकरण थे। 2001 तक 5529 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

राज्य के अन्दर कम्प्यूटरीकरण.... (व्यवधान) जो बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, मैं हमारे सहकारिता मंत्रीजी माननीय खेत सिंहजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सहकारिता में...(व्यवधान) स्वाधीनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था की गयी है,

(श्री मांगीलाल डांगा)

उसके लिए भी हम शुक्रगुजार है, उनका धन्यवाद करते हैं। सहकारी संस्थाओं में इंस्पैक्टर राज को समाप्त करके सिर्फ वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण के अलावा सभी निरीक्षण समाप्त किये गये हैं। (व्यवधान) समाप्त करके अंकुश लगाया गया है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि आज के युग में जब मल्टीनेशनल के लिए केन्द्र में बैठी सरकार ने हिन्दुस्तान का बाजार खोल दिया है। गांवों में चाहे हमारे दुग्ध उत्पादक है...(व्यवधान) किसान की फसल को लेना है उसके लिए सिर्फ सहकारिता ही एक माध्यम है जो आगे आएगा, और इनको और स्वायत्तता की आवश्यकता है इसलिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप जो...(व्यवधान)... उनमें परिवर्तन करके इस अधिनियम में समावेश करना होगा। स्वायत्तता के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...(व्यवधान) या तो अलग से अधिनियम, या इसी अधिनियम में जो आज की परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है, उनका समावेश किया जाना होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, सहकारी क्षेत्र में 267 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण, 1015 करोड़ के अल्पकालीन ऋण, 1,36,400 किसानों को इस वर्ष वितरण...(व्यवधान) अब तक 15 लाख 40 हजार किसानों को किसान कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस वर्ष फसल अच्छी होने के कारण वसूली भी संतोषजनक हुई है।

सहकारी विपणन में 525 करोड़... (व्यवधान) 150 करोड़ और उपभोक्ता सामग्री में 245 करोड़ का वितरण किया गया। किसानों को 400 करोड़ की सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, जौ का ...(व्यवधान)

महिला सशक्तीकरण वर्ष में हमारी सरकार द्वारा सहकारी विभाग द्वारा 1799 महिला सहकारी संस्थाओं का गठन कर एक लाख ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा गया है।

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रति दिन 15 लाख के दूध के संकलन तक का लक्ष्य प्राप्त किया है।

सहकारी मेले का आयोजन कर राजस्थान और राजस्थान के अन्य प्रदेशों की संस्थाओं के साथ व्यापार का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी जिससे कि सहकारिता के विपणन को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस तरह से कृषि हमारे राज्य का आर्थिक आधार है, उसी तरह से पशुपालन भी हमारे राज्य का आर्थिक आधार है। भाजपा शासनकाल में, एक तरफ तो ये गोवंश संरक्षण का नारा देते है, दूसरी तरफ 1995 में अधिनियम बना कर तीन साल के बछड़ों को बेचने पर रोक लगायी गयी। दूसरा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले कि कुछ सभाओं में कुछ व्यक्तियों द्वारा वक्तव्य दिये गये और मेलों को कसाई मेलों की संज्ञा दी गयी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोग किसानों और

(श्री मांगीलाल डांगा)

पशुपालकों के हितेषी नहीं हो सकते, वे पशुपालकों और किसानों के दुश्मन है।

मैं पशुपालन मंत्री माननीय हरिसिंहजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस अधिनियम में संशोधन विधेयक, 2001 पारित करा करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए भेजा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अधिकारियों या रेजिडेंट कमिश्नर को इसके पीछे लगा कर इस अधिनियम की स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त की जाए ताकि हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकें और जो हमारे मेले समाप्त हो रहे हैं जो किसान की आजीविका का आधार है उनका पुनरुद्धार किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में नाबार्ड, कृषि विपणन बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सौजन्य से 600 करोड़ की लागत से 24000 क्लिोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण, संधारण एवं मरम्मत की जा रही है जो कि एक उल्लेखनीय प्रगति है। इसके अलावा बी.ओ.टी. के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को निजी निवेश के लिए भी खोला गया है जो राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो सड़कों की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के समय में थी, आने वाले दो साल में वह रूप परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि आज बौखलाहट के कारण हमारी बात को, हमारी सरकार की उपलब्धियों को सुनने के लिए इनमें घबराहट है।

सभापति महोदय, राज्य में शिक्षा में निजी निवेश को खोला गया है। जो हमारे विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा के लिए, डाक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर, आन्ध्र प्रदेश जाते थे और उनको 10 लाख, 20 लाख की भारी रकम चुकानी पड़ती थी, आज इस क्षेत्र में 2400 विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा यहीं प्राप्त कर रहे है। घर की रोटी खाकर राजस्थान में ही रह कर वे यह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से साक्षरता में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की गयी है और आने वाले समय में यह राज्य सम्पूर्ण साक्षर होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मांगीलाल डांगा : साहब, एक मिनट।

दसवीं और बारहवीं कक्षाओं में कम्प्यूटर के विषय को अनिवार्य करके, नवीं, दसवीं में ऐच्छिक विषय का प्रावधान किया गया है। ग्राम के विद्यार्थियों के लिए यह कम्प्यूटर शिक्षा एक उल्लेखनीय बिन्दु है।

हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है इसका जनाधार बढ़ा है और इसका आज मैं क्या जिक्र करूं? हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में जो उपलब्धियां राजस्थान ने अर्जित की है, राजस्थान ने जो सम्मान प्राप्त किया है, जो राजस्थान ने लोकप्रियता प्राप्त की है और जो

(श्री मांगीलाल डांगा)

इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के अन्दर ले जा रहे है, अग्रणी राज्य में गया है ये जो उपलब्धियां हैं ये हमारे प्रतिपक्ष को मंजूर नहीं हो रही है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, बोलने को और उपलब्धियां गिनाने को बहुत कुछ है। चाहे आप हमें दो दिन, तीन दिन समय दें तो भी राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां जो ढाई साल में अर्जित की गयी है, वे समाप्त नहीं होगी। परन्तु मैं अब निवेदन करना चाहूंगा—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में नारे)

श्री मांगीलाल डांगा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जीवन रक्षा कोष के माध्यम से 16 करोड़ 50 लाख रुपये देकर 897 लोगों को लाभान्वित किया गया। पोलियो का जो वायरस हैं उससे इस राज्य को मुक्त किया गया है। नन्हे मुन्ने और नौजवान जो आज पोलियो से अपाहिज है, उनको पोलियो से मुक्ति दिलाने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का प्रावधान है। अभी विभिन्न जगहों पर राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कैम्पों का आयोजन कर पोलियो के लोगों को लाभान्वित किया गया है। सभापति महोदय, यह निवेदन करते हुए कि हमारा राज्य इसी गति से अग्रणी रहें, हमारे राज्य का विकास होता रहे, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इसमें कितना भी व्यवधान डाले, चाहे किसी भी तरह से वातावरण को गन्दा करे परन्तु जनता इस राजस्थान सरकार के साथ है, जन समर्थन साथ है। यही नहीं, यह सरकार विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी और राजस्थान आने वाले इस संकट के समय भी देश का अग्रणी प्रदेश होगा। जयहिन्द।

श्री सभापति : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17:41 बजे बुधवार; 20 मार्च, 2002 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे

2. **मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य की वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड (राजस्व) में दुरूस्ती हेतु सर्वे कराया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक की क्या प्रगति रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव व वक्फ बोर्ड के अखराजात के लिए अन्य राज्यों की तरह राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। अब तक करीब 70 प्रतिशत सर्वे का कार्य राज्य के समस्त जिलों में किया जा चुका है। सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(2) यह राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

राज्य के विभिन्न जिलों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वे की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले में वक्फ सम्पत्तियों की संख्या	अब तक सर्वे शुदा सम्पत्ति का प्रतिशत	कितना प्रतिशत कार्य बाकी है	सर्वे पूर्ण कर सर्वे आयुक्त को भिजवा दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6
1.	अति. जिला कलक्टर, अजमेर (नगर परिषद् अजमेर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है)	043	100	—	—
2.	अति. ज़िला कलक्टर, अलवर	2068	42	58	15.4.02
3.	अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	128	74	26	31.3.02

1	2	3	4	5	6
4.	अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर	355	100	—	15.3.02
5.	अति. जिला कलक्टर, बारां	576	76	24	20.3.02
6.	अति. जिला कलक्टर, भरतपुर	1516	97	3	31.3.02
7.	अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	594	24	76	31.3.2002
8.	अति. जिला कलक्टर, बीकानेर	323	87	13	31.3.02
9.	अति. जिला कलक्टर, बूंदी	321	58	42	30.4.02
10.	अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	—	57	43	31.3.02
11.	अति. जिला कलक्टर, चूरू	—	50	50	31.3.02
12.	अति. जिला कलक्टर, दौसा	—	100	—	एक सप्ताह
13.	अति. जिला कलक्टर, धौलपुर	636	98	2	31.3.02
14.	अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर	—	—	—	—
15.	अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	203	85	15	31.3.02
16.	अति. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	—	100	—	31.3.02
17.	अति. जिला कलक्टर, झालावाड़	490	53	47	31.3.02
18.	अति. जिला कलक्टर, जैसलमेर	284	50	50	31.3.02
19.	अति. जिला कलक्टर, जालौर	232	80	20	31.3.02
20.	अति. जिला कलक्टर, झुंझुंनूं	395	80	20	31.3.02
21.	अति. जिला कलक्टर, जोधपुर	—	—	—	—
22.	अति. जिला कलक्टर, करौली	221	100	—	31.3.02
23.	अति. जिला कलक्टर, कोटा	784	90	10	31.3.02

1	2	3	4	5	6
24.	अति. जिला कलक्टर, नागौर	1008	74	26	31.3.02
25.	अति. जिला कलक्टर, पाली	293	100	—	31.3.02
26.	अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द	—	100	—	31.3.02
27.	अति. जिला कलक्टर, सवाइमाधोपुर	623	60	40	31.3.02
28.	अति. जिला कलक्टर, सीकर	594	100	—	15.3.02
29.	अति. जिला कलक्टर, सिरोही	138	100	—	31.3.02
30.	अति. जिला कलक्टर, टोंक	—	—	—	—
31.	अति. जिला कलक्टर, उदयपुर	397	90	10	13.4.02
32.	अति. जिला कलक्टर, जयपुर	—	—	—	—

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय परिसरों पर विद्युत लाइनें

3. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कई ग्राम व ढाणियों में बाड़ों/घरों के ऊपर से बिजली के तारों की लाइनें निकली हुई है ?

(2) क्या सरकार जनहित में या सुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइनों को हटाने का विचार रखती है ? क्या इस सम्बन्ध में नियमों में जनता से राशि लेकर लाइन हटाने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लाइनें खींचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लाइनें मकानों/बाड़ों के ऊपर से नहीं खींची जावें परन्तु खींची हुई लाइनों के नीचे लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मकान/बाड़े आदि बना लिये जाते हैं, जिससे लाइनें मकानों/बाड़ों के ऊपर आ जाती है।

(2) जी, हां। आवेदन करने पर लाइनों के स्थानान्तरण के लिये खर्चे का तकमीना बनाया जाता है, जिसमें आवेदक से 50 प्रतिशत राशि लिये जाने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। शेष 50 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण निगम द्वारा वहन की जाती है।

जिला धौलपुर के वन विहार पर्यटन स्थल का विकास

4. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(1) क्या यह सहीं है कि सरकार ने पर्यटन स्थलों के विकास हेतु योजना बनाई हैं? यदि हां, तो धौलपुर जिले में किन-किन स्थलों का चयन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन विहार पर्यटन स्थल राजस्थान पर्यटन विकास निगम को दिये जाने के पूर्व वन विभाग के रख-रखाव में था? यदि हां, तो इनके पुराने फर्नीचर, पेंटिंग्स विदेशी टब, कीमती पीतल की रेलिंग व अन्य सामान का क्या किया गया? उक्त सामान का क्या किया गया? उक्त सामान की कीमत क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम को दिये जाने के बाद पर्यटन स्थल बन्द कर दिया गया था और इमारत को नष्ट कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थल को पुनः विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) सामान्यतः विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित किये जाने का प्रयास किया जाता है। धौलपुर जिले में वर्ष 1999-2000 में मचकुण्ड एवं तलाबशाही में जनसुविधाओं के निर्माण हेतु राशि रुपये 1.88 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा राशि रुपये 1.25 लाख एवं राज्य हिस्सा राशि 0.63 लाख निर्धारित किया गया है।

(2) जी, हां। निगम द्वारा इसका पुराना फर्नीचर, पेन्टिंग्स, विदेशी टब, कीमती पीतल की रेलिंग व अन्य सामान वन विभाग से चार्ज में नहीं लिया गया था, केवल मात्र भवन एवं परिसर का चार्ज ही लिया गया था। उक्त सामान का विवरण चार्ट रिपोर्ट में अंकित नहीं है।

(3) जी, नहीं। निगम द्वारा इसका जीर्णोद्वार कर संचालन किया गया। तत्पश्चात् संचालक मण्डल की 82वीं बैठक दिनांक 25.1.1995 के निर्णय के अनुसरण में इकाई को बन्द करने का निर्णय लिया गया। निगम के द्वारा इमारत को नष्ट नहीं किया गया तथा दिनांक 16.8.1996 को वन विहार धौलपुर के भवन को वन विभाग को पुनः सौंप दिया गया। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(4) जी, नहीं। इस इकाई की उपयोगिता नहीं होने के कारण वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

'वृद्धावस्था पेंशन योजना' में वृद्धि

5. **श्री हरीशचन्द** (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन" केन्द्र सरकार द्वारा लागू की हुई है तथा उनकी पात्रता व नियम सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार के लागू हैं? क्या राजस्थान के लिये अन्य कोई पात्रता निर्धारित की हुई है?

(2) क्या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 75/- रुपये प्रतिमाह की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है? क्या उक्त राशि सम्पूर्ण भारत में एक समान है अथवा राजस्थान के लिये ही निर्धारित है या राजस्थान के लिये अलग से निर्धारित है।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को राजस्थान के लिये 75/- रुपये से बढ़ाकर 200/- रुपये करने हेतु बार-बार निवेदन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन किसी व्यक्ति की आजीवन स्वीकृत की जा चुकी है? यदि हां, तो उसें बीच में ही निरस्त करने के अधिकार वैधानिक किस प्रकार है।

(5) क्या कोषाधिकारी, नागौर के अनुसार जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 4457 स्वीकृति की सीमा है? यदि हां, तो उक्त सीमा के बाहर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अन्य लोगों की क्यों स्वीकृत की गई? उन्हें भुगतान की गई राशि के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

(6) क्या जिन लोगों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन बन्द की गई है उनकी पात्रता की जांच पुनः कराई गई जिसमें वे पात्र नहीं पाये गये? यदि हां, तो उसके लिये पूर्व में जिन लोगों ने पूर्व में पात्रता की जांच की उनको दण्डित क्यों नहीं कराया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है। इसकी पात्रता व नियम सम्पूर्ण भारत में एक ही प्रकार से लागू होता है, यह आंशिक रूप से ही सही है, क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दीनहीनता निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों में लागू मानदण्ड यदि कोई हों, भी अपनाए जा सकते हैं। केन्द्र सरकार को इन मानदण्डों की समीक्षा करने और उचित संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार है।

(2) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित संख्या सीमा तक के लोगों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 75/- रुपये प्रतिव्यक्ति की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। उक्त राशि सम्पूर्ण भारत में रुपये 75/- प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति एक समान है तथा राजस्थान के लिये ही या राजस्थान के लिये अलग से निर्धारित नहीं है, किन्तु राजस्थान में 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों के लिये वृद्धावस्था पेंशन की दर रुपये 200/- प्रतिमाह है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले पात्र

(समाज कल्याण मंत्री)

व्यक्तियों को रुपये 125/- प्रति माह का अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की दर रुपये 75/- प्रति माह को बढ़ाकर रुपये 200/- प्रति माह करने हेतु बार-बार निवेदन किया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की सीमा बढ़ाने एवं राशि रुपये 75/- प्रति माह से रुपये 200/- किये जाने हेतु माननीय केन्द्रय गामीण विकास मंत्री एवं प्रधान मंत्री महोदय को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पत्र लिखे गये हैं।

(4) सामान्यतया राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आजीवन स्वीकृत की जाती है, किन्तु यदि पेंशन किसी अपात्र व्यक्ति को स्वीकृत हो जाती है तो जानकारी होने पर निरस्त की जा सकती है।

(5) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देशों के संदर्भ में प्रकाशित पुस्तिका के पृष्ठ 15 पर इस राज्य के लिए 2,37,500 व्यक्तियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे परिवर्तित कर पहले 1.57 लाख किया गया जिसे बाद में कम कर 1.49 लाख कर दिया गया तथा वर्तमान में यह संख्या-1.41 लाख है। राज्य के लिए स्वीकृत संख्या-1.49 लाख में से नागौर जिले के लिये 4457 की संख्या सीमा को कम कर 4245 निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार परिवर्तन किया गया है। उक्त सीमा से अधिक स्वीकृत सभी पेंशनधारियों को राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी कोई सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। उक्त सभी स्वीकृत पेंशनधारी 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसलिए उन्हें राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। उन्हें भुगतान नियमानुसार ही हो रहा है।

(6) राज्य सरकार के आदेश संख्या-एफ.9(5)(6)/वृपे/सकवि/99/76122-54, दिनांक 17.11.1999 द्वारा दिनांक 31.3.1999 के बाद स्वीकृत नवीन पेंशन प्रकरणों की जांच एवं सर्वे के आदेश दिये गये। तदनुसार पेंशन प्रकरणों की जांच की गई। अपात्र पाये गये पेंशनर्स की पेंशन बन्द कर दी गई। पूर्व में पात्रता की जांच में अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत होने के कारण मुख्यतया पेंशन नियमों में संशोधन, उनके निर्वचन में संशय तथा पेंशनर्स की संख्या सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार परिवर्तन होना भी रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सस्वीकृत पदाधिकारी को पात्रता के बारे में झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर सस्वीकृत किसी भी पेंशन का भुगतान रोकने/वसूल करने का अधिकार भी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चिकित्सा विभाग में कार्यरत अधिकारी

6. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में चिकित्सा विभाग में निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारी चयन समिति द्वारा चयन होकर पदस्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापित है ? यदि नहीं, तो किस आदेश व आधार पर उक्त पदों पर कार्यरत हैं ?

(3) क्या उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों से अन्य व्यक्ति वरिष्ठता में ऊपर है ? यदि हां, तो क्या उक्त वरिष्ठता रखने वाले अधिकारियों से सहमति प्राप्त की और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त पदों पर अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(5) क्या विभाग के सभी पद चिकित्सा अधिकारियों से भरे हुए हैं ? यदि नहीं तो क्यों और उक्त पर किस स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त पदों व अन्य स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में चिकित्सा विभाग में निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की निदेशालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) उक्त पदों में से निदेशक के पद पर तीन, अतिरिक्त निदेशक के पद पर दो, संयुक्त निदेशक के पद पर 6, उप निदेशक के पद पर 4, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर 8 तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर 11 अधिकारी चयन समिति द्वारा चयन होकर पदस्थापित हैं शेष अधिकारी स्थानीय व्यवस्था (लोकल अरेंजमेंट) के आधार पर पद विरुद्ध पदस्थापित है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद पदोन्नति से भरने बाबत पृथक् से कोई पद नहीं है।

(3) अस्पताल में वरिष्ठतम् वरिष्ठ विशेषज्ञ/कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्य सम्पादित करते हैं यथासम्भव वरिष्ठतम अधिकारी ही लगाये जाते हैं तथा विभागीय चयन समिति के द्वारा चयन कर लिये जाने के बाद वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(4) उक्त रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार स्थानीय व्यवस्था के अनुसार दिया हुआ है। सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ब"

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(5) विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों से नहीं भरे हुए हैं, क्योंकि विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद से काफी उच्च पद होने के कारण चिकित्सा अधिकारी से नहीं भरे जा सकते हैं उक्त पदों में से उप निदेशक के पद पर 6 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के, स्तर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर 8, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा 5 उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर के तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर 48 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा 22 चिकित्सा अधिकारी के स्तर के अधिकारी पदस्थापित है उक्त प्रशासनिक पद होने के कारण अन्य स्तर के अधिकारी चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक कार्यरत है।

परिशिष्ट "क"

LIST OF DIRECTOR, ADDL. DIRECTOR, JT DIRECTOR, DY. DIRECTOR CMHO AND PMO

S.No.	Place	Hospost	SPL	SAN	Doctor Name	DRPOST
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jaipur	Director	PH	1	Vacant	
2.	Jaipur	Director	AIDS	1	R.K. Garg	Dir
3.	Jaipur	Director	FW	1	Vacant	
4.	Jaipur	Director	ESI	1	Fateh Singh	Dir
5.	Jaipur	Director	IEC	1	Mahendra Surana	Dir.
6.	Jaipur	Ad. Dir	Gaz	1	Satish Sharma	Ad. Dir
7.	Jaipur	Ad. Dir	Mal	1	Vacant	
8.	Jaipur	Ad. Dir	HADM	1	P.R. Chouhan	Ad. Dir
9.	Jaipur	Ad. Dir	N.Gaz	1	Vacant	
10.	Jaipur	Ad. Dir	FW	1	Vacant	
11.	Ajmer	Jt. Dir	Zone	1	V.K.Kaushik	Jt. Dir
12.	Bikaner	Jt. Dir	Zone	1	Vacant	
13.	Kota	Jt. Dir	Zone	1	Vacant	

1	2	3	4	5	6	7
14.	Udaipur	Jt. Dir	Zone	1	G.C.Shukla	Jt. Dir
15.	Jodhpur	Jt. Dir	Zone	1	Vacant	
16.	Jaipur	Jt. Dir	Blind.	1	Vacant	
17.	Jaipur	Jt. Dir	N.Gaz	1	Jagdish Bhansali	Jt. Dir
18.	Jaipur	Jt. Dir	Trng.	1	Vacant	
19.	Jaipur	Jt. Dir	RPG	1	Vacant	
20.	Jaipur	Jt. Dir	HADM	1	Vacant	
21.	Jaipur	Jt. Dir	T.A.	1	Jagmohan Agarwal	Jt. Dir
22.	Jaipur	Jt. Dir	FW	1	Vacant	
23.	Jaipur	Jt. Dir	TB	1	R.S. Sisodiya	SS TB.
24.	Jaipur	Jt. Dir	Plan	1	Vacant	
25.	Jaipur	Jt. Dir	RCH	1	Vacant	
26.	Jaipur	Jt. Dir	PFA	1	Vacant	
27.	Jaipur	Jt. Dir	LTR	1	Vacant	
28.	Jaipur	Jt. Dir	Mal.	1	Vacant	
29.	Jaipur	Jt. Dir	MCH	1	Vacant	
30.	Jaipur	Jt. Dir	Flood	1	Vacant	
31.	Jaipur	Jt. Dir	Zone	1	Mall Chand Punia	Jt. Dir
32.	Jaipur	Jt. Dir	ESI	1	Vacant	
33.	Ajmer	Dy. Dir	Zone	1	Madhu Vijayvargia	SMO
34.	Bikaner	Dy. Dir	Zone	1	G.N. Kalla	SMO
35.	Kota	Dy. Dir	Zone	1	Vacant	
36.	Udaipur	Dy. Dir	Zone	1	Vacant	
37.	Jodhpur	Dy. Dir	Zone	1	Pratap narain Mutha	SMO
38.	Jaipur	Dy. Dir	Zone	1	Chandra Mohan Joshi	SMO
39.	Jaipur	Dy. Dir	Plan	1	Ladu Ram Meharda	SMO
40.	Jaipur	Dy. Dir	Plan	1	Harshvardhan Bohra	SMO

1	2	3	4	5	6	7
41.	Jaipur	Dy. Dir	PFA	1	R.D. Mali	Dy. Dir
42.	Jaipur	Dy. Dir	N.Gaz	1	S.V.S.Chauhan	Dy.Dir
43.	Jaipur	Dy. Dir	N.Gaz	1	Vacant	
44.	Jaipur	Dy. Dir	Mal.	1	Vacant	
45.	Jaipur	Dy. Dir	Imuniz	1	R.B. Dixit	Dy. Dir
46.	Jaipur	Dy. Dir	Blind	1	Vacant	
47.	Jaipur	Dy. Dir		1	Vacant	
48.	Jaipur	Dy. Dir		1	S.K.Bukshi	Dy.Dir
49.	Beawar	CMHO		1	Vacant	
50.	Bhilwara	CMHO		1	Pareshwar Soni	SMO
51.	Nagour	CMHO		1	Prabhat Kumar Purohit	CMHO
52.	Tonk	CMHO		1	V.D.Sharma	SMO
53.	Bikaner	CMHO		1	Rajkumar Raisinghani	Dy. CMHO
54.	Ratangarh	CMHO		1	Narendra Godara	Dy. CMHO
55.	S.Ganganagar	CMHO		1	R.P. punia	CMHO
56.	Hanumangarh	CMHO		1	Bhimsingh Kadvasara	CMHO
57.	Baran	CMHO		1	Premchand Meena	SMO
58.	Bundi	CMHO		1	Vacant	
59.	Jhalawar	CMHO		1	M.L. Dhariwal	CMHO
60.	Kota	CMHO		1	Vacant	
61.	Karauli	CMHO		1	B.L. Meena	SMO
62.	S.Madhopur	CMHO		1	Kajod Mal Meena	SMO
63.	Banswara	CMHO		1	V.K. Viz	CMHO
64.	Pratapgarh	CMHO		1	Vacant	
65.	Dungarpur	CMHO		1	B.L.Malvi	SMO
66.	Rajsamand	CMHO		1	Vacant	
67.	Udaipur	CMHO		1	Shyam Sunder Gupta	SMO

1	2	3	4	5	6	7
68.	Barmer	CMHO	1	Vacant		
69.	Jaisalmer	CMHO	1	Vacant		
70.	Jalore	CMHO	1	Chaturbhuj Dhanawat		SMO
71.	Jodhpur	CMHO	1	Santoshsingh Gahlot		Dy. CMHO
72.	Pali	CMHO	1	Vacant		
73.	Sirohi	CMHO	1	M.M.Vyas		Dy. CMHO
74.	Dousa	CMHO	1	Vacant		
75.	Dholpur	CMHO	1	L.S.Gour		CMHO
76.	Alwar	CMHO	1	Jetharam Deora		CMHO
77.	Bharatpur	CMHO	1	Vacant		
78.	Jaipur	CMHO	1	K.C.Sharma		CMHO
79.	Jhunjhunu	CMHO	1	Vacant.		
80.	Sikar	CMHO	1	Ranveer Singh		Dy. CMHO
81.	Beawer	PMO	1	B.C. Sodhi		SS SUR
82.	Kishangarh	PMO	1	A.P. Modi		SS MED
83.	Bhilwara	PMO	1	M.L. Sharma		SS ENT
84.	Nagour	PMO	1	J.P. Bhatnagar		SS PAED
85.	Deedwana	PMO	1	Kaliash Chand Gupta		JS MED
86.	Tonk	PMO	1	Heeralal Chandel		SS OPTH
87.	Bikaner	PMO	1	Tejgopal Bhatnagar		SS SUR
88.	Churu	PMO	1	H.N.Sarin		SS OPTH
89.	Ratangarh	PMO	1	Jodhraj Vijayvargia		SS MED
90.	Sujangarh	PMO	1	Surendra Chitkara		SS MED
91.	S.Ganganagar	PMO	1	J.P. Dhamija		SS MED
92.	Hanumangarh	PMO	1	Sushila Saharan		SS GYNAE

1	2	3	4	5	6	7
93.	Baran	PMO	1	Urmila Katiyal		SS PAED
94.	Bundi	PMO	1	B.L.Chobisa		SS MED
95.	Jhalawar	PMO	1	P.C.Birwal		SS GYNAE
96.	Karauli	PMO	1	K.L.Sehra		SS PAED
97.	S.Madhopur	PMO	1	S.L.Meena		SS PAED
98.	Banswara	PMO	1	D.K. Ameta		SS PAED
99.	Chittorgarh	PMO	1	M.C.Sanadhaya		SS OPTH
100.	Pratapgarh	PMO	1	V.D. Pareek		SS SUR
101.	Dungarpur	PMO	1	J.K. Rot		SS SUR
102.	Sagwara	PMO	1	Jitendra R. Bhandari		SS MED
103.	Rajsamand	PMO	1	Bhairulal Kumawat		JS ENT
104.	Nathdwara	PMO	1	Shrawan Kumar Sharma		SS MED
105.	Barmer	PMO	1	R.N.D. Purohit		SS GYNAE
106.	Balotra	PMO	1	N.K. Changani		SS MED
107.	Jaisalmer	PMO	1	Kushal S. Gahlot		SS GYNAE
108.	Pali	PMO	1	S.R.Daga		SS ANAE
109.	Sojat	PMO	1	Bharat S.Gahlot		SS SUR
110.	Sirohi	PMO	1	M.L.Tak		SS MED
111.	Dholpur	PMO	1	J.P.Garg		SS MED
112.	Alwar	PMO	1	Satyapal Yadav		SS PAED
113.	Bharatpur	PMO	1	Harnarayan Sharma		SS ORTHO
114.	Kanwatia	PMO	1	Anil Tyagi		SS PAED
115.	Banipark	PMO	1	K.K. Saxena		SS PAED
116.	Jaipuria	PMO	1	B.L.Choudhary		SS MED
117.	Jhunjhunu	PMO	1	Subhash Bhardwaj		SS PAED
118.	Sikar	PMO	1	M.P. Jain		SS SUR

LIST OF DY CMHO'S

S. No.	Dist Code	Place	Hospost	SPL	SAN	Doctor Name	DRPOST
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	Beawer	DY. CMHO		1	M.L.Thatera	SMO
2.	Ajmer	Ajmer	DY. CMHO	FW	1	Jawaharlal Gargia	SMO
3.	Ajmer	Kishangarh	DY. CMHO		1	Laxmanswaroop Mathur	SMO
4.	Ajmer	Kekri	DY. CMHO		1	Virendra K Mathur	DY CMHO
5.	BHL	Bhilwara	DY. CMHO	FW	1	Rajesh K Khatri	MO
6.	BHL	Mandalgarh	DY. CMHO		1	Maheshsingh Yadav	SMO
7.	BHL	Shahpura	DY. CMHO		1	Prakash C Sharma	MO
8.	BHL	Gulabpura	DY. CMHO		1	Vacant	
9.	BHL	Gangapur	DY. CMHO		1	Satish K. Dabi	SMO
10.	NGR	Nagour	DY. CMHO	FW	1	Vacant	
11.	NGR	Deedwana	DY. CMHO		1	Maheshchandra Jha	
12.	NGR	Parbatsar	DY. CMHO		1	Vacant	SMO
13.	NGR	Medtacity	DY. CMHO		1	Vacant	
14.	Tonk	Tonk (First)	DY. CMHO	FW	1	Brijmohan Bairwa	SMO

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Tonk	Malpura	DY. CMHO		1	Vacant	
16.	Tonk	Deoli	DY. CMHO		1	Bhusan Salodia.	SMO
17.	BKN	Bikaner (North)	DY. CMHO		1	Vacant	
18.	BKN	Bikaner (South)	DY. CMHO		1	Jagdish Prasad Lakhotia	SMO
19.	BKN	Khajuwala	DY. CMHO		1	Premratan Valmiki	DY CMHO
20.	CHURU	Churu	DY. CMHO	FW	1	Ajay Choudhary	MO
21.	CHURU	Ratangarh	DY. CMHO		1	Shiv Kumar Swami	MO
22.	CHURU	Rajgarh	DY. CMHO		1	Dayashankar Pareek	MO
23.	SGN	S.Ganganagar	DY. CMHO	FW	1	Vacant	
24.	SGN	Suratgarh	DY. CMHO		1	Vacant	
25.	SGN	Srikarnanpur	DY. CMHO		1	Vacant	
26.	SGN	Raisinghnagar	DY. CMHO		1	Suresh Jain	SMO
27.	SGN	Anupgarh	DY. CMHO		1	Angad Dev Jhared	SMO
28.	HNG	Hanumangarh	DY. CMHO	FW	1	Mahaveer P Budhania	DY CMHO
29.	HNG	Nohar	DY. CMHO		1	Suresh kumar Agarwal	SMO
30.	HNG	Sangaria	DY. CMHO	FW	1	Omprakash Sindolia	SMO

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	BARAN	Baran	DY. CMHO		1	Vacant	
32.	BARAN	Shahbad	DY. CMHO		1	S.M.Yadav	DY CMHO
33.	BARAN	Chhabra	DY. CMHO	FW	1	Vacant	
34.	BUNDI	Bundi	DY. CMHO		1	B.L.Bairwa	SMO
35.	BUNDI	Nainwa	DY. CMHO		1	Vacant	
36.	JHWR	Jhalawar	DY. CMHO	FW	1	R.P.Jain	MO
37.	JHWR	Aklera	DY. CMHO		1	A.A.Sirani	SMO
38.	JHWR	Bhavanimandi	DY. CMHO		1	Vacant	
39.	KOTA	Kota	DY. CMHO	FW	1	S.M.Mittal	DY CMHO
40.	KOTA	Ramganj Mandi	DY. CMHO		1	B.K.Sharma	SMO
41.	KRL	Karauli	DY. CMHO	FW	1	Ramroop Meena	MO
42.	KRL	Hindon	DY. CMHO		1	Sri Phool Meena	SMO
43.	SAW	S.Madhopur	DY. CMHO	FW	1	Gokul Lal Meena	MO
44.	SAW	Gangapurcity	DY. CMHO		1	Thandi Ram Meena	SMO
45.	BNS	Banswara	DY. CMHO	FW	1	Bharatlal Pargi	SMO
46.	BNS	Kushalgarh	DY. CMHO		1	Vacant	
47.	CHT	Pratapgarh	DY. CMHO		1	Ladu Ram Lohia	DY CMHO

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	CHT	Chittorgarh	DY. CMHO	FW	1	Radheyshyam Boyat	SMO
49.	CHT	Nimbahera	DY. CMHO		1	Narendra S Mathur	SMO
50.	CHT	Begu	DY. CMHO		1	Gajendra K Parmar	DY CMHO
51.	CHT	Badisadari	DY. CMHO		1	Gyan Mal Sankhla	MO
52.	CHT	Kapasan	DY. CMHO		1	Vacant	
53.	DNG	Dungarpur	DY. CMHO	FW	1	Kanti Lal	SMO
54.	DNG	Sagwara	DY. CMHO		1	Hanuman Singh	SMO
55.	RSMD	Rajsamand	DY. CMHO	FW	1	Tarun Choudhary	MO
56.	RSMD	Bheem	DY. CMHO		1	Vacant	
57.	RSMD	Nathdwara	DY. CMHO		1	Shiman Singh Deora	DY CMHO
58.	UDP	Udaipur	DY. CMHO	FW	1	Banwarilal Mishra	SMO
59.	UDP	Vallabhnagar	DY. CMHO		1	MotiLal Jain	DY CMHO
60.	UDP	Salumbar	DY. CMHO		1	Ram Prakash Kinra	SMO

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	UDP	Jhadolfalasia	DY. CMHO		1	Vacant	
62.	BMR	Barmer	DY. CMHO	FW	1	Mangilal Bohra	SMO
63.	BMR	Balotra	DY. CMHO		1	Vacant	
64.	BMR	Gudamalani	DY. CMHO		1	Ramesh Chand Boda	MO
65.	JSMR	Jaisalmer	DY. CMHO	FW	1	B.P.Singh	MO
66.	JSMR	Pokaran	DY. CMHO		1	A.G.M. Purohit	MO
67.	JLR	Jalore	DY. CMHO	FW	1	Bhagwati Lal Chouhan	SMO
68.	JLR	Bhinmal	DY. CMHO		1	Vacant	
69.	JLR	Sanchor	DY. CMHO		1	Dinesh K Charagn	SMO
70.	JDP	Jodhpur	DY. CMHO	FW	1	Ramesh Chand Bode	SMO
71.	JDP	Falodi	DY. CMHO		1	Vacant	
72.	JDP	Pipadcity	DY. CMHO		1	Gopilal Choudhary	SMO
73.	PALI	Pali	DY. CMHO	FW	1	Bharat Kumar Gupta	SMO
74.	PALI	Sojat	DY. CMHO		1	Babulal Chouhan	SMO
75.	PALI	Jaitaran	DY. CMHO		1	Pukhraj Goyal	SMO
76.	PALI	Bali	DY. CMHO		1	Govind Narain Arora	SMO

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	SRH	Sirohi	DY. CMHO	FW	1	Dalli Chand Punsal	SMO
78.	SRH	Mount Abu	DY. CMHO		1	Raj Singh Bhandari	SMO
79.	DSA	Dousa	DY. CMHO	FW	1	L.L.Datonia	SMO
80.	DSA	Bandikui	DY. CMHO		1	Omprakash Bairwa	MO
81.	DHL	Dholpur	DY. CMHO	FW	1	Asfaq A Khanjada	SMO
82.	DHL	Badi	DY. CMHO		1	Vacant	
83.	ALR	Alvar	DY. CMHO	FW	1	J.P.Singhal	DY. CMHO
84.	ALR	Behrod	DY. CMHO		1	Suresh chand Meena	SMO
85.	ALR	Rajgarh	DY. CMHO		1	Meghraj Meena	SMO
86.	ALR	Kishangarhbas	DY. CMHO		1	Charanjeet Singh	MO
87.	ALR	Tijara	DY. CMHO		1	Mahendra Kumar Gupta	MO
88.	ALR	Laxmangarh	DY. CMHO		1	Sriram Meena	MO
89.	BTP	Bharatpur	DY. CMHO	FW	1	N.K.Srivastav	SMO
90.	BTP	Deeg	DY. CMHO		1	Harish cand Hada	SMO
91.	BTP	Kanma	DY. CMHO		1	Radhey Shyam Goyal	MO
92.	BTP	Bayana	DY. CMHO		1	Govindprasad Pathak	SMO
93.	JPR	Jaipur	DY. CMHO	HQ	1	Ramesh chand Sharma	MO

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	JPR	Jaipur (First)	DY. CMHO	FW	1	Kept in ABEYANCE	
95.	JPR	Jaipur (Second)	DY. CMHO		1	R.S.Sharma	SMO
96.	JPR	Jaipur (East)	DY. CMHO		1	Radhy Shyam Gupta	SMO
97.	JPR	Jaipur (South)	DY. CMHO		1	Kept in ABEYANCE	
98.	JPR	Amer	DY. CMHO		1	Kept in ABEYANCE	
99.	JPR	Sambhar	DY. CMHO		1	Surendra M Mathur	DY CMHO
100.	JPR	Kotputali	DY. CMHO		1	Munna Lal Meena	SMO
101.	JJN	Jhunjhunu	DY. CMHO	FW	1	Vacant	
102.	JJN	Khetdi	DY. CMHO		1	Subhash chand Baid	SMO
103.	JJN	Navalgarh	DY. CMHO		1	Mahaveersingh Krishnaya	MO
104.	SKR	Sikar	DY. CMHO	FW	1	Ashok Kumar Mahria	MO
105.	SKR	Neemkathana	DY. CMHO		1	P.R.Zaif	SMO
106.	SKR	Fatehpur	DY. CMHO		1	Satya Narain Dholpuria	MO

परिशिष्ट "ब"

LIST OF DOCTORS HAVING ADDITIONAL CHARGE

S.No.	Place	Pospost	SPL	Doctor Name
1	2	3	4	5
1.	Jaipur	Director	FW	Vacant – Mahendra Surana Addl Chg
2.	Jaipur	Ad. Dir	N.Gaz	Vacant – Hundal Vidhani Addl Chg
3.	Jaipur	Ad. Dir	Fw	Vacant – M.C.Punia Addl Chg
4.	Bikaner	Jt. Dir	Zone	Vacant – B.S.Kadvasara Addl. Chg
5.	Kota	Jt. Dir	Zone	Vacant – B.K.Sharma Addl Chg
6.	Jodhpur	Jt. Dir	Zone	Vacant – P.N. Mutha Addl Chg
7.	Jaipur	Jt. Dir	Blind.	Vacant – B.D. Khandelwal Addl Chg
8.	Jaipur	Jt. Dir	Trng.	Vacant – Hemlata Goyal Addl Chg
9.	Jaipur	Jt. Dir	Plan	Vacant – L.R. Meharda Addl Chg
10.	Beawer	CMHO		Vacant – M.L. thatera Addl Chg
11.	Bundi	CMHO		Vacant – B.L. Bairwa Addl Chg
12.	Kota	CMHO		Vacant – S.M. Mittal Addl Chg
13.	Pratapgarh	CMHO		Vacant – V.P. Katia Addl Chg
14.	Rajsamand	CMHO		Vacant – C.S. Deora Addl Chg
15.	Barmer	CMHO		Vacant – Ramesh Boda Addl Chg
16.	Jaisalmer	CMHO		Vacant – Jai Singh Addl Chg
17.	Pali	CMHO		Vacant – B.K. Gupta Addl Chg
18.	Dousa	CMHO		Vacant – L.L. Datonia Addl. Chg
19.	Bharatpur	CMHO		Vacant – N.K. Srivastav Addl Chg
20.	Jhunjhunu	CMHO		Vacant – M.S. Krishnaya Addl Chg
21.	Bikaner (North)	DY CMHO	FW	Vacant – Subhash Sehgal Addl Chg
22.	Jhadolf-alasia	DY CMHO		Vacant – Rajesh Malik Addl Chg
23.	Falodi	DY CMHO		Vacant – Raja Ram Sharma Addl Chg

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद द्वारा कुआं गहरा कराने हेतु स्वीकृत राशि

7. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किन-किन काश्तकारों ने अपने कुएं गहरे कराने के लिए जनजाति विकास विभाग को सम्बन्धित पंचायत समितियों के माध्यम से आवेदन किया है? सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन के फलस्वरूप उक्त पंचायत समिति के कितने जनजाति कृषकों को कुआ गहरा कराने की राशि स्वीकृत की गई और स्वीकृत राशि से कुओं में ब्लास्टिंग किस सत्र में किया गया?

(3) उप योजना क्षेत्र के आदिवासियों के कुएं गहरे करने का वर्षवार कितना वित्तीय प्रावधान था? उक्त पंचायत समितियों का वर्षवार आबंटन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति, प्रतापगढ़ एवं अरनोद के जिन-जिन काश्तकारों ने अपने कुएं गहरे कराने के लिए जनजाति विभाग को सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से आवेदन किया है उनकी पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक की अवधि में उक्त दोनों पंचायत समितियों के कुओं को गहरा कराने हेतु वर्षवार स्वीकृत राशि तथा सत्रवार किये गये ब्लास्टिंग का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)	किये गये ब्लास्टिंग का विवरण
1998-1999	8.10	282
1999-2000	8.10	417
2000-2001	16.20	709
2001-2002	9.72	251
योग	**42.12**	**1659**

(3) जनजाति उप योजना क्षेत्र हेतु वर्षवार कुओं के ब्लास्टिंग हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया था :—

वर्ष	प्रावधान (राशि लाख रुपयों में)
1998-1999	40.50
1999-2000	40.50
2000-2001	304.56
2001-2002	48.60
योग	**434.16**

चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ एवं अरनोद पंचायत समितियों के लिए वर्षवार प्रावधित राशि एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(भू-जल मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्रावधित राशि	उपयोग की गई राशि
1998-1999	8.10	7.55
1999-2000	8.10	10.73
2000-2001	16.20	17.31
2001-2002	9.72	7.34
योग	**42.12**	**42.93**

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र

8. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और अब वर्ष 2002-2003 में कितने और खोलने का विचार है ?

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा शिक्षा कार्यक्रम एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का विचार रखती है ?

(4) उक्त केन्द्रो के सुधार के लिये सरकार अब नये क्या प्रयास करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में 35103 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। शेष स्वीकृत 607 आंगनबाड़ी केन्द्रों की वर्ष 2002-2003 में खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी, नहीं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा सेवा ही दी जा रही है।

(3) जी, नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम सभाओं में चयन के आधार पर ही कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं की नियुक्ति की जाती है। जो मानदेय के आधार पर होती है। वह कर्मचारी नहीं होते।

(4) विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में सुधार हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(i) वित्तीय वर्ष 2002-2003 से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर औसत लाभान्वितों की संख्या बढ़ाकर 100 प्रति केन्द्र की जा रही है।

(ii) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मेडिकल किट, शालापूर्व शिक्षा सामग्री किट, आई.ई.सी. सामग्री तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किये जा रहे हैं।

(भू-जल मंत्री)

(iii) विभागीय कार्मिकों के नियमित कार्यविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। वर्तमान में सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

(iv) अच्छा कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू पर्यवेक्षण तथा संचालन के अधिकार ग्राम पचांयतों को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न संख्या-9

(स्थगित)

जिला बीकानेर के विद्यालयों में रिक्त पद

10. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रिंसिपल एवं व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद किस-किस तिथि से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में कितने माध्यमिक विद्यालयों का उंच्च माध्यमिक में एवं कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? पंचायत समितिवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को अब तक नहीं भरने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1999-2000 से 2001 से 2002 तक उक्त जिले में क्रमोन्नत विद्यालयों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) विभाग में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, पदोन्नति परित्याग, आदि से पद रिक्त होते हैं तथा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

जी, हां। डी.पी.सी. पर लगाई गई रोक हटाये जाने पर तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट "क"

प्रश्न के भाग संख्या-1 की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			कब से रिक्त
		प्रा.	प्र.अ.	व्याख्याता	प्रा.	प्र.अ.	व्याख्याता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजकीय माध्यमिक विद्यालय							
1.	जसूसर गेट	—	01	—	—	01	—	—
2.	दफ्तरी चौक	—	01	—	—	—	—	—
3.	कोचरों का चौक	—	01	—	—	—	—	—
4.	नवमा. तेलीवाड़ा	—	01	—	—	—	—	—
5.	नत्थूसरगेट	—	01	—	—	—	—	—
6.	रेलवे क्रोसिंग	—	01	—	—	—	—	—
7.	धोबी तलाई	—	01	—	—	—	—	—
8.	हिम्तसर	—	01	—	—	—	—	—
9.	जवाहर, भीनासर	—	01	—	—	—	—	—
10.	गोगागेट	—	01	—	—	—	—	—
11.	करणीसर	—	01	—	—	—	—	—
12.	जामसर	—	01	—	—	—	—	—
13.	नातबड़ी	—	01	—	—	—	—	—
14.	जयमलसर	—	01	—	—	—	—	—
15.	कोलासर	—	01	—	—	—	—	—
16.	उदयरामसर	—	01	—	—	—	—	—
17.	उदासर	—	01	—	—	—	—	—
18.	पलाना	—	01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	सोंथल	—	01	—	—	—	—	—
20.	मूण्डसर	—	01	—	—	—	—	—
21.	नौरंगदेसर	—	01	—	—	—	—	—
22.	बम्बलू	—	01	—	—	—	—	—
23.	शेरेरा	—	01	—	5	—	—	—
24.	तेजरासर	—	01	—	—	—	—	—
25.	पूगल	—	01	—	—	—	—	—
26.	गाढ़वाला	—	01	—	—	—	—	—
27.	रामसर	—	01	—	—	—	—	—
28.	दन्तौर	—	01	—	—	01	—	1999-2000
29.	गुसाईसर	—	01	—	—	—	—	—
30.	सरदेसरजाटाण	—	01	—	—	—	—	—
31.	गजनेर	—	01	—	—	—	—	—
32.	खारीचारनान	—	01	—	—	—	—	—
33.	अक्खासर	—	01	—	—	—	—	—
34.	झझू	—	01	—	—	—	—	—
35.	हदा	—	01	—	—	01	—	2/2000
36.	गिरीराजसर	—	01	—	—	—		
37.	गडियाला	—	01	—	—	—	—	—
38.	गोडू	—	01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	बीकमपुर	—	01	—	—	—	—	—
40.	सियाणा	—	01	—	—	—	—	—
41.	अर्जुनसर	—	01	—	—	—	—	—
42.	जैतपुर	—	01	—	—	—	—	—
43.	रामनगर	—	01	—	—	—	—	—
44.	शेखसर	—	01	—	—	—	—	—
45.	रासीसर	—	01	—	—	—	—	—
46.	सुरपूरा	—	01	—	—	—	—	—
47.	देसलसर	—	01	—	—	—	—	—
48.	राठी नौखा	—	01	—	—	—	—	—
49.	मैनसर	—	01	—	—	—	—	—
50.	कुचौर आगुणी	—	01	—	—	—	—	—
51.	बीरमसर	—	01	—	—	—	—	—
52.	बादनू	—	01	—	—	—	—	—
53.	कुदसू	—	01	—	—	—	—	—
54.	बनाड़ा	—	01	—	—	—	—	—
55.	जयसिंह देसरमगरा	—	01	—	—	—	—	—
56.	जांगलू	—	01	—	—	—	—	—
57.	सिजगुरु	—	01	—	—	01	—	2/2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	रोड़ा	—	01	—	—	—	—	—
59.	कक्कू	—	01	—	—	—	—	—
60.	काकडा	—	01	—	—	—	—	—
61.	साधासर	—	01	—	—	—	—	—
62.	सारूण्डा	—	01	—	—	01	—	1999-2000
63.	एल.बीदम्माणी	—	01	—	—	—	—	—
64.	हर्षो का चौक	—	01	—	—	—	—	—
65.	सोनागरीकुंटा	—	01	—	—	—	—	—
66.	लक्ष्मीनाथघाटी	—	01	—	—	—	—	—
67.	सूरसागर	—	01	—	—	—	—	—
68.	बांठया	—	01	—	—	—	—	—
69.	तेलीवाड़ा	—	01	—	—	—	—	—
70.	करनाणी	—	01	—	—	—	—	—
71.	उदयरामसर	—	01	—	—	—	—	—
72.	उदासर	—	01	—	—	—	—	—
73.	सींथल बा.	—	01	—	—	—	—	—
74.	श्री कोलायत बा.	—	01	—	—	—	—	—
75.	कालू बा.	—	01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	उदरासर	—	01	—	—	—	—	—
77.	कीतासर	—	01	—	—	—	—	—
78.	तौलियासर	—	01	—	—	—	—	—
79.	बैनीसर	—	01	—	—	—	—	—
80.	रिडीठ	—	01	—	—	—	—	—
81.	सौनियासर	—	01	—	—	—	—	—
82.	बीग्गा	—	01	—	—	—	—	—
83.	बरजांगसर	—	01	—	—	—	—	—
84.	ठकरियासर	—	01	—	—	—	—	—
85.	आडसर	—	01	—	—	—	—	—
86.	पुनरासर	—	01	—	—	—	—	—
87.	बाना	—	01	—	—	—	—	—
88.	शैरूणा	—	01	—	—	—	—	—
89.	श्रीडूंगरगढ़	—	01	—	—	—	—	—
90.	मोमासर	—	01	—	—	—	—	—
91.	सांवतसर	—	01	—	—	01	—	1999-2000

परिशिष्ट "क"

प्रश्न के भाग संख्या-1 की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			कब से रिक्त
		प्रा.	प्र.अ.	व्याख्याता	प्रा.	प्र.अ.	व्याख्याता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय								
1.	एम.एम.बीकानेर	01	—	30	—	—	05	3/01, 12.01, 11.99, 6/98
2.	पाबूबारी, बीकानेर	01	—	05	—	—	02	1999-2000
3.	सार्दुल, बीकानेर	01	—	50	—	—	05	8/01, 10/0, 12/01, 2/02
4.	फोर्ट, बीकानेर	01	—	35	—	—	05	3/99, 7/99, 1/2K, 11/01
5.	सिटी, बीकानेर	01	—	14	—	—	—	—
6.	चौपड़ा, बीकानेर	01	—	21	—	—	01	1/2/2002
7.	इंगानप, बीकानेर	01	—	05	—	—	01	10/98
8.	शिवबाड़ी, बीकानेर	01	—	05	—	—	05	1999-2000 5/99, 4/99
9.	बारहगुवांड़	01	—	24	—	—	04	12/98, 10/01, 5/99, 4/99
10.	दयानन्द मार्ग	01	—	37	—	—	04	8/00/12/01, 4/99, 8/98
11.	गुरुद्वारा	01	—	05	—	—	—	—
12.	महारानी	01	—	39	—	—	04	2/2K, 7/01, 1/01, 1/01
13.	बोथरा गंगाशहर	01	—	08	—	—	01	12/2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	रूधनाथसर कुआं	01	—	05	—	—	04	7/2001
15.	करणी देशनोक	01	—	14	—	—	03	12/01, 8/01
16.	नापासर	01	—	13	—	—	01	12/2001
17.	छतरगढ़	01	—	11	—	—	04	7/2k से तीन 10/2001
18.	खाजूवाला	01	—	08	—	—	04	7/2001
19.	बरासंगसर	01	—	05	—	—	—	—
20.	देशनोक बा.	01	—	05	—	—	—	—
21.	बा. नापासर	01	—	05	—	—	—	—
22.	लूणकरणसर	01	—	15	—	—	03	9/97, 11/01
23.	कालू	01	—	08	—	—	04	3/01, 7/2K, 8/2k, 9/97
24.	महाजन	01	—	05	—	—	02	1/2000
25.	बा. लूणकरणसर	01	—	05	—	—	—	—
26.	दियातरा	01	—	05	—	—	01	1999-2000
27.	बज्जू	01	—	05	—	—	03	7/98, 12/98, 95-96
28.	श्रीकोलायत	01	—	09	—	—	02	7/97, 7/98
29.	श्रीडूंगरगढ़	01	—	19	—	—	04	11/2k, 8/2k, 1/01
30.	श्री दुलचासर	01	—	08	—	—	04	11/2k, 9/94, 12/01, 8/2k

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	गुसाईसरबड़ा	01	—	05	—	—	04	3/2000
32.	ऊपनी	01	—	05	—	—	04	1999-2000
33.	मोमासर	01	—	07	—	—	01	12/98
34.	बा. डूंगरगढ़	01	—	06	—	—	02	11/95, 8/2k
35.	हिम्मतसर	01	—	05	01	—	04	12/2001
36.	जसरासर	01	—	05	—	—	04	7/97
37.	छोटूनाथ नौखा	01	—	26	—	—	04	8/99, 12/01
38.	बा. नोखा	01	—	05	—	—	04	3/99, 8/99, 8/2000
39.	पांचू	01	—	05	—	—	05	7/97
40.	बेरासर	01	—	05	—	—	05	2/93(3), 4/01, 8/01

परिशिष्ट "ख"

प्रश्न के भाग संख्या-2 की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	गांव का नाम जहां विद्यालय क्रमोन्नत किया गया					
		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-02	
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बीकानेर	1. रा.मा.वि. गोगागेट, बीकानेर	1. रा.उ.मा.वि. पाबूबारी, बीकानेर	–	1. रा.उ.मा.वि. शिवबाड़ी	–	–
		2. रा.मा.वि. करमीसर, बीकानेर	2. रा.उ.मा.वि., बरसिंहसर	–	2. रा.बा.उ.मा.वि. एलबीडी	–	–
		3. रा.मा.वि. दन्तौर	3. रा.बा.उ.मा.वि., नापासर	–	–	–	–
		4. रा.मा.वि. गुसाईसर	–	–	–	–	–
		5. रा.बा.मा.वि. तेलीवाड़ा, बीकानेर	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. रा.बा.मा.वि.करनाणी गंगाशहर	—	—	—	—	—
2.	नोखा	1. रा.मा.वि. सियाणा	1. रा.उ.मा.वि. बेरासर	1. रा.मा.वि. कुचोर-अथुणी	1. रा.उ.मा.वि. हिमटसर	—	—
		2. रा.मा.वि. साधासर	—	—	—	—	—
		3. रा.मा.वि. सारूण्डा	—	—	—	—	—
		4. रा.मा.वि. केसरदेसरजाटान	—	—	—	—	—
3.	लुणकरणसर	—	1. रा.उ.मा.वि. महाजन	—	—	—	—
4.	कोलायत	—	1. रा.उ.मा.वि. दियातरा	—	—	—	—
5.	श्री डूंगरगढ़	1. रा.मा.वि. ठुकरियासर	1. रा.उ.मा.वि. गुसाईसर	—	—	—	—
		2. रा.मा.वि. उदासर	—	—	रा.उ.मा.वि. उपनी	—	—

विद्युत उपभोक्ता से वसूलने जा रहे सेवा शुल्क में छूट

11. डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक उपभोक्ता को विद्युत बिल भेजा जाता है और उससे सेवा शुल्क वसूला जाता है? यदि हां, तो किस हिसाब से?

(2) क्या बढ़ी हुई दर में विद्युत लाइन के संधारण और उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवा सुविधा का प्रावधान सम्मिलित नहीं है? यदि हां, तो फिर स्थाई सेवा शुल्क क्यों नहीं लिया जाता है?

(3) वर्ष 1989 में जो सुविधाएं तत्कालीन सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी उसमें समय-समय पर क्या-क्या परिवर्तन किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक रूप से मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है? यदि हां, तो न्यूनतम चार्ज लगाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रत्येक उपभोक्ता को बिल भेजा जाता है तथा उनसे बिलों में स्थाई शुल्क वसूल किया जाता है जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्ष 1989 में तत्कालीन सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं तथा उनमें समय-समय पर किए गए परिवर्तनों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी, हां। विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 24.03.2001 की अनुपालना में प्रत्येक उपभोक्ता के यहां मीटर लगाना अनिवार्य है। वितरण निगम को सब-स्टेशनों, ट्रांसफार्मर व लाइनों इत्यादि में भारी निवेश करना पड़ता है ताकि उपभोक्ताओं को सदैव बिजली देने में निरन्तरता बनी रहे। वित्तीय सुदृढ़ता के लिये अर्थात् निवेश की राशि पर दिये जाने वाले ब्याज, डिप्रीसिएशन इत्यादि के लिए कुछ रिटर्न आवश्यक है जो कि मिनिमम चार्जेज के रूप में उपभोक्ताओं से लिया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

प्रश्न संख्या-614

STATEMENT INDICATING EXISTING DEMAND/FIXED CHARGES BEING LEVIED ON VARIOUS CATEGORIES OF CONSUMERS

FROM BILLING MONTH OF MAY, 2001

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES
1	2	3
1.	DOMESTIC SERVICE :	
	(Rural & Urban)	
	(i) First 50 Units/Month	Rs. 50/Connection/Month*
	(ii) Above 50 Units/Month	Rs. 75/Connection/Month*
2.	NON DOMESTIC SERVICE :	
	(i) LT Supply	
	(a) SCL upto 5 KW	
	(i) First 100 Units/Month	Rs. 80/Connection/Month*
	(ii) Above 100 Units/Month	Rs. 120/Connection/Month*
	(b) SCL above 5KW	Rs. 40/KW of SCL
	(ii) HT Supply	Rs. 60/KVA of BD
3.	PUBLIC STREET LIGHTING :	
	(i) In Panchayats/Municipal areas having Population below 1-Lakh	Rs. 30/Point
	(ii) In Municipal areas having population of 1-Lakh and above	Rs. 45/Point

1	2	3
4.	**AGRICULTURE :**	
	(i) Metered Supply	Rs. 45/Connection/Month
	(ii) Flat Rate Supply	Rs. 15/Connection/Month
5.	**SMALL INDUSTRY :**	Rs. 30/HP/Month**
6.	**MEDIUM INDUSTRY :**	Rs. 45/HP/Month or Rs. 75/KVA/Month of BD
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD :**	
	(i) Residential Colony	Domestic traiff less 10%
	(ii) Other than Residential Colony	Rs. 45/HP/Month or Rs.75/KVA/Month of BD
8.	**LARGE INDUSTRY :**	Rs. 90/KVA/Month of BD

NOTES :

1. * of average monthly consumption of previous financial year.
2. ** Fixed Charged for Seasonal Industries will be 25% during off season.
3. BD = Billing Demand

   CD = Contract Demand

   SCL = Sanctioned Connected load
4. Public Water Works and Railway traction traiff will be same as that of industries depending upon load.

परिशिष्ट "ब"

STATEMENT SHOWING THE SUBSIDY ON COST OF POLE BEING GIVEN TO AGRICULTURE CONSUMERS UNDER GENERAL CATEGORY CONNECTIONS SINCE 1989 ONWARD

Year	Cost per Pole		Subsidy Allowed To Agriculture Consumers		Cost Recovered from Agriculture Consumers
	Other Category	Agriculture Category			
1	2	3	4		5
1989-90	Rs. 1500/- per pole	Rs. 1500/- Per pole		1 Pole/HP free	NIL
1990-91	Rs. 4250/- per pole	Rs. 4250/- per pole		Rs. 4000/- per pole	Rs. 250/- per pole (1-pole per HP upto 10 Poles)
1991-92	Rs.4250/- per pole	Rs. 4250/- per pole		Rs. 4000/- per pole	Rs. 250/- per pole (1-pole per HP upto 10 pole)
1993-94	Rs. 7000/- per pole	Rs. 7000/- per pole		Rs. 6500 per pole	Rs. 500/- per pole (1-pole per HP upto 10 poles)
1994-95	Rs. 7000/- per pole	Rs. 7000/- per pole	(i) First 3-poles	Rs. 6000/- per pole	Rs. 1000/-
			(ii) Next 2-poles	Rs. 5500/-	Rs. 1500/- per pole
			(iii) Next 3-poles	Rs. 5000/-	Rs. 2000/- per pole
			(Above subsidy is limited to 8-poles)		
95-96	Rs. 10000/-	Rs. 7000/-	(i) First	Rs. 6000/-	Rs. 1000/-

1	2	3	4		5
1995-96	Rs. 10000/- per pole	Rs. 7000/- per pole	(i) First 3-poles	Rs. 6000/-	Rs. 1000/- per pole
			(ii) Next 2-poles	Rs. 5500/-	Rs. 1500/- per pole
			(iii) Next 3-poles	Rs. 5000/-	Rs. 2000/- per pole
			(Above subsidy is limited to 8-poles)		
1996-97	Rs. 12000/- per pole	Rs. 9000/- per pole	(i) First 3-poles	Rs. 8000/-	Rs. 1000/- per pole
			(ii) Next 2-poles	Rs. 7500/-	Rs. 1500/- per pole
			(iii) Next 3-poles	Rs. 7000/-	Rs. 2000/- per pole
			(Above subsidy is limited to 8-poles)		
1997-98	Rs. 12000/- per pole	Rs. 10000/- per pole	(i) First 3-poles	Rs. 8500/-	Rs. 1500/- Per pole
			(ii) Next 2-poles	Rs. 7750/-	Rs.2250/- per pole
			(iii)Next 3-poles	Rs. 7000/-	Rs. 3000/- per pole
			(Above subsidy is limited to 8-poles)		
1999-2000	Rs. 11000/- per pole (90 mt Span)	Rs. 11000/- per pole	Upto 8 pole @ 1 pole per HP	Rs. 8000/-	Rs. 3000/- per pole
2001-2002	Rs. 11000/- per pole (90 mt Span)	Rs. 11000/- per pole	Upto 8 pole @ 1 pole per HP	Rs. 7500/-	Rs. 3500/- per pole

*Since 1999-2000 in addition to pole charges,transformation charges @Rs. 750/- per HP is being also charged from the prospective Agriculture consumers.

परिशिष्ट "ब"

VARIOUS CONCESSIONS & FACILITIES BEING PROVIDED BY THE DISCOMS TO THE CONSUMERS DURING 1989 VIZ A VIZ PRESENT STATUS

	During 1989	Present Status
1.	Rebate in tariff to large industrial consumers ranging from 10% to 15% shall be allowed for a period of five years.	Available upto March, 1990.
2.	No minimum charges shall be charged from the Small & Medium Industrial consumers upto a period of first six months from the date of release of permanent connection. They are required to pay only on the basis of actual consumption.	No minimum charges are to be recovered from new Small & Medium industrial consumers during first year of release of connection and minimum charges upto 75% are recovered during 2nd year.
3.	In case of Medium & Large Industrial Consumers, the cost of service line is recovered in the form of interest free advance amount and refunded through adjustment in monthly energy bills.	Withdrawn for Medium Industry - In 1990. Large Industry - In Feb., 2000
4.	From Industrial units declared sick by RIICO or RFC or BIFR, on revival no minimum charges shall be recovered for disconnected period, irrespective of any agreemental period. The consumer would be required to pay the dues as on date of disconnection plus simple interest @15% per annum instead of Late Payment Surcharge @24% per annum.	No minimum charges, now minimum billing amount shall be recovered for disconnected period. On reconnection or desiring final settlement, outstanding dues on the date of disconnection, plus 18% interest only is recovered.

जिला अलवर के पर्यटन क्षेत्रों का विकास

12. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान या भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ?

(2) उक्त जिले में कितने तथा कौन-कौन से स्थान मंदिर, पुराने किले, पुराने महल, धार्मिक स्थान झरने या पुराने स्थान पर्यटन की दृष्टि से सरकार ने चिन्हित किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) सरकार ने उक्त जिले को पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिये अब तक क्या प्रयास किये हैं तथा कितनी राशि उनके लिए आबंटित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सामान्यतः विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थलों को विकसित करने एवं आधारभूत सुविधाएं प्रदान कराने का प्रयास किया जाता है। अलवर जिले में स्थित पुराने किलों एवं ऐतिहासिक भवनों (नजूल सम्पत्तियों) को सर्वे कर इनमें निम्नांकित 4 किलों/भवनों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया है :—

1. तिजारा किला
2. बंगला केसरपुर
3. किला बर्डोद
4. किला सरहेटा

(3) राज्य योजनान्तर्गत अलवर जिले में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण राज्य योजना मद में 10.00 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में किये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 1991 से 2001 तक (10 वर्ष) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत किये गये विकास कार्यों का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में) दिनांक 31.3.2001 तक व्यय

योजना का विवरण						वित्तीय सहायता का विवरण									कार्य की प्रगति		
क्रम	योजना नाम एवं स्थान	जिला	वर्ष	कुल	कार्यकारी	केन्द्रीय हिस्सा राशि					राज्य हिस्सा राशि		कुल व्यय				
संख्या	स्थान			लागत	एजेंसी	स्वीकृत राशि	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	निर्मुक्त राशि	हस्तान्तरित राशि	शेष राशि	राशि का प्रावधान	निर्मुक्त राशि	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	यू.सी./ सी.सी. प्राप्ति	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	तालवृक्ष का विकास	अलवर	1986-87	12.99	सा.नि.वि.	5.93	5 पी एन ई (8) 86 28.10.1986	4.00	4.00	1.93	5.50	—	7.78	—	यू.सी./ सी.सी.	कार्य पूर्ण	
2.	सिलीसेड झील के लिए नावों की खरीद	अलवर	1988-89	3.15	रा.प्र.वि.नि.	3.15	5 पी एन ई (5) 87 6.1.1989	2.00	2.00	1.15	—	—	3.28	—	यू.सी./ सी.सी.	कार्य पूर्ण	
3.	ट्यूरिस्ट काम्पलैक्स, बहरोड़	अलवर	1988-89	20.00	रा.प्र.वि.नि	17.60	5 पीएनई(49) 88 10.11.1988	17.60	17.60	—	2.40	—	13.50	—	यू.सी./ सी.सी.	कार्य पूर्ण	
4.	पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	अलवर	1990-91	18.22	रा.प्र.वि.नि	14.61	5 पी एन ई (78) 90 22.3.1991	14.61	14.61	—	3.61	—	18.22	—	यू.सी./ सी.सी	कार्य पूर्ण	
5.	फास्ट फूड सेंटर, बहरोड़ का वातानुकूलीकरण	अलवर	1991-92	9.00	रा.प्र.वि.नि.	6.00	7 डी पी (6) 91 (25) 18.7.1991	6.00	—	—	—	—	6.00	—	यू.सी./ सी.सी.	कार्य पूर्ण	
6.	पर्यटक विश्रामगृह, सरिस्का (फेस 11)	अलवर	1993-94	15.32	रा.प्र.वि.नि	12.54	5 पी एन ई (61) 93 11.1.1994	6.00	—	6.54	2.78	—	13.17	—	यू.सी./ सी.सी.	कार्य पूर्ण	
7.	होटल बहरोड़ का अनग्रेडेशन	अलवर	1998-99	31.95	रा.प्र.वि.नि.	13.55	5 पी एन ई (35) 98 4.3.1994	6.00	—	7.55	18.40	—	7.42	—	—	कार्य प्रगति पर	
8.	होटल लेक पैलेस, सिलीसेड का अपग्रेडेशन	अलवर	1998-99	36.68	रा.प्र.वि.नि.	17.65	5 पी एन ई (33) 98 4.3.1999	6.00	—	11.65	19.02	—	0.26	—	—	कार्य प्रगति पर	
9.	पर्यटक विश्रामगृह, सरिस्का का अपग्रेडेशन	अलवर	1998-99	27.93	रा.प्र.वि.नि.	18.00	5 पी एन ई (29) 98 24.3.1999	9.00	—	9.00	9.93	—	1.75	—	—	कार्य प्रगति पर	
10.	मूसी रानी की छतरी/सागर का संरक्षण	अलवर	1999-2000	20.00	पुरातत्व एवं संग्रहालय	13.33	5 पीएनई (114) 99 3.3.2000	2.70	2.70	10.63	6.67	—	शून्य	—	—	कार्य प्रगति पर	
11.	फतेह गुम्बज का पुर्नरुद्धार	अलवर	2000-2001	12.00	पुरातत्व एवं संग्रहालय	8.00	5 पीएनई (105) 99 17.5.2000	2.40	2.40	5.60	4.00	—	शून्य	—	—	कार्य प्रगति पर	
	योग—अलवर			**152.88**		**137.36**		**85.31**	**53.31**	**65.05**	**84.31**	**13.00**	**85.38**				

जिला कोटा, भीलवाड़ा व अजमेर में विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान राशि का भुगतान

13. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा, भीलवाड़ा व अजमेर में विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु सहायतार्थ कितने आवेदनों पर स्वीकृति जारी नहीं की गई तथा उक्त आवेदन कब-कब प्राप्त हुए थे? उक्त स्वीकृति जारी नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? स्वीकृति के बाद कितने आवेदकों को कब-कब भुगतान कर दिया गया तथा कितने आवेदक भुगतान की प्रतीक्षा में हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा में विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु सहायतार्थ प्राप्त आवेदन पत्र की स्वीकृति जारी किया जाना बकाया नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में भी कोई स्वीकृति जारी किया जाना शेष नहीं है।

जिला अजमेर में एक आवेदन पत्र पर स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उक्त आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2002 को प्राप्त हुआ था। स्वीकृति जारी नहीं करने का कारण विवाह करने वाली बालिका नाबालिग थी।

स्वीकृति पश्चात् 8 का भुगतान किया जाना शेष है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त के बिल कोषागार से पास होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

सूची

आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की विधवा महिला जिसके कोई वयस्क बताने वाला नहीं हो तो पुत्री के विवाह हेतु सहायता

क्र.सं.	नाम विधवा महिला मय पूर्ण पता	जाति	विवाह योग्य पुत्री का नाम	आयु जन्म तिथि	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती चम्पाबाई पत्नी नेपलास सुखशांति निकेतन स्कूल के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा		अनीता वर्मा	7.11.1980	5000/-
2.	श्रीमती भुलीबाई पत्नी बिरधीलाल रंगवासी कच्ची बस्ती कोटा		संगीता	9.11.1983	5000/-
3.	श्रीमती रक्षीदावानो पत्नी जनीत शहाद बड़ीकाता मस्जिद के पासबाडपुरा कोटा		अंकुनआरा	10.2.1901	5000/-
4.	श्रीमती रशीदाबानो पत्नी पनीत अहमद बहीकइदा मस्जिद के पास शाहपुरा कोटा		नाजिदाबेगम	06.3.1978	5000/-
5.	श्रीमती यशोदा पत्नी रामनाथ प्रजापति बजरंग भवन नयापुरा चौराल छोटा		विनीता	22.11.1983	5000/-
6.	श्रीमती कांतिसाई पत्नी सटूरपास भाटावाड़ा, रागपुरा कोटा		लक्ष्मी	02.8.1901	5000/-
7.	श्रीमती शांतिबाई पत्नी लटूरसास भाटावाड़ा, रागपुरा कोटा		रामभरोसी	04.8.1977	3000/-
8.	श्रीमती मीराबाई पत्नी बहादुर सिंह सेंट्रल बैंक के सामने, ढुन्हाड़ी कोटा,		ममता	03.7.1978	5000/-
	कुल योग		—	—	**40000/-**

(अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र)

नोट : उक्त प्रार्थियों के पत्र कोषालय में भिजवा रखे हैं। इन्हें पारित होते ही भुगतान किया दिया जायेगा।

ह०/-
उप निदेशक
समाज कल्याण विभाग
कोटा

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के चिकित्सालयों में रिक्त पद

14. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितने चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के किस-किस श्रेणी के पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों की रिक्त अवधि सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम व बी.एच.एस. (मेल) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित किये जाने, चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, नर्स श्रेणी द्वितीय, सहायता रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों की रिक्ति अवधि सहित विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	2	3	4	5
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण	1. चिकित्सा अधिकारी	2	नवम्बर, 2001 नवम्बर, 2001
		2. नर्स श्रेणी प्रथम	3	मई, 1994 मार्च, 2000 दिसम्बर, 2000
		3. नर्स श्रेणी द्वितीय	3	जनवरी, 2001 जनवरी, 2001 मार्च, 1999
		4. सहायक रेडियोग्राफर	1	फरवरी, 2001

1	2	3	4	5
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमाज	1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	जुलाई, 2001
		2. नर्स श्रेणी प्रथम	1	मार्च, 1999
		3. बी.एच.एस. (मेल)	1	सितम्बर, 1999
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसुन्दा।	1. महिमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	नवम्बर, 2000
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़की	1. नर्स श्रेणी द्वितीय	1	अगस्त, 2000

अजमेर जिले में भू-संरक्षण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

15. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में भू-संरक्षण/वेस्टलेण्ड डवलपमेंट योजनाओं के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्ष में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी लागत का कौन-कौन सा कार्य किया गया?

(2) क्या उक्त कार्य की स्वीकृति के पूर्व ग्राम स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर यूजर्स कमेटियों का गठन किया गया? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में किस माध्यम से?

(3) क्या उक्त कमेटियों का गठन नियमानुसार किया गया? यदि हां, तो कब?

(4) क्या उक्त कार्य का निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा किया गया? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया?

(5) क्या कहीं गडबड़ियां पाई गई? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी, हां। अजमेर जिले में इस विभाग द्वारा भू-संरक्षण योजना (राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना) अन्तर्गत 8 एवं वेस्टलेण्ड डवलपमेंट योजना अन्तर्गत 2, कुल 10 कार्य गत 5 वर्ष में करवाये जा रहे हैं जिस पर कुल रुपये 943 लाख व्यय हुये हैं। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) समस्त यूजर्स कमेटियों का गठन कार्य स्वीकृति पश्चात् ही किया गया है।

(3) जी, हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां। उक्त जलग्रहण विकास कार्यों का निरीक्षण सम्बन्धित सहायक अभियंता, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक निरीक्षण दल एवं अन्य के द्वारा किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(कृषि मंत्री)

(5) निदेशालय द्वारा भेजे गये निरीक्षण दल द्वारा जलग्रहण विकास कार्य घातौल में संकन पोण्ड की मृदा कार्य की गणना की त्रुटि के कारण रुपये 68011.26 का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर की अपूर्ण सड़कें

16. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर में नाबार्ड योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों पर निर्माण हुआ?

(2) क्या सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों का कार्य अब पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला डूंगरपुर में नाबार्ड योजना के तहत निर्मित सड़कों का विवरण प्रपत्र "अ" एवं "ब" में संलग्न है।

(2) उपरोक्त सड़कें स्वीकृति के अनुसार (प्रपत्र "ब" आर. आई.डी.एफ.-6) ग्रेवल स्तर तक पूर्ण है।

प्रपत्र "अ"

डूंगरपुर जिले में नाबार्ड योजना के तहत स्वीकृत एवं पूर्ण सड़कों की सूची

सड़क का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	खर्च राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति (कि.मी.)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
नाबार्ड II 1. कुआं से धनगांव सड़क जोन नं. 129/5054/एम.एन.पी./नाबार्ड/पी. 1996-97	30.47	4.00 कि.मी.	20.66	4 कि.मी. बीटी	20.3.1998 को कार्य पूर्ण
नाबार्ड II 2. पहुंच सड़क नागरिया पंचोला जोन नम्बर 130/5054/एम.एन.पी./नाबार्ड/पी. 1996-97	34.00	5.00 कि.मी.	27.89	5 कि.मी. बीटी	31.8.1999 को कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
नाबार्ड III 3. पहूंच सड़क डोली जोब न. 255/5044 एम.एन.पी./नाबार्ड/पी./98-99	14.22	2.00 कि.मी.	9.60	2 कि.मी. बीटी	30.4.1999 को कार्य पूर्ण
नाबार्ड III 4. पहूंच सड़क जोगीवाड़ा जोब नम्बर 256/5054 एम.एन.पी./नाबार्ड/पी./98-99	19.18	2.5 कि.मी.	14.78	2.5 कि.मी. बीटी	13.1.1999 को कार्य पूर्ण
नाबार्ड III 5 पहूंच सड़क खूंटवाड़ा जोब न. 257/5054 एम.एन.पी./नाबार्ड/पी./98-99	22.10	3.00 कि.मी.	12.73	3 कि.मी. बीटी	31.3.2000 को कार्य पूर्ण
नाबार्ड III 6 पहूंच सड़क वाड़ा गोडिया जोब न. 258/5054 एम.एन.पी./नाबार्ड/पी./98-99	12.09	1.5 कि.मी.	10.30	1.5 कि.मी. बीटी	7.3.2001 को कार्य पूर्ण
नाबार्ड III 7 पहूंच विलौरा जोब न. 259/5054 एम.एन.पी./नाबार्ड/पी./98-99	32.85	4.5 किमी	23.44	4.5 किमी बीटी	13.1.1999 को कार्य पूर्ण
योग	**164.91**	**22.5 कि.मी.**	**119.40 लाख**	**22.5 कि.मी.**	

प्रपत्र "ब"

आर.आई.डी.एफ.-6 के अन्तर्गत 2057 में स्वीकृत कार्यों के नाम

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई किमी	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि 15.7.2001 तक	भौतिक प्रगति			योग किमी
					विशेष विवरण	मेटल कि.मी.	ग्रेवल कि.मी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सड़क कार्य अन्नपुरा से चारवाड़ा	4.00 किमी.	19.68	15.56	3.50	0.50	4.00	
2.	सतीरामपुर से टाड़ी ओबरी	5.25 किमी.	8.75	2.95	3.75	1.5	5.25	
3.	A/R झापा सड़क	2.00	3.30	1.77	1.00	1.00	2.00	
4.	A/R राजगढ़ी	2.00	3.50	2.40	1.00	1.00	2.00	
5.	A/R वागदरी	2.50	1.75	0.89	2.00	0.50	2.50	
6.	A/R उन्दड़ा	4.00	7.00	1.75	2.00	2.00	4.00	
7.	सुसता से डोलकुन्जेला	5.00	8.75	2.93	2.4	2.60	5.00	
8.	नयागांव से सुराता	2.50	5.25	2.34	1.1	1.40	2.50	
9.	A/R भण्डारा	2.50	5.25	3.0	1.00	1.50	2.50	
10.	A/R गेलन	2.50	3.00	1.80	1.50	1.00	2.50	
11.	A/R जोरावरपुरा	2.00	3.00	1.65	1.00	1.00	2.00	
12.	लिखी सारोली हड़मतिया	2.50	5.25	4.51	—	2.50	2.50	
13.	A/R गड़ा व्राटेश्वर	2.50	2.13	1.70	1.75	0.75	2.50	
14.	A/R बारछावाड़ा	2.50	1.75	1.44	—	2.50	2.50	
15.	A/R उदड़ीया	2.50	5.25	3.98	—	2.50	2.50	
16.	गैंजी घाटा से पोखरण	2.50	1.75	1.26	1.50	1.00	2.50	
17.	सांसरपुर से माल चौकी	7.00	7.00	1.58	5.00	2.00	7.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	उसमानीया से साटीयाफला	4.00	4.75	3.11	1.5	2.5		4.00
19.	बोडीगामा से लपानीया	2.50	2.25	2.02	—	2.50		2.50
20.	नवाटापरा से भाटोली	3.00	3.25	1.82	2.00	1.00		3.00
21.	कतीसौर से रायणा	2.00	3.25	2.53	1.00	1.00		2.00
22.	बड़लीया से रायणा	2.00	1.75	1.31	1.5	0.50		2.00
23.	A/R करवाछपनीया	2.00	4.25	2.94	0.5	1.50		2.00
24.	लिलवासा जसपुर चूण्ड़ियावाड़ा	3.00	3.50	2.76	2.00	1.00		3.00
25.	A/R गड़ा कूमहारीया	2.00	3.50	3.07	1.00	1.00		2.00
26.	A/R करवाखास	2.00	1.75	0.22	1.50	0.50		2.00
27.	A/R साखरखाइया	2.00	3.50	0.24	0.75	1.25		2.00
28.	A/R पटली	3.00	3.50	2.48	2.00	1.00		3.00
29.	सागवाड़ा आस सुखापादर	2.00	2.50	1.77	1.5	0.50		2.00
30.	A/R बचीया छोटा	2.00	4.38	1.42	1.00	1.00		2.00
31.	A/R घोड़ापला	2.00	1.50	1.42	1.00	1.00		2.00
32.	A/R वनोरी	2.00	3.15	2.21	1.10	0.90		2.00
33.	A/R माड़व वेण	4.00	3.50	1.86	3.00	1.00		4.00
34.	A/R डोली	2.00	4.38	2.38	1.50	0.50		2.00
35.	सेमलीया रातड़ीया	4.50	1.75	1.75	3.50	1.00		4.50
36.	A/R लिम्बोड़ छोटी	2.00	2.63	1.66	1.25	0.75		2.00
37.	A/R बाबा की बार - पंचकूण्डी	3.75	1.50	1.36	2.25	1.00		3.75
38.	A/R बामनीया वाड़ा	2.00	2.50	1.88	1.00	1.00		2.00
39.	A/R केसरपुरा	3.00	6.13	4.99	—	3.00		3.00

प्रश्न संख्या-17

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

18. श्री अशोक (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डार के मुख्यालय खण्डार में 32 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन एवं तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय टोड़रा एवं फलौदी में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों पर सही विद्युत् आपूर्ति हेतु उक्त ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित नहीं है। बिजली की खपत व तकनीकी आधार को ध्यान में रखते हुए खण्डार मुख्यालय पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन पूर्व में ही स्थापित है। ग्राम पंचायत टोड़रा एवं फलौदी में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित नहीं है तथा वर्तमान में इन स्थानों पर सब-स्टेशन बनाने की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता नहीं है।

(2) विद्युत भार में समुचित वृद्धि होने पर खण्डार में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन व टोडरा, फलौदी में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने के प्रस्तावों की समीक्षा की जावेगी तथा तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से साध्य होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

19. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में महाराणा प्रताप से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु मेवाड़ काम्पलेक्स योजना प्रारूप कब तैयार किया गया और उक्त योजना के तहत तीन वर्षों में कितनी राशि किन-किन स्थलों के विकास हेतु कब-कब प्राप्त हुई ? उक्त में से कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई ? विवरण मय कार्य प्रगति के सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998 में राज्य में गठित सरकार ने मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत कितनी राशि किस-किस स्थलों के विकास हेतु आबंटित की थी ? आबंटित राशि से किस-किस अवधि में क्या-क्या विकास कार्य पूर्ण कराये गये ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1977-78 में उक्त योजना का प्रारम्भ हुआ ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से 1990 के मध्य उक्त योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) वर्ष 1990 से 1998 के मध्य उक्त योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? उक्त अवधि में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण वर्षवार सदन की मेज़ पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार मानसिक रूप से महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थानों का विकास धन उपलब्ध होते हुये भी नहीं करना चाहती है? यदि नहीं, तो प्राप्त राशि का उपयोग नहीं हो पाया?

उत्तर

(1) मेवाड़ काम्पलेक्स योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1977-78 में सर्वेक्षण कराया गया था। इस योजना को विशेषज्ञों से सर्वे करवाकर वर्ष 1993-94 में अन्तिम रूप दिया गया था। इस योजना के तहत गत तीन वर्षों में प्राप्त राशि तथा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वर्ष 1998 में मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत आबंटित राशि व व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(3) मेवाड़ काम्पलेक्स योजना का सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ होकर वर्ष 1993-94 में अन्तिम रूप दिया गया था। वर्ष 1980-90 के मध्य योजना के तहत व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(4) वर्ष 1990-98 के मध्य योजना के तहत करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(5) जी, नहीं। मेवाड़ काम्पलेक्स योजना एकीकृत विकास हेतु समग्र योजना बनाई गई है जिसके अनुरूप ही कार्य करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-क

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत वर्ष 1998-99 से करवाये गये कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत		राज्य योजनान्तर्गत		विकास कार्यों का विवरण
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
1.	1998-99	170.00	—	45.00	45.00	चेतक मगरी, हल्दीघाटी में ओपन एयर थियेटर, सड़क निर्माण एवं लैण्ड स्केपिंग कार्य
2.	1999-2000	130.00	—	3.77	3.77	चावण्ड समाधि स्थल पर प्लेटफ़ार्म विस्तार कार्य
3.	2000-2001	—	—	24.77	24.77	चेतक मगरी, हल्दीघाटी पर सड़क, पानी का टेंक निर्माण तथा लैण्ड स्केपिंग कार्य
4.	2001-2002	—	20.00 कार्यपूर्ण एवं 72.00 के कार्य प्रगति पर है। कुल व्यय राशि 92.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष में सम्भावित है।	—	—	चेतक मगरी, हल्दीघाटी पर सड़क, पानी का टेंक निर्माण तथा लैण्ड स्केपिंग कार्य

परिशिष्ट-ख

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत वर्ष 1980-90 तक करवाये गये कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	स्थल का नाम	राशि
1.	1983-84	हल्दीघाटी	1.00
2.	1989-90	रक्त तलाई	4.65
3.	1989-90	चेतक समाधी, हल्दीघाटी	2.75
4.	1989.90	चावण्ड में विकास कार्य	7.11
5.	1989-90	गोगुन्दा में विकास कार्य	5.68

परिशिष्ट-ग

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत वर्ष 1990-98 तक करवाये गये पर्यटन विकास से सम्बन्धित कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	कार्य स्थल का नाम	राशि
1.	1989-90	गोगुन्दा का विकास कार्य	5.38
2.	1991-92	हल्दीघाटी माडल तैयार किया गया	0.11
3.	1992-93	गोगुन्दा में विकास कार्य	3.00
4.	1993-94	चावण्ड समाधी स्थल पर पुल निर्माण एवं हल्दीघाटी नेक का कार्य	30.00
5.	1997-98	चेतक मगरी, हल्दीघाटी के विकास कार्य प्रारम्भ किये गये	45.00
		कुल योग	83.49

जिला डूंगरपुर के छात्रावासों में देय सुविधाएं

20. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर के छात्रावासों में राशन का सामान कहां से आता है? क्या सामान ख़रीद के लिये कोई समिति है? यदि हां, तो कौनसी?

(2) क्या उक्त सामान डूंगरपुर से ख़रीदा जाता है?

(3) उक्त छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर के छात्रावासों का राशन राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, डूंगरपुर द्वारा सप्लाई किया जाता है, राजस संघ द्वारा समय पर प्राप्त नहीं होने पर राशन स्थानीय बाजार से भी क्रय किया जाता है। छात्रावासों में छात्रावास प्रवेश एवं प्रबन्ध निर्देशन समिति गठित है जिसकी बैठक आयोजित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(2) उक्त राशन का सामान राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ डूंगरपुर एवं स्थानीय बाजार से क्रय किया जाता है।

(3) उक्त छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें बिस्तर, बर्तन, बिजली, पानी आदि की सुविधा शामिल है तथा तकिये, चद्दर, कम्बल, पलंग, थाली, कटोरी, गद्दा, खेस आदि छात्रों को उपलब्ध कराये जाते है। छात्रों को दोनों समय भोजन, प्रातः नाश्ता, दूध एवं माह में एक बार विशेष भोजन दिया जाता है। वर्ष में एक बार पोशाक, जूते, मौजे, तौलिये, स्वेटर आदि दिया जाता है।

राजकीय कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना में रिक्त पद

21. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय कपिल चिकित्सालय, नीमकाथाना में कितने बैंड स्वीकृत हैं? क्या अधिक बैंड स्वीकृत करने हैं? क्या अधिक बैंड स्वीकृत करने की राज्य सरकार की कोई योजना है?

(2) उक्त चिकित्सालय में आउटडोर के मरीजों की संख्या गत वर्षों में कितनी रही है? सूची माहवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और कितने कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चिकित्सालय में क्या कोई महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक महिला चिकित्सक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीमकाथाना में (50 शैय्याएं एवं प्रसवोत्तर केन्द्र में 6 शैय्याएं) कुल 56 शैय्याएं स्वीकृत हैं। जी, नहीं।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र, नीमकाथाना में गत तीन वर्षों में आउटडोर में आए मरीजों की माहवार संख्या का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र नीमकाथाना में विभिन्न श्रेणी के कुल आठ चिकित्सक के पद स्वीकृत है और सात चिकित्सक कार्यरत है विवरण निम्न प्रकार से है :—

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	5
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—
चिकित्सा अधिकारी	1	1
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	1

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीमकाथाना में महिला चिकित्सक का पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। प्रसवोत्तर केन्द्र, नीम का थाना में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में डा. एल.एन. जाटोलिया, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) कार्यरत है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र नीमकाथाना में गत तीन वर्षों में आउटडोर में आए मरीजों की माहवार संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है

	माह का नाम	वर्ष 1999	वर्ष 2000	वर्ष 2001
1.	जनवरी	4635	4687	6719
2.	फरवरी	8424	3499	7953
3.	मार्च	8248	7956	8790
4.	अप्रैल	8221	7496	7645
5.	मई	8360	9602	9666
6.	जून	8169	8880	10876
7.	जुलाई	8777	8921	12110
8.	अगस्त	9823	10081	13030
9.	सितम्बर	8782	10902	12990
10.	अक्टूबर	8359	7981	9539
11.	नवम्बर	7019	6886	8961
12.	दिसम्बर	6683	7303	9002
	योग	**95497**	**94194**	**117281**

ग्राम डूण्डलोद (झुंझुनूं) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

22. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में खसरा नं. 699 सार्वजनिक निर्माण विभाग का है? यदि हां, तो उक्त खसरा कुल कितने बीघा का है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. 699 की भूमि पर किसी ने पक्की दुकानों का निर्माण करा लिया है? यदि हां, तो कब से और उक्त प्रकरण में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 130, 156, 699, 728, 776 महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग गैर मुमकिन सड़क है? यदि हां, तो क्या सड़क की भूमि पर पक्की दुकान एवं डण्डा बनाना नियमों के विरुद्ध नहीं है।

(4) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों ने उक्त सड़क की चौड़ाई कम की है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त दुकानें व्यवसाय के काम में आती है? क्या सरकार इन्हें हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। खसरा नं. 699 राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी के अनुसार 0.74 हैक्टेयर है।

(2) जी, हां। उक्त निर्माण कार्य वर्ष 1986 के लगभग हुआ था। सहायक अभियंता द्वारा अतिक्रमण बाबत् नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, हां। सड़क भूमि पर दुकान एवं डण्डा बनाना नियम विरुद्ध है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। अतिक्रमण हटाने बाबत् नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर, अतिक्रमण हटाना सम्भव होगा।

जयपुर मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में अनियमितताएं

23. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में की जा रही अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायतों पर की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में अनियमितताओं की शिकायत मार्च, 2001 में प्राप्त हुई थी। कथित अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायत के परीक्षणोपरान्त विभाग से महाविद्यालय के लेखों की विशेष जांच करवाने हेतु वित्त विभाग से अधिसूचना जारी कर महाविद्यालय के लेखों की विशेष जांच करवाने हेतु वित्त विभाग को अनुरोध किया। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर महाविद्यालय के दिनांक 1.4.1998 से 31.3.2000 तक के लेखों की विशेष अंकेक्षण जांच किये जाने, के निर्देश जारी किये। इस शिकायत में उल्लेखित कथित अनियमितताओं की वित्त विभाग द्वारा जांच दल गठित कर महाविद्यालय के वर्ष 1.4.1998 से 31.3.2000 तक के लेखों की विशेष जांच की गई है।

(2) जी, नहीं। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

जयपुर जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण कम्पनियों में घाटा

24. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-जोधपुर तथा अजमेर वितरण कम्पनियों को इनके स्थापना काल से 31 मार्च, 2001 तक तथा वर्ष 2001-2002 में कितना-कितना घाटा हुआ है अथवा अनुमानित किया जा रहा है?

(2) उक्त घाटा रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जयपुर जोधपुर तथा अजमेर विद्युत वितरण निगमों में इनके स्थापना काल (दिनांक 20.7.2000) से वर्ष 2000-01 व 2001-02 में होने वाले अनुमानित घाटे का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	अनुमानित घाटा (करोड़ रु. में)	
		वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02
1.	जयपुर	310.16	305.47
2.	अजमेर	296.62	345.89
3.	जोधपुर	237.51	393.54

(2) उक्त निगमों के घाटे का मुख्य कारण कृषि व घरेलू श्रेणी को लागत से कम दर पर विद्युत आपूर्ति, छीजत व बिजली चोरी है।

पर्यटन निगम के होटलों के कमरों का नवीनीकरण

25. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन निगम में वर्ष 2001-2002 में अपने होटलों में कमरों के नवीनीकरण का कार्य कराया? यदि हां, तो कब से कब तक तथा कितनी राशि व्ययकरने का प्रस्ताव किस-किस होटल में कितने-कितने कमरों का?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त नवीनीकरण का कार्य किस-किस होटल में कितने-कितने कमरों का कब-कब शुरू किया गया तथा कब-कब उन कमरों का ठेकेदार को तोड़ने के लिए सौंपे और वापिस तैयार करके ठेकेदार ने कब-कब निगम को सौंपे हैं ?

(3) क्या निगम के पास उक्त सारे कमरों के नवीनीकरण के लिये राशि उपलब्ध थी ? यदि हां, तो कुल लागत क्या थी और उपलब्ध राशि कितनी थी और नहीं, तो सारे कमरे एक साथ तोड़ने के लिए क्यों सौंपें गए ?

(4) उक्त कार्य में कमरों के किराये के रूप में मिलने वाली कितनी राशि का नुकसान हुआ तथा इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है ? उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

(3) जी, हां। यह सही नहीं है कि सारे कमरे एक साथ तोड़ने के लिए दिए गये। कुल कार्यों की लागत 326.25 लाख रुपये थी। भारत सरकार के हिस्से की राशि 169.20 लाख रुपये में से प्रथम किस्त की राशि 52.50 लाख रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हो गये थे, जिसमें से निगम को 33.55 लाख रुपये उपलब्ध करा दिये गये थे व राज्य सरकार की हिस्से की राशि 167.05 लाख रुपये जो राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार राजस्थान पर्यटन विकास निगम को वहन करनी थी वह उपलब्ध थी। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उक्त कार्य में कमरों के किराये के रूप में मिलने वाली राशि का कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि कार्य में कार्य की प्रगति के अनुसार ही निर्धारित समय लगा है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक		स्वीकृत राशि			कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित राशि	नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित कमरों की संख्या	नवीनीकरण कार्य के लिए लिये गये कमरों की संख्या
		भारत सरकार	राज्य सरकार	भारत सरकार का हिस्सा	पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार का हिस्सा	कुल स्वीकृत राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खादिम होटल अजमेर को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (31) 98 दि. 19.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97/ दि.11.2000	5.00	6.13	11.13	5.3.2001	4.9.2001	6 कमरे	6 कमरे
2.	मिडवे बहरोड को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (35)/98 दि. 4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	13.55	18.40	31.95	5.3.2001	4.1.2002	10 कमरे	8 कमरे
3.	मूमल होटल जैसलमेर को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (36)/98 दि4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	25.00	23.30	48.30	5.3.2001	4.3.2002	21 कमरे	17 कमरे
4.	घूमर होटल जोधपुर को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (30)/98 दि4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	25.00	24.88	49.88	5.3.2001	4.3.2002	28 कमरे	14 कमरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	कजरी होटल उदयपुर को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (34)/98 दि. 4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि. 24.11.2000	25.00	24.00	49.90	5.3.2001	4.3.2002	15 कमरे	15 कमरे
6.	टाईगर डेन होटल सरिस्का को क्रमोन्नत/विस्तार का कार्य	5 पी.एनई. (29)/98 दि24.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	18.00	9.93	27.93	5.3.2001	4.1.2002	10 कमरे	8 कमरे
7.	लेक पैलेस होटल सिलीसेढ़ को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (33)/98 दि. 4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	17.65	19.02	36.67	17.7.2001	16.6.2002	9 कमरे	3 कमरे
8.	शिखर होटल माउण्ट आबू को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (33)/98 दि4.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि24.11.2000	25.00	24.83	49.83	5.3.2001	4.3.2002	25 कमरे	25 कमरे
9.	गणगौर होटल जयपुर को क्रमोन्नत का कार्य	5 पी.एनई. (37)/98 दि22.3.1999	एफ-19(7) पर्यटन/97 दि. 24.11.2000	15.00	15.66	30.66	5.3.2001	4.2.2002	10 कमरे	10 कमरे
			कुल योग	**169.20**	**167.05**	**336.25**			**134 कमरे**	**106 कमरे**

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य शुरू करने का विवरण		कार्य पूर्ण करने का विवरण		विशेष विवरण
		कमरों की संख्या जिसका कार्य शुरू किया गया	तोड़ने के लिए ठेकेदार को सौंपे जाने की तिथि	कमरों की संख्या जिसका कार्य पूर्ण किया गया	तैयार कर ठेकेदार द्वारा सौंपे जाने की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	खादिम होटल अजमेर को क्रमोन्नत का कार्य	6	6.3.2001	6	10.10.2001	
2.	मिडवे बहरोड को क्रमोन्नत का कार्य	4 2 2	24.3.2001 6.4.2001 13.4.2001	8	6.3.2002	8 कमरे ठेकेदार द्वारा पूर्ण/फर्नीसिंग कार्य प्रगति पर
3.	मूमल होटल जैसलमेर को क्रमोन्नत का कार्य	17	3.4.2001	17	15.2.2002	
4.	घूमर होटल जोधपुर को क्रमोन्नत का कार्य	14	15.3.2001	14	28.2.2002	फर्नीसिंग कार्य प्रगति पर है।
5.	कजरी होटल उदयपुर को क्रमोन्नत का कार्य	10	31.3.2001	5	11.5.2001	

1	2	3	4	5	6	7
6.	टाइगर डेन होटल सरिस्का को क्रमोन्नत/विस्तार का कार्य	7 1	3.4.2001 20.5.2001	10 4	10.11.2001 31.12.2001 17.11.2001 26.1.2002	
7.	लेक पैलेस होटल सिलीसेढ़ को क्रमोन्नत का कार्य	2 1	24.7.2001 11.9.2001	1 3 2 1	24.12.2001	1 कमरा 15.3.2002 तक पूर्ण कर दिया जायेगा
8.	शिखर होटल माउण्ट आबू को क्रमोन्नत का कार्य	25	18.3.2001	10 10 5	10.11.2001 5.3.2002	5 कमरे 31.3.2002 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे।
9.	गणगौर होटल, जयपुर को क्रमोन्नत का कार्य	10	5.3.2001	10	31.8.2001	

परिशिष्ट "स"

क्र.सं.	कार्य का नाम	भारत सरकार का हिस्सा (राशि लाखों में)	भारत सरकार से प्राप्त राशि (राशि लाखों में)	निगम के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित राशि (राशि लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	खादिम होटल अजमेर को क्रमोन्नत का कार्य	5.00	2.00	—	9.84
2.	मिडवे बहरोड़ को क्रमोन्नत का कार्य	13.55	6.00	1.00	10.39
3.	मूमल होटल जैसलमेर को क्रमोन्नत का कार्य	25.00	7.50	7.50	24.61
4.	घूमर होटल जोधपुर को क्रमोन्नत का कार्य	25.00	7.50	7.50	18.90
5.	कजरी होटल जोधपुर को क्रमोन्नत का कार्य	25.00	7.50	2.50	34.60
6.	टाइगर डेन होटल, सरिस्का को क्रमोन्नत का कार्य	18.00	9.00	9.00	15.61
7.	लेक पैलेस होटल सिलीसेढ़ को क्रमोन्नत का कार्य	17.65	6.00	3.30	8.81
8.	शिखर होटल माउण्ट आबू को क्रमोन्नत का कार्य	25.00	2.50	2.50	38.08
9.	गणगौर होटल जयपुर को क्रमोन्नत का कार्य	15.00	4.50	2.25	25.26
	कुल योग	**169.20**	**52.50**	**35.55**	**186.10**

कस्बा सांगोद (कोटा) में महिला चिकित्सक द्वारा अव्यवस्था

26. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा के कस्बा सांगोद में महिला चिकित्सा हेतु क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(2) क्या उक्त कस्बे में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गई है ? क्या उक्त महिला चिकित्सक अपना कार्य पूर्ण रूप से निभा रही है ? यदि नहीं, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा सांगोद जिला कोटा में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) एवं मातृ शिशु कल्याण सेवाएं सांगोद में चिकित्सा अधिकारी (महिला) का एक-एक पद महिला चिकित्सा हेतु स्वीकृत है।

(2) जी, हां। कस्बा सांगोद में दि. 24.9.2001 तक सांगोद में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. (श्रीमती) सुनीता सारथलिया पदस्थापित रही थी। उक्त महिला चिकित्सक के नियुक्ति के समय बार-बार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण इसका स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के अधीन करते हुए सी.सी.ए. नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी गई।

विधायक की अभिशंसा पर सड़कों का डामरीकरण

27. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विधायक की अभिशंसा पर 1.50 करोड़ रुपये की राशि हर विधान सभा क्षेत्र का डामर सड़कों के नवीनीकरण करने हेतु वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के लिए स्वीकृतियां जारी की हैं ?

(2) क्या उक्त में प्रस्तावित सड़कों के बीच आने वाली सी.डी. वर्क के कार्य भी सम्मिलित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है व वर्ष 2002-2003 हेतु विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। धनराशि का अभाव होने के कारण सी.डी. वर्क फिलहाल सम्मिलित नहीं किये गये।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का प्रपत्र)

प्रपत्र

क्र.सं.	वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि (लाखों में)
1.	1988-89	2105.68
2.	1989-90	1332.16
3.	1990-91	1722.60
4.	1991-92	1960.17
5.	1992-93	2037.45
6.	1993-94	2273.57
7.	1994-95	2479.01
8.	1995-96	3048.52
9.	1996-97	3206.38
10.	1997-98	3562.06
11.	1998-99	4208.15
12.	1999-2000	4415.96
13.	2000-2001	2844.45
14.	2001-2002	3304.56

नोट :— वर्ष 1999-2000 में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अस्तित्व में आया, उसको दी गई राशि इसमें सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद कब से स्वीकृत है		रिक्त पदों की संख्या	पद कब से रिक्त है	पद रिक्त होने का कारण	विशेष विवरण यदि कोई हो
			पद सं.	सृजन दि.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वरिष्ठ	30	1	4.8.1990	8	31.7.1996	सेवानिवृत्ति	
	लैब		1	24.4.1990		30.11.1996	सेवानिवृत्ति	
	टैक्नीशियन		28 पद			31.3.1999	सेवानिवृति	
			पूर्व में			31.3.1999	सेवानिवृति	
			स्वीकृत			31.12.1999	सेवानिवृति	
			है।			30.6.2000	सेवानिवृति	
						31.5.2001	सेवानिवृति	
						30.6.2001	सेवानिवृति	
2.	क्यूरेटर	9	4	21.5.1991	5	31.3.1998	सेवानिवृति	
			5 पद			31.3.1999	सेवानिवृति	
			पूर्व में			31.10.1999	सेवानिवृति	
			स्वीकृत			30.4.2000	सेवानिवृति	
			हैं।			31.12.2000	सेवानिवृति	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	तकनीकी सहायक	12	2 10 पद पूर्व में स्वीकृत है।	4.8.1990	11	31.5.1998	सेवानिवृति	
						30.11.1998	सेवानिवृति	
						जनवरी, 1999	मृत्यु	
						31.3.1999	सेवानिवृति	
						31.3.1999	सेवानिवृति	
						31.3.1999	सेवानिवृति	
						30.9.1999	सेवानिवृति	
						31.10.1999	सेवानिवृति	
						30.6.2000	सेवानिवृति	
						31.12.2000	सेवानिवृति	
						30.9.2001	सेवानिवृति	
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	पद पूर्व में स्वीकृत है।	2	30.6.1999	सेवानिवृति	
						30.9.1999	सेवानिवृति	

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-9 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.18(2)एमई/ग्रुप-1/92/पार्ट

जयपुर, दिनांक 26.2.2000

आदेश

महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा स्थापित किये जाने वाले दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर से आगामी 5 वर्षों के लिए सम्बद्धता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

1. यह सम्बद्धता प्रस्तावित महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर को भारत सरकार तथा दन्त चिकित्सा परिषद् से महाविद्यालय स्थापना सम्बन्धी अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावी होगा।
2. यह सम्बद्धता प्रभावी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य होगी।
3. महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष प्रतिछात्र 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) देय होंगे।
4. संस्था चिकित्सालय में उपलब्ध केवल मौखिक संसाधनों का ही उपयोग कर सकेगी।
5. संस्था अपने छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु स्वयं के अध्यापक नियुक्त करेगी।
6. संस्था के छात्रों द्वारा चिकित्सालय सेवाओं में बाधा पहुंचाने अथवा चिकित्सालय को किसी भी प्रकार की हानि होने की स्थिति में संस्था, किंये गये नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगी अन्यथा सम्बद्धता समाप्त की जा सकेगी।

ह०/-
शासन उप सचिव

परिशिष्ट "ब"

Policy For Medical Colleges/ Dental Colleges In Private Sector

1. Health facility in Rajasthan

1.1 Rajasthan, now has a vast network of medical and health institutions both in the rural and the urban areas of the state. There are 219 hospitals, 19 of which have a bed strength over 300 each, 29 hospitals have bed strength between 150-299 and 72 hospitals range from 50 to 149 beds while the remaining 99 hospitals have a bed strength of less than 50 beds. Each district and Sub district hospital provides a wide range of curative care and diagnostic services. The speciality services, such as cardiology, neurology, nephrology, gastroentrology, etc. have been provided in the six Medical College hospitals. Medical services to the scattered population are provided through mobile surgical units.

2. Medical Education and training

2.1 Human resource development is key to the working of the health system. There are six medical college and one Dental College in the State with an annual intake capacity of 640 students. About 338 doctors undergo post-graduate training and 72 doctors post-graduate diploma in various specialities. There is an Ayurvedic College which trains 60 vaidyas evrey year. Besides there is National College of Ayurveda at Jaipur in the Central Sector.

2.2. The growth of medical establishment in the State is quite impressive. In 1951 in public sector the State had only 725 medical doctors. By 1999-2000, there number has increased to over 6184. As a result, the doctor : population ratio has significantly improved from 1 doctor per 22069 population to 1 doctor per 7116 population during this period.

2.3 Various Committees have recommended that there should be one medical college for a population of 5 million, it means that the State by 2001 AD would need minimum 11 medical colleges. Doctor population ratio of 1:3500 is recommended and to achieve this level by 2001 AD, the State would require about 25000 doctors. This can be achieved only by establihing new Medical/Dental Colleges in the private sector.

2.4 The universal primary health care continues to be highest priority of the Government as part of its commitment for "Health For All" year 2000 AD. Due to eqidemiologic transition metabolic disorders, degenerative diseases, chronic diseases such as cancer, heart diseases, etc. are energing as health problems of public health inportance it is imperative to develop a good secondary level care system and super speciality services

2.5 Repidly increasing cost of medi-care is making it difficult for the Government system to provide the needed services by itself. Rising demand for good medi-care necessitates the involvement of the private sector in health care, especially in creating necessary professionals, development of speciality services and diagnostic facilities in the State. The involvement of the private sector besides providing relief to fully stretched out public health care system would also help in improving the quality of services due to its easy access and better client orientation.

2.6 With the aforesaid objectives the Government of Rajasthan wishes to involve the private sector in augmenting the availability of doctors and medical facilities in the state and towards this purpose a policy for private sector participation in Medical and Dental education has been announced.

2.7 This policy is aimed to attract investors to set up Medical and Dental Colleges in private sector in the State.

3.0 Policy Guide lines

3.1 The Empowered Committee for establishment of Medical and Dental Colleges in private sector, in pursuance of the cabinet decision on the subject No. 67/97 dated 7.8.1997 recommended that essentiality certificate cum NOC for establishment of Medical College/Dental College in private sector in the State will be issued by the Sub Committee of the administrative departmention on the following conditions :–

1. Undertaking from the applicant organisation to-
   - (a) follow MCI/DCI directives and norms;
   - (b) follow directives/judgments of Supreme Court regarding fee and other aspects of admissions;
   - (c) establish College & Hospital in a given time frame.
   - (d) agree to selection/admission criteria as laid down by State Govt. MCI and DCI;
   - (e) have sufficient funds for development and guarantees.
2. Only eligible application will be forwarded to MCI/DCI/MOHFW
3. No individual organisation will be issued EC directly, State will directly forward suitable applications to MOHFW/MCI/DCI.
4. All relevant documents are enclosed.
5. No grant-in-aid would be available through/by State Govt.
6. Applicant organisation has sufficient land for establishment.
7. Development and expansion of college and Hospital, under its ownership.
8. The selection/admission to MBBS/BDS courses will be made from the merit list prepared by the State Govt. through Common Enterance Test for FREE as well as "Payment Seats".

Private Medical/Dental Colleges shall be permitted to admit the NRI's/foreign students up-to a maximum of 15% of the total sanctioned intake capacity. This will be out to payment seats. The management, however, will have its descretion of 15% of the total intake in their colleges and hospitals to be admitted against payment seats without any tests.

9. Subsequent deviations form norms and delays will be communicated to MOHFW.GOI to withdraw permission and / or to MCI/DCI to withhold permission/recognition.

10. Government directions issued from time to time will be followed.

3.2. The Sub Committee of the administrative department will look into the following aspects before forwarding the cases with the EC cum NOC to the Ministry of Health & Family Welfare, GOI.

1. Detailed information regarding organisation
2. Availability of land with organisation
3. Availability of hospital (Minimum 300 beds for Medical College/100 Beds for Dental College with scope for expansion).
4. Associates of organisation from field of
   (a) Medical Sciences
   (b) Administration/Management
   (c) Financial Management
5. Capital assets, recurrent income and project funding sources.
6. Proposed annual intake
7. Medical Experts on Management Committee of proposed institution.

8. Undertaking to be submitted

9. Authorisation letters, issued to bankers, for making relevant finance related enquiries.

10. Desired enclosures

4.0 Application procedure :

4.1 Applicant will submit an application in prescribed format to the Sub Committee. The application forms are available free of cost at Medical, Health & FW Department, Government of Rajasthans, Jaipur.

5. Incentives & facilities :

No land will be allotted to any private Medical/Dental College or its attached hospital.

The fiscal benefits shall be available to hospitals to attached to private Medical/Dental Colleges as per the provisions under the policy for private investment in medical Institutions, 1996.

Annexures

1. Application form
2. Mesdical College Regulations 1999
3. Dental Council of India (norms and guidelines for fees and guidelines for admission in dental colleges Regulation 1993 & 1995).

Government of Rajasthan
Department of Medical & Health
(Gr.I)

APPLICATION FORM

(Application form for grant of a No Objection-cum-Essentiality Certificate to establish a new Medical/Dental College in the State addressed to Secretary, Medical & Health)

1. Name of Applicant Society/Trust/Company (with full postal address & TEL/Fax No.)
2. Name of the applicant and his designation in Society/Trust/Company
3. Registration Number and Major Areas of Activities (enclosed copy of registration)
4. Name of Proposed Medical/Dental College and Place where proposed
5. Proposed annual intake of students
6. medical experts on the Mgmt. Board of proposed College (give details)
7. Availability of Land/Building with society (give details)
8. Objectives of Society/Trust/Company with reference to medical education (enclose certified copy of bye-laws memoranda and Articles of Association/Trust deed/ Company incorporation).
9. Whether personnel from Admn./Finance/ Medical field are on Board.
10. Financial Strength of Society Capital Assets Income.

11. Whether owns a hospital, if yes specify
    Location
    Bed compliment
    Extension plans
    (enclose certified copy of the title deed)
12. Details of project financing
    Total project cost
    Funding sources
13. Whether agrees to given undertaking to follow-
    (a) MCI/DCI/GOI/Supreme Court's guidelines & directions
    (b) Time frame for establishment of College & Hospital
    (c) Selection/Admission criteria as laid down by State, and
    (d) Have sufficient funds for development and bank guarantees, if yes, enclose

    Undertaking on a non judicial stamp of Rs.10 duly attested by a first class Magistrate
14. Any other information

Signature of Applicant
with Official Seal

List of Enclosures

To be appended with the application form :—

1. Certified copy of bye-laws/memoranda and Articles of Association/Trust deed/Company incorporation.

2. Certified copy of Certificate of Registration.

3. Annual reports and audited balance sheets for last 3 years.

4. Certified copy of the title deed of total available land as proof of ownership.

5. Certified copy of the zoning plans of available sites indicating their land use

6. Proof of ownership of existing Hospital

7. Authorization letters addressed to Bankers of applicant society authorizing in State Government to make independent inquiried regard financial track record of the applicant society/Trust/ company.

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का विवरण)

राजसथान में स्थित फार्मेसी कालेजों की सूची

क्र.सं	नाम विद्यालय	बी.फार्म	डी.फार्म
1.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एवं साइंस पिलानी, झुंझुनूं	30 बी. फार्म	–
2.	बी.एन. कालेज आफ फार्मेसी, उदयपुर	40 बी. फार्म	60
3.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज पब्लिक हैल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर	—	60
4.	लाछू मेमोरियल कालेज आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, जोधपुर	40 बी. फार्म	60
5.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	—	60
6.	महर्षि अरविन्द कालेज आफ फ़ार्मेसी, जयपुर	—	60
7.	परमानन्द डिग्री कालेज आफ फार्मेसी, गजसिंहपुर	—	60
8.	महाराजा सूरजमल कालेज आफ फार्मेसी, भरतपुर	—	60
9.	नेहरू मेमोरियल कालेज आफ फार्मेसी, हनुमानगढ़ टाउन	—	60
10.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	40 बी.फार्म	–
11.	श्री बजरंग कालेज आफ फार्मेसी, डीग	—	60
12.	एस.डी. बिहारी कालेज आफ फार्मेसी, श्रीगंगानगर	60 बी. फार्म	–
13.	संजीवनी कालेज आफ फार्मेसी, खेतड़ी	40 बी.फ़ार्म	60

कुल बी.फ़ार्म 250, डी. फार्म 600

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का विवरण)

श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर एवं राजकीय चिकित्सालय, कोटपूतली में गत तीन वर्षों में आउटडोर में आये मरीजों की माहवार संख्या का विवरण

माह का नाम	श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर			राजकीय चिकित्सालय, कोटपूतली		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001
जनवरी	9974	8587	10099	9133	8044	9580
फरवरी	11311	8432	9558	12628	9279	11467
मार्च	12296	12214	11053	13894	11863	12755
अप्रैल	13946	11662	10741	13687	10313	11527
मई	15897	14533	13178	16870	13454	14528
जून	13718	12842	13603	16217	13373	14686
जुलाई	14807	12987	14852	15686	13632	16322
अगस्त	14434	13738	14546	17395	14046	18203
सितम्बर	13300	13684	14892	18627	14154	17931
अक्टूबर	13873	10388	13752	20177	10794	14306
नवम्बर	11489	10379	10335	10513	11926	11366
दिसम्बर	11766	9477	10153	9634	11701	10363
कुल योग	**156811**	**138923**	**146762**	**174461**	**142579**	**163124**

परिशिष्ट "ब"

श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर एवं राजकीय चिकित्सालय, कोटपूतली में चिकित्सकों में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या का पदवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	पद नाम	श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर		राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली	
		स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	9	6 (3 पदों पर कनिष्ठ विशेषज्ञ पद विरुद्ध)	5	4
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	13	13	8	8
3.	उप नियंत्रक	1	1 (एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध)	1	—
4.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7	6 (एक चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध)	2	1
5.	चिकित्सा अधिकारी	19	18	14	12
6.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	1	1

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

जालसू के राधाकिशनपुरा वाया खनिपुरा सड़क की मरम्मत का विवरण

क्र.सं.	मरम्मत का वर्ष	मरम्मत पर खर्च की गई राशि	विवरण
1.	1994-95	शून्य	सड़क का निर्माण कि.मी. 0/0 से 4/500 तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तथा कि.मी.4/500 से 8/0 तक विभाग द्वारा वर्ष 93-94 में किया गया।
2.	1995-96	शून्य	—
3.	1996-97	शून्य	—
4.	1997-98	0-10 लाख	वर्ष 98-99 में दर्शायी गई राशि विभाग की सड़क के कि.मी. 4/500 से 8/0 पर मरम्मत में खर्च की गई।
5.	1998-99	2-97 लाख	वर्ष 98-99 में खर्च की गई राशि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विभाग में स्थानान्तरित सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0 पर मरम्मत में खर्च की गई।
6.	1999-2000	शून्य	—
7.	2000-2001	0.06 लाख	वर्ष 2000-2001 व 2002 में दर्शायी गई राशि विभाग की सड़क के कि.मी. 4/500 से 8/0 पर मरम्मत में खर्च की गई।
8.	2001-2002	0.40 लाख	—

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-24 की सूची)

अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों की जिलेवार सूची

जिले का नाम	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1	2	3	4	5
अजमेर	37	28	13	21
भीलवाड़ा	08	05	03	03
नागौर	09	01	02	04
टोंक	—	01	01	02
जयपुर	52	44	17	18
सीकर	21	07	03	13
दौसा	03	—	01	01
भरतपुर	06	08	03	02
अलवर	15	07	03	04
धौलपुर	—	02	—	—
कोटा	07	05	02	01
झालावाड़	—	01	—	—
बूंदी	01	—	—	—
सवाइमाधोपुर	01	01	—	—
उदयपुर	19	10	07	13
बांसवाड़ा	02	—	01	—
डूंगरपुर	01	—	—	01

1	2	3	4	5
राजसमन्द	01	01	—	—
चित्तौड़गढ़	03	03	03	02
जोधपुर	37	23	11	11
जैसलमेर	01	—	—	—
बाड़मेर	01	—	—	—
पाली	03	—	01	05
जालौर	01	—	—	—
सिरोही	02	01	—	02
बीकानेर	35	15	08	05
श्रीगंगानगर	38	24	05	09
हनुमानगढ़	16	04	03	02
चूरू	11	08	05	07
झुंझुनूं	15	11	08	19
योग	**346**	**210**	**100**	**146**

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1997-98 की अनुदान समिति की बैठक में अनुदान प्रतिशत वृद्धि की गई विद्यालयों की सूची

विद्यालय का नाम

सुचेता कृपलानी विकलांग शिक्षा निकेतन, माणकलाव, जोधपुर

बधिर विद्यालय, वैशाली नगर, अजमेर।

तपोवन मनोविकास विद्यालय, श्रीगंगानगर।

गांधी बधिर स्कूल, जोधपुर।

मरूधर अन्ध विकास संस्थान, जोधपुर।

अनुदान प्रतिशत में वृद्धि किये गये छात्रावास का नाम

सुचेता कृपलानी विकलांग शिक्षा निकेतन, माणकलाव, जोधपुर।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का विवरण)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

दूरस्थ शिक्षा विभाग

विषय : ओपन स्कूल और उच्च माध्यमिक पत्राचार पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत अध्ययनशील शिक्षार्थियों का पाठ्य सामग्री की प्रथम किस्त का प्रेषण एवं अध्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन।

शिक्षण सत्र 2001-2002

प्रिय शिक्षार्थी,

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपने उच्च माध्यमिक/माध्यमिक (ओपन स्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने का संकल्प किया है, आपका स्वागत है। कृपया अगवत हो कि ओपन स्कूल की परीक्षा में कक्षा-10 तथा उच्च माध्यमिक पत्राचार की परीक्षा में कक्षा-12 से सम्बन्धित बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न ही पूछे जायेंगे। अतः आपको बोर्ड के पाठ्य-सामग्री ही भेजी जा रही है। ओपन-स्कूल के विद्यार्थियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों में आधार पाठ्य सामग्री भी भेजी जायगी, जिनका अध्ययन वे पहले करें जिससे मुख्य पाठ्य सामग्रीं समझने में सहायता मिले। यह सामग्री विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्होंने आठवीं कक्षा पास नहीं की है। ओपन स्कूल के ऐसे विद्यार्थियों के लिये जिन्होनें 5वीं कक्षा तक भी अध्ययन नहीं किया है, गणित विषय में प्रारम्भिक पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाएगी।

स्व-अध्ययन हेतु पाठ्य सामग्री आपको किस्तों में प्रेषित की जायेगी। इस परिपत्र के साथ आपको पाठ्य सामग्री की पहली किस्त भेजी जा रही है। प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम को कुछ पाठों में बांटा गया है। तीन-चार पाठों को एक साथ मिलाकर विषय सामग्री की एक किस्त तैयार की गई है। इस सामग्री की एक किस्त में तीन स्तरों पर मूल्यांकन (आपके अध्ययन की जांच) की व्यवस्था है :—

1. अंतरा पाठ्य प्रश्न 2. स्वयं जांच पत्र 3. छात्र-उत्तर-पत्र

(1) प्रत्येक पाठ को छोटे-छोटे शिक्षण बिन्दुओं में विभक्त किया गया है। प्रत्येक शिक्षण बिन्दु के अन्त में कुछ लघु प्रश्न (अन्तरा पाठ्य प्रश्न) दिये हैं। अगले शिक्षण बिन्दू के अध्ययन से पूर्व इन प्रश्नों को हल कीजिए और अपने उत्तरों का मिलान पाठ के अन्त में दिए गए उत्तरों से कीजिए जिससे आपको यह मालूम हो जाए कि आपका अध्ययन सही दिशा में चल रहा है।

(2) प्रत्येक पाठ के अन्त में भी स्वयं जांच-पत्र है। इन प्रश्नों के हल भी लिखकर तैयार करें और साथ ही दिए गए उत्तरों से मिलान कर अपनी जांच स्वयं करें।

(3) पाठ की प्रत्येक किस्त के अन्त में छात्र-उत्तर-पत्र संलग्न किया जाता है, जिसे आप हल करके मूल्यांकन हेतु बोर्ड कार्यालय में प्रेषित करें। हम आप द्वारा भेजे गए उत्तर पत्रों की जांच योग्य विषयाध्यापकों से आपको निर्देशों के साथ लौटायेंगे जिससे आपको अपने अध्ययन की कमियों की जानकारी होगी और आप पुनः सुचारू रूप से अध्ययन कर सकेंगे।

इसी प्रकार प्रत्येक किस्त की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करें। आप छात्र-उत्तर-पत्रों को अलग कर लें तथा प्रत्येक किस्त प्राप्ति के बीस दिन की अवधि में उस किस्त के अध्ययन के पश्चात् छात्र-उत्तर-पत्रों को हल करके मूल्यांकन के लिए कार्यालय द्वारा इस हेतु भेजे गए लिफाफे में, बोर्ड कार्यालय को भेजें। लिफाफे पर 'छात्र-उत्तर-पत्रों के उत्तर' लिख दें। लिफाफे के लिए कार्यालय द्वारा इस हेतु भेजे गए लिफाफे में, बोर्ड कार्यालय को भेजें। लिफाफे पर 'छात्र-उत्तर-पत्रों के उत्तर' लिख दें। लिफाफे को केवल पिन लगाकर बन्द करें (चिपकाये नहीं) और इन्हें बुक पोस्ट द्वारा भेजें। विलम्ब से भेजे गए उत्तर पत्रों को जंचवाना सम्भव नहीं होगा।

ध्यान रहे कि अन्तिम किस्त के उन छात्र-उत्तर-पत्रों का ही मूल्यांकन कराया जा सकेगा, जो बोर्ड परीक्षा से तीन सप्ताह पूर्व तक कार्यालय में प्राप्त होते हैं, इसके पश्चात् उनका मूल्यांकन नहीं कराया जायेगा।

उत्तर-पत्र से सम्बन्धित निम्न बातों पर विशेष ध्यान दें

1. बहुविकल्पीय व अति लघूत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थानों पर लिखें। निबन्धात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों के लिए स्थान नहीं छोड़ा जाता है। इनके उत्तर पाठ के आकार के कागज में दो तिहाई भाग में लिखें (एक तिहाई हाशिये के रूप में मार्गदर्शन के लिए रिक्त छोड़ना है) संलग्न किए गए पृष्ठों पर भी अपना नाम, पता, पंजीयन संख्या, विषय व छात्र-उत्तर-पत्र का क्रमांक लिखें। उत्तर पत्र के साथ लगाये गये पृष्ठ मजबूती से नत्थी करें। निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तर हाशिये, कोने आदि में लिखकर, जांचकर्त्ता के लिए असुविधा न करें। वे उत्तर अलग कागज पर ही लिखें।

2. आपकी सहायता के लिए जांचकर्त्ता विषयवार नियुक्त किये गये हैं। अतः सभी विषयों के छात्र-उत्तर-पत्र के प्रश्नों के उत्तर एक ही कागज पर न लिखें। प्रत्येक छात्र-उत्तर-पत्र के साथ केवल उसी से सम्बन्धित कागज संलग्न करने चाहिए, ताकि कार्यालय में इन्हें विषय व प्रश्न-प्रत्रवार अलग-अलग कर जांचकर्त्ताओं को भेजा जा सके।

3. मूल्यांकित उत्तर-पत्र आपको वापस मिल जायें इस हेतु छात्र-उत्तर-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपनी नामांकन संख्या, नाम और डाक का पूरा पता लिखना ना भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार जायेगी, क्योंकि आपके स्पष्ट नाम व पते के अभाव में मूल्यांकित छात्र-उत्तर-पत्र वापस नहीं मिल सकेंगे।

4. अन्य जानकारी के लिए इन छात्र उत्तर-पत्रों के साथ कोई पत्र न रखें। अपनी पंजीयन संख्या का संदर्भ देते हुए दूरस्थ शिक्षा विभाग से पत्र व्यवहार अलग से करें।

5. जांचकर्त्ता मूल्यांकन करते समय केवल संकेत बिन्दू (Guiding Points) और उत्तरों के संकेत ही देते हैं। अतः आप उत्तर-पत्र के पूरे प्रश्नों को हल करें। यह अपेक्षा न करें कि जांचकर्त्ता आपके प्रश्नों को पूर्ण रूप से हल करके भेजेंगे। जांचकर्त्ता के सुझावों के आधार पर अपने अध्ययन में सुधार करें।

6. यदि आपको सम्बन्धित पाठ्य-सामग्री के अध्ययन सम्बन्धी कोई कठिनाई हो तो उसे छात्र-उत्तर-पत्र में निर्धारित स्थान पर लिख दें।

बोर्ड परीक्षा 2002 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार ही आपको सम्पूर्ण पाठ भेजे जायेंगे। इन पाठ्य पुस्तिकाओं के अध्ययन के साथ-साथ आप चाहें तो उच्च माध्यमिक 2002 एवं माध्यमिक परीक्षा 2002 के लिए बोर्ड द्वारा एतदर्थ प्रकाशित विवरणिका में प्रस्तावित अभिस्तावित पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन भी करें। सम्बन्धित परीक्षा की विवरणिकायें आप स्थानीय पुस्तक विक्रेता से या बोर्ड द्वारा अधिकृत वितरकों/पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2002 की विवरणिका मै. किरण पब्लिकेशन, पुरानी मण्डी, अजमेर और माध्यमिक परीक्षा 2002 की विवरणिका मै. यंगमैन एण्ड क., पुरानी मण्डी, अजमेर द्वारा बोर्ड अधिकारान्तर्गत प्रकाशित है।

आपने दूरस्थ शिक्षा विभाग के लिए पंजीयन करा लिया है, तद्नुसार ही आपको पाठ प्रेषित किये जा रहे है। यदि आप की ओर से दूरस्थ शिक्षा का कोई शुल्क बकाया हो तो कृपया शीघ्र जमा करायें अन्यथा पाठों की आगामी किस्तें प्रेषित नहीं की जाएगी। आपने बोर्ड परीक्षा का आवेदन-पत्र भी भरकर मय शुल्क के जमा करा दिया होगा। ध्यान रहे कि केवल दूरस्थ शिक्षा में पंजीयन से आप बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने के पात्र नहीं बन जाते।

आपको यह भी ज्ञात है कि दूरस्थ शिक्षा में पंजीकृत छात्र की परीक्षा बोर्ड परीक्षा प्रणाली-2002 के अनुसार ही होगी। बोर्ड परीक्षा में सत्रांक (Sessional Marks) का प्रावधान किया गया है परन्तु आपके लिए सत्रांक की वही व्यवस्था है जो स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए है अर्थात् परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुपात में सत्रांक जोड़ दिये जायेंगे। प्रत्येक सत्र की परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक में से 90 प्रतिशत पर ही बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा। 10 प्रतिशत अंक सत्रांक के रूप में निर्धारित है।

ओपन स्कूल के विद्यार्थियों का पंजीयन 3 वर्ष के लिए है। अतः वे जब तक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें दूरस्थ शिक्षा की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित पाठों का प्रेषण किस्तवार नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार होगा। प्रेषण की सम्भावित तिथियां अक्टूबर, 2001 से जनवरी, 2002 तक हैं जिसमें समस्त प्रेषण पूर्ण हो सकेगा।

पाठ्य-सामग्री ओपन स्कूलों के विद्यार्थियों को 4 किस्तों में तथा उ.मा. पत्राचार के विद्यार्थियों को 5 किस्तों के सामान्यतः प्रेषित की जाएगी। पहली किस्त अक्टूबर, 2001 में, द्वितीय नवम्बर 2001, तृतीय व चतुर्थ दिसम्बर 2001 में तथा पांचवीं किस्त जनवरी, 2002 में प्रेषित होने की सम्भावना है। पाठ्य-सामग्री का प्रेषण, विद्यार्थी के पंजीयन आवेदन पत्र कार्यालय में उपलब्ध होने पर ही निर्भर करता हे।

नोट : पाठ्य-सामग्री की पहली किस्त के साथ सम्बन्धित विषय/पत्र का पाठ्यक्रम दिया गया है। उसी के अनुरूप पाठ्य-सामग्री किस्तों में प्रेषित की जाएगी।

प्रत्येक विषय/पत्र में निम्नानुसार किस्त होंगी

(निम्न विषयों में ही दूरस्थ शिक्षा से अध्ययन की व्यवस्था है)

ओपन स्कूल माध्यमिक

क्रमांक	विषय (कोड)	किस्तों की संख्या	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
1.	हिन्दी (01)	5	—
2.	अंग्रेजी (02)	5	— (तथा आधार पाठ्य-सामग्री)
3.	विज्ञान (07)	4	4 (तथा आधार पाठ्य-सामग्री)
4.	सामाजिक विज्ञान (08)	5	5 (तथा आधार पाठ्य-सामग्री)
5.	गणित (09)	4	4 (तथा प्रारंभिक व आधार पाठ्य-सामग्री)
6.	संस्कृत (71)	4	—

उच्च माध्यमिक पत्राचार पाठ्यक्रम

अनिवार्य विषय :		**क्रमांक विषय (कोड)**	**किस्तों की संख्या**	
	1.	हिन्दी अनिवार्य (01)	5	
	2.	अंग्रेजी अनिवार्य (02)	5	
			प्रथम किस्त	**द्वितीय किस्त**
अति. विषय :	3.	कम्प्यूटर शिक्षा (03)	5	3 (तथा आधार पाठ्य-सामग्री)
वैकल्पिक विषय :	4.	अर्थशास्त्र (10)	5	5
कला वर्ग :	5.	राजनीति विज्ञान (11)	5	5
	6.	संस्कृत साहित्य (12)	5	5
	7.	इतिहास (13)	5	5
	8.	हिन्दी साहित्य (21)	3	3
	9.	समाज शास्त्र (27)	4	4
वाणिज्य वर्ग :	10.	लेखा शास्त्र (30)	5	4 (तथा आधार पाठ्य-सामग्री)
	11.	लेखा शास्त्र (30)	5	3 [illegible]
	12.	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन (35)	5	5

पाठ्य-सामग्री और सम्बन्धित छात्र-उत्तर-पत्रों के अतिरिक्त आपको प्रत्यक्ष शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि आप अपनी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों का निवारण अध्यापकों से सीधा सम्पर्क करके कर सकें। सामान्यतः ओपन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सत्र में दो बार और उच्च माध्यमिक (पत्राचार) के विद्यार्थियों के लिए एक बार 10 दिवसीय सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सम्पर्क कार्यक्रम प्रथम चरण सामान्यतः माह दिसम्बर में और द्वितीय चरण माह फरवरी में आयोजित किया जाता है। सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्रों एवं आयोजन तिथियों की सूचना आपको अलग से परिपत्र द्वारा सूचित की जायेगी।

यदि आपको पाठ्य-सामग्री की कोई किस्त प्राप्त न हो, छात्र-उत्तर-पत्र जांचकर समय पर नहीं मिलें अथवा आपको अध्ययन सम्बन्धी कठिनाई हो तो विभाग को निःसंकोच लिखें। हम आपको बेहतर सेवा कैसे दें उस सम्बन्ध में अपने सुझाव भी लिखें।

आशा है, पत्र के माध्यम से आपका और दूरस्थ शिक्षा विभाग का सम्पर्क बना रहेगा और आप अपना अध्ययन निरन्तर मन लगाकर करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,　　　　**निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

टिप्पणी एवं आदेश

दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को सत्र 2001-2002 के पाठों को निम्नानुसार प्रेषित किया गया :—

ओपन स्कूल

1. दिनांक 13, 14, 15, 18, 19 एवं 20, 21.12.2001 को जयुपर धौलपुर एवं बांसवाड़ा के कुल 3375 छात्रों को गणित एवं विज्ञान की 1 से 5 विषयों का प्रेषण किया गया।

2. दिनांक 22, 24, 26, 27, 28 एवं 29.12.2001 को 29 जिलों के छात्रों को ओपन स्कूल की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पाठों का प्रेषण किया गया। कुल छात्र संख्या-25472

3. दिनांक 2 एवं 3.1.2002 को जयुपर, धौलपुर एवं बांसवाड़ा के कुल 3375 छात्रों को शेष विषयो :—हिन्दी, अंग्रेजी, सामा. विज्ञान एवं संस्कृत के समस्त पाठों का प्रेषण किया गया।

4. दिनांक 12.1.2002 को जैसलमेर, झालावाड़, दौसा, बारां, करौली के 5 जिलों के कुल 1469 छात्रों को तीसरी किस्त के पाठ भेजे गये।

5. दिनांक 2.2.2002 को जैसलमेर, झालावाड़, दौसा, बारां, करौली के कुल-1469 छात्रों को चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भेजे गये।

6. दिनांक 2.2.2002 को भरतपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के कुल 2236 छात्रों को 21 पाठों का प्रेषण किया गया।

7. दिनांक 4.2.2002 को पाली, झुंझुनूं, भीलवाड़ा एवं जालौर के कुल 3901 छात्रों को 21 पाठों का प्रेषण किया गया।

8. दिनांक 5.2.2002 को चुरू, सिरोही, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाइमाधोपुर एवं टोंक के कुल 4799 छात्रों को तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भेजे गये।

9. दिनांक 6.2.2002 को सीकर, उदयपुर एवं बाड़मेर के कुल 4097 छात्रों को तीसरी, चौथी किस्त के पाठ भेजे गये।

10. दिनांक 7.2.2002 को जोधपुर, नागौर के कुल 5100 छात्रों को तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भेजे गये।

11. दिनांक 8.2.2002 को अजमेर, अलवर, बीकानेर के कुल 3819 छात्रों को तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भेजे गये।

12. दिनांक 9 एवं 11.2.2002 को भरतपुर, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, जालौर के कुल 8 जिलों में 6137 छात्रों को शेष रहे दो पाठों का प्रेषण किया गया।

इस प्रकार पैरा 1 के बिन्दु (1) से 12 में वर्णित तारीखों में उल्लेखित जिलों के समस्त छात्रों को (ओपन स्कूल) के समस्त छात्रों को समस्त पाठों का प्रेषण कर दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

टिप्पणी एवं आदेश

दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत सीनियर सै. के छात्रों को नियमानुसार पाठ प्रेषण किया गया :—

सीनियर सैकण्डरी (कला वर्ग)

1. दिनांक 31.12.2001 एवं 1.1.2002 एवं 2.1.2002 में समस्त जिलों में 18216 छात्रों को (राजनीति विज्ञान को छोड़कर) शेष समस्त विषयों की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पाठों का प्रेषण किया गया।

2. दिनांक 4.1.2002 को बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, सवाइमाधोपुर, सिरोही, धौलपुर, बारां एवं राजसमन्द कुल 11 जिलों के 2844 छात्रों को अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों (राजनीति विज्ञान के अलावा) की तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठों का प्रेषण किया गया।

3. दिनांक 7.1.2002 को बूंदी, टोंक, चित्तौडगढ़ एवं जालौर के कुल 1120 छात्रों को अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषयों की तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भिजवाये।

4. दिनांक 11.1.2002 को बीकानेर, चूरू, पाली, उदयपुर के कुल 2144 छात्रों को समाजशास्त्र विषय की तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किस्त के पाठ भिजवाये गये।

5. दिनांक 29.1.2002 को बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर झालावाड़, सवाइमाधोपुर, सिरोही, धौलपुर एवं बारां, राजसमन्द, कुल 11 जिलों के छात्रों को राजनीति विज्ञान की 1 से 5 किस्त के पाठ भेजे।

6. दिनांक 30.1.2002 को अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जयपुर के कुल 3580 छात्रों को विभिन्न विषयों के कुल 27 पाठों का प्रेषण किया गया।

7. दिनांक 31.1.2002 को जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, सीकर के कुल 4878 छात्रों को कुल 27 पाठों का प्रेषण किया गया।

8. दिनांक 01.2.2002 को कोटा, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, हनुमानगढ़ एवं करौली के कुल 3627 छात्रों को कुल 27 पाठों का प्रेषण किया।

9. दिनांक 11-12-13 फरवरी, 02 को अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, सीकर, कोटा, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, हनुमानगढ़, करौली कुल 13 जिलों के 12085 छात्रों को शेष बचे हुए 13 पाठों का प्रेषण किया गया।

10. दिनांक 13.2.2002 को बूंदी, चित्तौड़गढ़, टोंक एवं जालौर के कुल 1120 छात्रों को अनिवार्य विषयों—हिन्दी, अंग्रेजी तथा हिन्दी साहित्य की 3, 4, 5 किस्त तथा राजनीति विज्ञान की 1 से 5 किस्त के पाठ भिजवाये गये।

11. दिनांक 13.2.2002 को बीकानेर, चूरू, पाली एवं उदयपुर के कुल 2144 छात्रों को अनिवार्य विषयों की तथा समाजशास्त्र के अलावा अन्य ऐच्छिक विषयों की 3, 4, 5 किस्त तथा राजनीति विज्ञान की 1 से 5 किस्त के पाठ भिजवाये गये।

12. दिनांक 13.2.2002 को विभिन्न जिलों के 416 छात्रों को 1 से 6 किस्त के समस्त विषयों के समस्त पाठ भिजवाये गये।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

टिप्पणी एवं आदेश

सीनियर सैकण्डरी-वाणिज्य वर्ग

वाणिज्य वर्ग के छात्रों को निम्नानुसार पाठ प्रेषण किया गया—

1. दिनांक 7 एवं 8 व 10.12.2001 को वाणिज्य वर्ग के समस्त 1658 छात्रों को हिन्दी एवं अनिवार्य अंग्रेजी विषयों को छोड़कर समस्त पाठों का प्रेषण किया गया।

2. दिनांक 26.12.2001 को समस्त 1658 छात्रों को अनिवार्य विषयों के पाठों का प्रेषण किया गया।

3. दिनांक 20.2.2002 को विभिन्न जिलों के 72 छात्रों को वाणिज्य वर्ग की 1 से 5 किस्तों का प्रेषण किया गया।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-26 की सूची)

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर सम्भाग जयपुर

वर्ष 1998-99 में नियुक्त विज्ञान वर्ग वरिष्ठ अध्यापकों के आरक्षित वर्ग की सूची

01 अनुसूचित जाति

1. ममता कुमारी
2. भिरेन्द्र कुमार
3. रूप चन्द वर्मा
4. रमेश चन्द खटीक
5. दिनेश चन्द
6. जगदीश प्रसाद
7. मुकेश जाटव
8. पाल चन्द्र
9. गजराज बुटोलिया

02 अनुसूचित जनजाति

1. सुनीता बाई मीणा
2. बिहारी लाल मीणा
3. सुरेश कुमार मीणा
4. बृज लाल मीणा
5. अशोक कुमार मीणा
6. प्रहलाद नारायण
7. नारमल मीणा

03 पिछड़ा वर्ग

1. आरती यादव
2. फूलचन्द यादव
3. सत्यपाल यादव
4. सुरेन्द्र कुमार
5. नीरज शर्मा
6. सत्यपाल सिंह यादव
7. अनीता यादव
8. प्रेम कुमार सैनी
9. अरविन्द कुमार
10. वेद प्रकाश
11. सुभाष चन्द कुमावत
12. सज्जन सिंह

ह०/-
उप निदेशक (मा.) शिक्षा,
जयपुर सम्भाग जयपुर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-29 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

राज्य में जिलेवार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1991 की जनगणनानुसार		विद्युतीकरण प्रतिशत
		कुल ग्राम	माह फरवरी, 2002 तक विद्युतीकृत	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1001	1001	100%
2.	अलवर	1991	1948	97.84
3.	बांसवाड़ा	1462	1286	87.96
4.	बारां	1203	1114	92.44
5.	बाड़मेर	1634	1632	93.75
6.	भरतपुर	1454	1424	97.93
7.	भीलवाड़ा	1620	1620	100%
8.	बीकानेर	650	585	90%
9.	बूंदी	841	838	99.64
10.	चित्तौड़गढ़	2379	2214	93.06
11.	चूरू	965	929	96.26
12.	दौसा	1052	1052	100%
13.	धौलपुर	569	533	93.67
14.	डूंगरपुर	850	850	100%
15.	हनुमानगढ़	1906	1684	88.35

1	2	3	4	5
16.	जयपुर	2187	2187	100%
17.	जैसलमेर	578	290	50.17
18.	जालौर	676	662	97.92
19.	झालावाड़	1585	1416	89.33
20.	झुंझुनूं	827	827	100%
21.	जोधपुर	863	863	100%
22.	करौली	793	706	88.90
23.	कोटा	896	858	95.75
24.	नागौर	1396	1396	100%
25.	पाली	919	919	100%
26.	राजसमन्द	982	982	100%
27.	सवाइमाधोपुर	794	761	95.84
28	सीकर	946	946	100%
29.	सिरोही	461	461	100%
30.	श्रीगंगानगर	3014	2435	80.78
31.	टोंक	1089	1008	92.56
32.	उदयपुर	2225	1959	88.04
	योग	**39810**	**37285**	**93.65**

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का विवरण)

सामान्य श्रेणी अन्तर्गत कृषि आवेदनों के बकाया प्रार्थना-पत्रों का मार्च, 2001 तक का जिलेवार

क्र.सं.	जिले का नाम	लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या
1	2	3
(अ)	जयपुर विद्युत वितरणसए निगम लि.	
1.	अलवर	20007
2.	बारां	5668
3.	भरतपुर	2667
4.	बूंदी	4795
5.	दौसा	10066
6.	धौलपुर	169
7.	झालावाड़	8390
8.	कोटा	4627
9.	सवाइमाधोपुर	3908
10.	टोंक	1717
11.	करोली	4738
12.	जयपुर	20401
	योग (अ)	**87153**
(ब)	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	
1.	अजमेर	3882
2.	पाली पार्ट आफ प.स. रायपुर	46
3.	बांसवाड़ा	1278

1	2	3
4.	भीलवाड़ा	7580
5.	चित्तौड़गढ़	17212
6.	डूंगरपुर	1210
7.	झुंझुंनूं	6003
8.	नागौर	13522
9.	राजसमन्द	2213
10.	सीकर	10186
11.	उदयपुर	4816
	योग (ब)	**67948**
(स)	**जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.**	
1.	बाड़मेर	7014
2.	बीकानेर	3077
3.	चूरू	4327
4.	नागौर	468
5.	जैसलमेर	801
6.	जालौर	9341
7.	जोधपुर	13869
8.	हनुमानगढ़	2063
9.	पाली	5875
10.	सिरोही	2867
11.	श्रीगंगानगर	1054
	योग (स)	**50756**
	कुल योग अ + ब + स	**205857**

परिशिष्ट "ब"

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये जाने वाले/स्थायी प्रभार/ ऊर्जा प्रभार से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी का विवरण

बिलिंग माह मई, 2001 से

क्रम संख्या	श्रेणी	स्थायी प्रपत्र	ऊर्जा प्रभार पैसा / यूनिट	ईडी पैसा / यूनिट
1	2	3	4	5
I.	**घरेलू सेवा (ग्रामीण/शहरी)**			
(i)	प्रथम 50 यूनिट प्रति माह	50 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	170	25
(ii)	50 यूनिट प्रति माह से अधिक	75 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	275	25
2.	**अघरेलू सेवा**			
(1)	एल.टी. सप्लाई			
(A)	5 कि.वा. तक स्वीकृत सम्बद्ध भार		450	25
(i)	प्रथम 100 यूनिट प्रति माह	80 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	490	25
(ii)	100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक	120 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास		
(B)	5 कि.वा. से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार		450	25
(i)	प्रथम 100 यूनिट प्रति माह	40 रुपये प्रति कि.वा/माह सम्बद्ध भार का	490	25
(ii)	100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक			
(2)	एच.टी सप्लाई			
(i)	प्रथम 100 यूनिट प्रति माह	60 रुपये प्रति के.वी.ए. मांग प्रतिमास	450	25
(ii)	100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक		490	25
3.	**सार्वजनिक प्रकाश**			
(i)	पंचायत/म्यूनिसिपल क्षेत्र जहां जनसंख्या 1 लाख से कम हों	30 रुपये प्रति पाइंट	300	25
(ii)	म्यूनिसिपल क्षेत्र जहां जनसंख्या एक लाख से अधिक हो	45 रुपये प्रति पाइंट	330	25

1	2	3	4	5
4.	**कृषि क्षेत्र**			
(1)	मीटर्ड सप्लाई		90	4
(i)	सामान्य	45 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	275	25
(ii)	फार्म हाउस	45 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	165	25
(iii)	उपरोक्त मद (ग) एवं (ii) में नहीं समाहित सभी मय नर्सरी (सामान्य श्रेणी के बदलने तक) कनेक्शन जिन्हें निरन्तर सप्लाई/24 घण्टे मिल रही है और पोलट्री फार्म	45 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास		
(2)	फ्लेट रेट सप्लाई		85	5
(i)	(रुपये के प्रति एच पी/प्रतिमाह)	15 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	145	
(ii)	सामान्य एवं विशेष सामान्य श्रेणी	15 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	175	5
(iii)	विशेष योजना, नारा योजना उपरोक्त मद (ग) एवं (ii) के अधीन नहीं समाहित, शहरी क्षेत्र के कुएं जिन्हें निरन्तर 24 घंटे आपूर्ति मिल रही है।	15 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास		
5.	**लघु औद्योगिक सेवा**	30 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह	344	25
6.	**मध्यम औद्योगिक सेवा**	45 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह अथवा 75 रुपये प्रति केवीए प्रति माह बिलिंग डिमाण्ड का	372	25
7.	**मिश्रित भार की प्रचूर आपूर्ति**			
(i)	आवासीय कॉलोनी (प्रति आवासीय गृह)	67.5 रुपये प्रति सम्बन्ध/मास	247.5	25
(ii)	गैर-आवासीय कॉलोनी	45 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह अथवा 75 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति माह बिलिंग डिमान्ड का	372	25
8.	**तहत औद्योगिक सेवा**	90 रुपये/केवीए/प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का	401	25

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-33 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	गांव का नाम	उपखण्ड का नाम	बकाया राशि लाखों में	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद दिनांक
1	2	3	4	5
जिला सवाइमाधोपुर				
1.	जलपा खेड़ी	ग्रामीण खण्डार	0.60	31.10.1999
2.	हलुन्दा	ग्रामीण खण्डार	0.50	31.10.1999
3.	मामराजपुरा	ग्रामीण खण्डार	0.15	31.10.1999
4.	बैरना	ग्रामीण खण्डार	0.04	31.5.1998
5.	अगरवाड़ा	ग्रामीण खण्डार	0.05	31.5.1995
6.	रामपुरा	ग्रामीण खण्डार	0.03	31.5.1995
7.	घिरोली	ग्रामीण खण्डार	0.02	31.5.1995
8.	बलवनखुर्द	ग्रामीण खण्डार	0.02	30.6.1997
9.	चितरा	ग्रामीण खण्डार	0.02	31.7.1997
10.	आकोरियां	ग्रामीण खण्डार	0.02	31.5.1999
11.	खानपुर	ग्रामीण खण्डार	0.03	31.7.1998
12.	करमापुर	ग्रामीण खण्डार	0.01	31.5.1995
13.	घोलारा	ग्रामीण खण्डार	0.50	31.5.1995

1	2	3	4	5
14.	पूनेता	ग्राविनि. बौली	0.77	20.3.1997
15.	रामडी	ग्राविनि. बौली	1.27	24.2.2k
16.	कीरतपुर	ग्राविनि. बौली	0.54	8.2.2k
17.	सोतोली	ग्राविनि. बौली	0.27	22.4.2001
18.	बरियारा	ग्राविनि. बौली	1.36	8.2.2002
19.	मोतारी	ग्राविनि. बौली	0.25	20.2.2002
20.	फलसावटा	ग्राविनि. बौली	1.32	20.3.1999
21.	कुण्डलीनदी	ग्राविनि. बौली	0.75	27.2.2002
22.	भूखा	ग्राविनि. बौली	2.11	14.2.1998
23.	तारनपुर	ग्राविनि. बौली	0.97	19.12.2001
24.	मानोली	ग्राविनि. बौली	1.92	20.2.2002
25.	खातोली	ग्राविनि. बौली	0.03	1.3.1997
26.	हथड़ोली	ग्राविनि. बौली	1.23	1.12.1997
27.	सरावता	ग्राविनि. बौली	0.10	2.10.1995
28.	कोयला	ग्रा. गंगापुर	3.35	28.2.1999
29.	बाढ़ कोथला	ग्रा. गंगापुर	0.89	31.3.1998
30.	कोहली प्रेमपुरा	ग्रा. गंगापुर	1.00	28.2.2002
31.	भाव	ग्रा. गंगापुर	1.19	31.5.2001
32.	डूंगरवाड़ा	ग्रा. गंगापुर	0.23	28.2.2001
33.	टूण्डीला	ग्रा. गंगापुर	2.20	31.5.2k

1	2	3	4	5
34.	गुड़ला	ग्रा. गंगापुर	0.12	30.6.2k
35.	बंधावल	ग्रा. गंगापुर	0.81	31.7.97
36.	नाहरसिंहपुरा	ग्रा. गंगापुर	1.38	31.5.2k
37.	सांथोली	ग्रा. गंगापुर	0.55	31.3.2k
जिला करौली				
1.	नरोली मूडलकापुरा	वित्त. करौली	0.21	1.3.02
2.	खूबपुरा (खूबपुरा)	वित्त. करौली	0.97	1.3.02
3.	पदमपुरा	वित्त करौली	0.78	31.8.01
4.	फतेहपुर	वित्त करौली	1.80	31.3.98
5.	गांवदा	वित्त. करौली	0.56	31.8.01
जिला दौसा				
1.	कानलोदा	—	0.057	22.2.2002
2.	कल्याणपुरा	—	0.556	22.2.2002

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-34 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

1.12.1998 के बाद विभिन्न श्रेणियों में कनेक्शन लेने के लिए लाइन विस्तार को मांग राशि में निम्नप्रकार से परिवर्तित किया गया है

श्रेणी	1.12.1998 लाईन विस्तार शुल्क		27.2.2002 लाईन विस्तार शुल्क
1	2	3	4
घरेलू ग्रामीण	प्रति 4 कनेक्शन एक पोल फ्री या सर्विस लाइन कनेक्शन = कोई चार्ज नहीं पहला पोल = 950/= द्वितीय पोल = 1450/- तीसरा व चौथा व पांचवां पोल = 1950/-		आबादी एरिया = 1500/- में आबादी एरिया के बाहर = 150 प्रतिमीटर (तीन फेस) एवं 100/- प्रतिमीटर एक फेस के लिये।
घरेलू शहरी	लाइन का वास्तविक खर्चा	(अ)	जेडीए/यूआईटी/नगरपालिका/ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकसित कालोनी = 2000.
		(ब)	अन्य 5000/- अगर लाइन का विस्तार 300 मीटर से ज्यादा हो तो 120 प्रतिमीटर तीन फेज के लिये एवं 80/- प्रति मीटर एक फेज के लिये।
व्यावसायिक ग्रामीण	वास्तविक खर्चा	(स)	कच्ची बस्ती = 2000/- रु. 2000/- या वास्तविक खर्चा जो भी ज्यादा हो।
व्यावसायिक शहरी	वास्तविक खर्चा	(अ)	जेडीए/नगरपालिका/यूआईटी/ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकसित कालोनी या जगह = 3000/- या वास्तविक खर्चा जो भी ज्यादा हो।
		(ब)	अन्य 5000/- या वास्तविक खर्चा जो भी ज्यादा हो।

1	2	3	4
लघु उद्योग	वास्तविक खर्चा = 2000/- प्रति पोल	वास्तविक खर्चा	
मध्यम उद्योग	वास्तविक खर्चा = 1000/- प्रति पोल	वास्तविक खर्चा	
वृद्ध उद्योग	वास्तविक खर्चा	वास्तविक खर्चा	
मिश्रित उद्योग	वास्तविक खर्चा	वास्तविक खर्चा	
कृषि			
(अ) सामान्य श्रेणी	(1) सर्विस कनेक्शन चार्जेज 5 अ.श. तक 1500/- 5 से 10 अ.श. तक 1750/- 10 से 25 अ.श. तक 2000/- 25 अ.श. से अधिक 2200/-	(1) सर्विस कनेक्शन चार्ज 10 अ.श. तक 1750/- 10 अ.श. से अधिक 2200/-	
	(ii) पोल चार्जेज प्रथम तीन पोल तक 1500/- प्रति पोल चौथा, पांचवां पोल 2250/- प्रति पोल छठां, सांतवां व आठवां पोल 3000/- प्रति पोल	(ii) पोल चार्जेज प्रति पोल 3500/- आठ पोल तत्पश्चात् 11000/- प्रति पोल	
	(III) ट्रांसफोर्मेशन चार्जेज-शून्य (बैक अप चार्जे)	(III) ट्रांसफोर्मेशन चार्जेज 750/- अ.शक्ति	
(ब) नर्सरी की श्रेणी	(1) सर्विस कनेक्शन चार्ज-सामान्य श्रेणी के अनुसार उपरोक्तानुसार	वर्तमान में कोई नर्सरी या स्पेशल स्कीम के तहत कनेक्शन की नई फाइल जमा नहीं की जा रही है। (1) पूर्व में जमा स्पेशल स्कीम/चारा योजना में देय दर इस प्रकार है : 10 अ.शा. तक 1750/- 10 अ.श. से अधिक 2200/-	

1	2	3	4
	(II) पोल चार्जज-9000/- 5 प्रतिपोल	(II) पोल चार्ज-11000/- प्र.पो.	
	(III) ट्रांसफार्मेशन चार्जेज-1250/- प्रति अश्व शक्ति	(III) ट्रांसफार्मेशन चार्जेज-1450/- प्रति अ.श.	
(स) फार्म हाउस श्रेणी		(i) सर्विस कनेक्शन चार्ज सामान्य श्रेणी के समान उपरोक्तानुसार (ii) पोल चार्जेज = 11000/- प्रतिपोल (iii) ट्रांसफार्मेशन चार्ज - 1250/- प्रति अ.श.	

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-40 की सूची)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	8	276
2.	अलवर	14	478
3.	बारां	7	215
4.	बांसवाड़ा	8	325
5.	बाड़मेर	8	380
6.	भरतपुर	9	371
7.	भीलवाड़ा	11	381
8.	बीकानेर	4	189
9.	बूंदी	4	181
10.	चित्तौड़गढ़	14	391
11.	चूरू	7	279
12.	दौसा	5	225
13.	धौलपुर	4	153
14.	डूंगरपुर	5	237
15.	गंगानगर	7	320
16.	हनुमानगढ़	3	251
17.	जयपुर	13	488
18.	जैसलमेर	3	128

1	2	3	4
19.	जालौर	7	264
20.	झालावाड़	6	252
21.	झुंझुंनूं	8	288
22.	जोधपुर	9	339
23.	करौली	5	224
24.	कोटा	5	162
25.	नागौर	11	461
26.	पाली	10	320
27.	राजसमन्द	7	205
28.	सवाइमाधोपुर	4	197
29.	सीकर	8	329
30.	सिरोही	5	151
31.	टोंक	6	231
32.	उदयपुर	11	498
	योग	**237**	**9189**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-42 की सूची) **परिशिष्ट "अ"**

पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा प्रयोग में ली गई कारों का विवरण

क्र.सं.	**वाहन संख्या**	**राशि**
1.	आरजे. 14-टी 2872	43530.00
2.	आरजे. 14-टी 2427	809.00
	योग	**44139.00**

परिशिष्ट-17

Regd. No. 102/90-91

(अतारांकित प्रश्न संख्या-43 की प्रति)

Phone : कार्यालय : 429241
Office : 423993

जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, कोटा
DISTRICT ADULT EDUCATION ASSOICATION, KOTA

(Reg. No. पंजीयन सं. 292/1979-80)

प्रौढ़ शिक्षा भवन, 13, झालावाड़ रोड़, कोटा-324005 (राज.)

Prod Shiksha Bhawan, 13 Jhalawar Road, Kota-324005 (RAJ.)

क्रमांक : 112/P/17-5-1997 दिनांक 17.5.1997

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित करते हुए प्रसन्नता है कि श्रीमती नफीस अख्तर चयनोपरान्त द्वारा-विशेषज्ञ के पद पर स्थानीय जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति में सन् 1992 से निरन्तर कार्यरत है। इस सेवाकाल में इन्होंने अपने कार्य के प्रति समर्पित, उत्साही समास-सेविका एवं जुझारू कार्यकर्त्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में महिला विकास कार्यक्रम का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

प्रायोजनकर्त्ता
जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति,
कोटा

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-46 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	निलम्बित सचिव का नाम	आरोप जिसके कारण निलम्बित किया गया
1.	श्री ईश्वर सिंह (आसीन्द)	फर्जी पट्टा प्रकरण
2.	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा (आसीन्द)	पंचायत समिति परिसर में झगड़ा
3.	श्री पारसमल लक्षकार (आसीन्द)	मुख्यालय पर नहीं रहना पंचायत का रिकार्ड स्वयं के घर पर रखना आदि
4.	श्री ऊंकार सिंह (शाहपुरा)	पंचायत का चार्ज नहीं दिया जाना तथा अकाल राहत कार्यों के बिलों का समायोजन
5.	श्री भगवतीलाल जीनगर (माण्डलगढ़)	मस्टरोलों में हेराफेरी, फर्जी भुगतान
6.	श्री नाथुलाल धाकड़ (माण्डलगढ़)	टी.एफ.सी. तथा अकाल राहत कार्यों में अनियमितता
7.	श्री राजपाल सिंह (माण्डलगढ़)	निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं राजकीय निर्देशों की अवहेलना किया जाना।
8.	श्री हरिसिंह चतुर्वेदी	शिक्षा कर का गबन प्रकरण तथा ग्राम पंचायतों के चार्ज के सम्बन्ध में।
9.	श्री श्यामसुन्दर यादव (बनेड़ा)	घूघरी वितरण (पोषाहार) की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

नोट : क्रम संख्या 2, 3, 6 एवं 7 पर अंकित सचिवों का जांच विचाराधीन रखते हुये बहाल करने का निर्णय जिला परिषद् भीलवाड़ा की जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 13.03.2002 में लिया गया।

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-47 का विवरण)

परिशिष्ट-1

स्नातकोत्तर स्तर पर विषय खोलने के निर्धारित मानदण्ड

1. क्षेत्रीय आवश्यकता।
2. आवश्यक कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला की उपलब्धता।
3. प्रयोगशाला उपकरणों एवं फर्नीचर की उपलब्धता।
4. पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश की निश्चितता।

परिशिष्ट-20

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

18वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2002 को मध्यान्ह पश्चात् 1.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 19 मार्च, 2002 से 4 अप्रैल, 2002 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाये :—

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2002	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2002	1. वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2002	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर
शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002	1. आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2002-2003 का उपस्थापन 2. वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदान (वोट आन आकउंट) सम्बन्धी विवरण का प्रस्तुतिकरण 3. लेखानुदान संबंधी विवरण पर विचार एवं उसका पारण 4. लेखानुदान सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण
शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 2002 रविवार, दिनांक 24 मार्च, 2002 सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 2002	बैठक नहीं होगी।
मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002	1. वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2002 गुरुवार, दिनांक 28 मार्च, 2002 शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च, 2002 शनिवार, दिनांक 30 मार्च, 2002 रविवार, दिनांक 31 मार्च, 2002	बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2002 मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2002 बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2002	आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2002- 2003 पर सामान्य वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2002	आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2002-2003 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

विधान सभा भवन,

जयपुर।

दिनांक 18 मार्च, 2002

परसराम मदेरणा

पदेन सभापति